छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **चतुर्थ सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024

(अग्रहायण 29, शक सम्वत् 1946)

[अंक 04]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024

(अग्रहायण 29, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी शायद प्रश्नकाल में कुछ बयान देंगे। शायद इनके नेता के साथ बेमेतरा में कुछ हुल्लड़-गुल्लड़ हो गया है।

आदिम जाति कल्याण विभागान्तर्गत संचालित आश्रम/ छात्रावासों में घटित घटनाओं से बच्चों की मौत

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

1. (*क्र. 780) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** छ.ग.राज्यान्तर्गत आदिम जाति कल्याण विभागान्तर्गत ऐसे कौन-कौन से आश्रम/छात्रावास हैं, जहां विगत 12 महीनों के अंतराल में बीमारी से अथवा अन्य कारणों से बच्चों की मौत हुई हो? मृत्यु के कारण सहित पूरी जानकारी देवें? **(ख)** इन प्रकरणों में विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र †**[1] अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम क्रमांक 13 अनुसार है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छात्रावासों मे आवश्यक व्यवस्था एवं पूर्व तैयारी सुनिश्चत करने बाबत् जारी दिशा-निर्देशों अनुसार समस्त छात्रावास अधीक्षकों को निवासरत विद्यार्थियों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क स्थापित कर उनके स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

[1] † परिशिष्ट "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न छात्रावास आश्रम में आदिवासी बच्चों के साथ घटित घटनाओं से बच्चों की मौत के संबंध में था। मंत्री जी का उत्तर आया है। मंत्री जी के द्वारा प्रश्न के उत्तर में पूरे प्रदेश में 11 बच्चे की मौत का उल्लेख किया गया। उसकी पूरक जानकारी में फिर 14 भेजे हैं। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ में छात्रावास आश्रम में विभिन्न तरह की घटनाओं से कम से कम 25 से 30 बच्चे की मृत्यु हुई है। (शेम-शेम की आवाज) लेकिन जो अधिकारी आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई करेंगे?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ हैं और बस्तर क्षेत्र में आपकी विशेषता और महानता है। तो आपके समय के ही और आपके द्वारा ही रखे गए सभी अधिकारी करीब-करीब हैं। जहां तक इस मामले में जो घटनाएं घटित हुई हैं, इसके बारे में हमने पूरी विस्तृत जानकारी लेकर विभाग को भी निर्देशित किया है और संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भी हमने एक निर्देश जारी किया है कि जहां-जहां हमारे आश्रम, छात्रवास हैं, वहां विशेष रूप से रख-रखाव पर ध्यान दिया जाए और खासकर उनकी सेहत को लेकर समय-समय पर रूटीन में उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी होता रहे। आपने प्रश्न किया कि संबंधित कोई दोषी अधिकारी होगा तो हम कतई किसी को बचाने वाले नहीं हैं। इसमें जांच रिपोर्ट में जो दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करने में कहीं चूकेंगे नहीं।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें से हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है, बीजापुर में ही 10 बच्चों की मृत्यु हुई है। मलेरिया से, फूड प्वाइजनिंग से, फांसी लगाकर कई तरह से बीमारियों से उन लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन आपकी जानकारी में अतिरिक्त रूप से आपको तो जानकारी नहीं दिए, लेकिन अतिरिक्त पूरक जानकारी में तीन ही बच्चे का नाम दिये हैं। माननीय विधायक, बीजापुर के भी हैं, उनके द्वारा मैंने जानकारी कलेक्ट की थी कि कितने बच्चों की मृत्यु हुई है। आप चाहें तो मैं पटल पर रख देता हूं, लेकिन इस प्रकार की जानकारी आपको दे रहे हैं। आप वरिष्ठ मंत्री हैं और आपको स्टाफ गुमराह कर रहे हैं तो इससे हमारा प्रदेश कैसे चलेगा? आप सुशासन की बात कर रहे हैं, हमारे आदिवासी बच्चे छात्रावास में सुरक्षित नहीं हैं। एक तो अंदर वाले आदिवासियों को खत्म कर रहे हैं, छात्रावास आश्रम में रहकर आपके तंत्र खत्म कर दे रहे हैं। तो इस तरह की बात हो रही है और कैसे सुशासन है? हम लोग सुरक्षित नहीं, आप लोगों के राज में आदिवासी के राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं और सुशासन की बात करते हैं। 10 लोगों की नारायणपुर में घटना हुई, उसकी भी जानकारी नहीं है। इधर आपकी जानकारी में हमारे बकावंड में अज्ञात बीमारी से मृत्यु हुई, उसकी जानकारी नहीं है तो प्रदेश के अधिकारी, जिला के अधिकारी ऐसे मुमराह कर रहा हैं। इस तरह की बात है और इसमें थोड़ी गंभीरता लेने की जरूरत है क्योंकि यह छात्रावास मामला है। कितनी बार छात्रावास आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण कराएं? थोड़ा बताएंगे।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं तो आरोप तो किसी के ऊपर लगाया सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- आरोप नहीं है सर, मेरे पास एथेंटिक जानकारी है, चाहें तो मैं पटल पर रख दूंगा । मेरे पास एथेंटिक जानकारी है । मैं स्वयं उस आश्रम, छात्रावास में गया था । यह आरोप नहीं है, यह सत्यता है । हम लोग व्यवस्था सुधारने के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप पर आरोप लगाने से हमको क्या मिलेगा । हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से आश्रम, छात्रावास की व्यवस्था सुधरे, इस प्रकार की लापरवाही न हो । साल भर के अंदर 25 से 30 बच्चों का मरना कितनी गंभीर बात है, ऐसा पहली बार हुआ है । कितनी आशा और विश्वास से, लो सुरक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए छात्रावास भेजते हैं और थोड़ी-थोड़ी लापरवाही के चलते उन्हीं को हम लोग मार डाल रहे हैं । अभी कल 16 तारीख की बात है, सुकमा जिले में भूख से मरी, उसको रात में खाना नहीं मिला, उसकी जानकारी है या नहीं ?

श्री रामविचार नेताम :- मुझे उत्तर देने देंगे । आपने जो प्रश्न किया था, इन वर्षों में हमने संशोधित उत्तर में 14 की सूची दी है । 14 के अतिरिक्त जिनकी मृत्यु हुई, उनकी सूची दे दें, हम जानकारी के आधार पर पूरी जांच करवा देंगे । सरकार की मंशा साफ है और हमारी सरकार तो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने की है । आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार को आप क्या समझ रहे हैं ? अनुसूचित जनजाति का ही बेटा मुख्यमंत्री बनकर बैठा है । हम सबको तो गर्व होना चाहिए कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं । इस वर्ग की बेहतरी के लिए हम कोई भी कसर छोड़ने वाले नहीं है, सभी काम होंगे । मैं समझता हूं कि आदरणीय लखमा जी का कल के भाषण आपने सुना होगा । लखमा जी ने भी स्वीकार किया है कि उन क्षेत्रों में वन अधिकार पत्र की मांग बहुत तेजी से हो रही है क्योंकि उन क्षेत्रों में शांति बहाल हुई है । उन क्षेत्रों के लोगों में विकास की ललक जागी है । हमारी सरकार पर लोगों को भरोसा है इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमें तो केवल एक साल हुआ है । एक साल में हमने बनाया है, आपने जो बिगाड़ा था, उसको बनाने का काम किया और हम बेहतर व्यवस्था बनाकर देंगे (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री लखेश्वर बघेल :- बहुत बहुत धन्यवाद् सर । आप बना रहे हैं लेकिन इतिहास में पहली बार साल भर में इतने बच्चे खत्म हुए ।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्रम, पोटाकेबिनों में पिछले 6 महीनों में बीजापुर जिले में 10 बच्चों की मौत हुई है और वह भी जिनमें से 5 बच्चों की मौत तो मलेरिया जैसी बीमारी से हो रही है । छोटी-छोटी बीमारी उल्टी-दस्त, फूड प्वाइजनिंग ऐसी बीमारियों से मौत हो रही है । हम लोगों ने प्रशासन के सामने लगातार बात को रखा । उसके बावजूद भी दोषी अधिकारी, कर्मचारियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है । एक भी प्रकरण में कार्रवाई नहीं हुई है । आप यहां जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री और सुशासन की बात कर रहे हैं तो उनको न्याय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कैसे मिलेगा, बताइए ? जब कार्रवाई ही नहीं हो रही है तो नयाय कहां से मिलेगा ? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसी भी प्रकरण में कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है ? बताइए माननीय मंत्री जी ।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस तरह के मामले जहां भी आते हैं । यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, हमारी सरकार संवेदनशील है, कहीं भी इस तरह की शिकायत आई है, हमने तत्काल कार्रवाई की है । मैंने आपसे निवेदन किया है कि इसके अतिरिक्त भी आपके पास कोई जानकारी है तो आप दीजिए, हम जांच कराएंगे और जांच करके संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ।

श्री विक्रम मण्डावी :- मंत्री जी यह बताइए कि क्या कार्रवाई हुई ? निलंबित किया क्या ? किसी पर कोई कार्रवाई हुई, निलंबित हुए क्या, यह बताइए ?

श्री रामविचार नेताम :- जहां तक राजनीतिक भाषण की बात है, तो बहुत सारे विषय हैं । मैं जब राज्य सभा में सदस्य था, उस समय छत्तीसगढ़, खासकर बस्तर में जो ट्रायबल एरिया के बच्चों के स्वास्थ्य के के बारे में हमने जानकारी मंगाई थी । संसद से ही उत्तर प्राप्त हुआ था कि आपकी सरकार के समय वहां 25 हजार बच्चों की मृत्यु हुई है, पूरे छत्तीसगढ़ में । वो दिन कहां गया था ? इसलिए इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाइए । अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है, कोई गड़बड़ी हो रही है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय मंत्री जी, आप यह बताइए कि कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है ?

श्री रामविचार नेताम :- बिल्कुल हुई है । एक-एक की कार्रवाई हुई है । हमने 14 की सूची दी है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- कौन से प्रकरण में कितने आश्रमों में कार्रवाई हुई है, यह बताइए ।

श्री रामविचार नेताम :- 14 के बारे में हमने पूरे डीटेल में जानकारी दे दी है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- आदरणीय मंत्री जी, कोई आरोप नहीं है। हम लोग सत्यता को भी बता नहीं पाएंगे और आप उसको आरोप बोलेंगे तो कैसे होगा बताईए। फिर हम लोगों को कुछ नहीं बताना है। जो सत्य है उसको कैसे सुधारे, आपको उस बात पर ध्यान देना चाहिए। आपको अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। छात्रावास में बच्चों की मौत हो रही है और अधिकारी गंभीर नहीं हैं। फिर अधिकारी रखने की क्या जरूरत है ? विभिन्न तरह के छात्रावास आश्रमों में मंडल संयोजक, डी.ओ. एस.ई. दुनियाभर के लोगों को रखे हैं, उन लोग जाकर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कर रहे हैं, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। पूरे छत्तीसगढ़ में छात्रावास आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण कब-कब हुआ है, थोड़ा बताईए।

अध्यक्ष महोदय :- कवासी जी एक छोटा सा प्रश्न पूछ लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहत गंभीर मामला है। 16 तारीख को 5 छात्रावासों में मौत हुई है। बीजापुर, सुकमा, जिले में लगातार मौतें हो रही है। उसके बाद भी आप बोलते हैं कि आरोप लगा रहे हैं। मतलब बच्चे लोग मरते जाएं और हम लोग चुप रहें।

अध्यक्ष महोदय :- आपका ही प्रश्न कर रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक ने पूरे छत्तीसगढ़ में इन 12 महीनों में आश्रम छात्रावासों में मौत के बारे में प्रश्न किया है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिए प्रश्न।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, हॉस्टल में जो बच्चे मर रहे हैं, उसके बारे में प्रश्न किया है। कोई फांसी लगाकर मर रहा है, कोई बीमार होकर मर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी विधान सभा चल रहा है। हमारे छिंदगढ़ बालटिकरा में पोटाकेबिन की बच्ची सुबह पर्दा में खड़ी होती है और गिर जाती है, वह तीन दिन भूखी रही, वहीं पर मर गयी। 16 तारीख को विधान सभा चालू हुआ। वहां उस अधीक्षक के उपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहां पर धरना दे रहे हैं, घेराव करने जा रहे हैं, हॉस्टल में हमारे कांग्रेस के लोग जांच करने गये तो पुलिस पहले से तैनात थे। वहां पर घूसने नहीं दे रहे हैं, पहरा लगा दिए हैं। 16 तारीख को पोटाकेबिन बालटिकरा में दो तीन दिन खाना नहीं मिलने से बच्ची भूखी मरी है, क्या उस अधीक्षक के उपर कार्रवाई करेंगे, क्या उसको हटायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बैठिए। चलिए आप भी पूछ लीजिए।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कांकेर जिले के पी.एम.टी. छात्रावास के बच्चों का है। इस छात्रावास में 6-7 बच्चों को लाईन से खड़े कराकर एक अधिकारी के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है। वाकई में उस अधिकारी के उपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहां बच्चे दहशत में हैं, वहां एक बच्चा सोसाईड भी करने वाला था। उसको पूरे बच्चे लोग समझाए नहीं तो वह पूरा दहशत में आ गया था। मंत्री जी, पी.एम.टी. छात्रावास में उस अधिकारी के उपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपने जानकारी में डाल दी। नेता जी बोल रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, संवेदनशील ही नहीं, अतिसंवेदनशील हैं। यहां पर एक प्रश्नकर्ता आदिवासी है, उत्तरदाता आदिवासी है और इन सबके संरक्षक विष्णुदेव साय भी आदिवासी हैं। अध्यक्ष जी, आप आएदिन पढ़ते होंगे स्कूल में, छात्रावास में बच्चों की मौतें हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। यह हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये परिस्थितियों क्यों निर्मित हुई है, ये गंभीरता से विचाराधीन है। माननीय मंत्री जी ने जिस ढंग से उत्तर दिया कि आपके जमाने के अधिकारी हैं। अधिकारी आपके जमाने के हो, चाहे हमारे जमाने के हो, अधिकारी शासन का होता है। पांच साल तक बघेल जी की सरकार थी, उसके पहले 15 साल आपकी

सरकार थी, अब जो पांच साल आया है, वह विष्णुदेव साय सरकार का पहला साल है। पहले साल में ही इतनी सारी हत्याएं हो रही हैं, जैसा कि 30-40 का ये दावा कर रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं कि जब वे राज्यसभा सदस्य थे तो वहां से चिंता करते थे। आप उसको छोड़िए, महराज, आप राज्यसभा सदस्य के बाद अब यहां के मंत्री बन चुके हैं। यहां अब क्या हो रहा है जरा जाकर देख लीजिए, घूमकर देख लीजिए। इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं ? बच्चों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहा है ? स्कूल के शिक्षक उदंड क्यों हो रहे हैं, पोटाकेबिन में मृत्यु क्यों हो रही है ? क्या इस बात की गंभीरता से जांच करायेंगे ? यह मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, श्रीमती अंबिका मरकाम।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री जी का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- कार्रवाई का जवाब तो आ गया था। मंत्री जी कोई जवाब देना चाहें तो दे दें।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के सुझाव को पूरी गंभीरता से लूंगा। उसमें जो भी होगा, हम तत्काल कार्रवाई भी करेंगे। इसकी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी कि कहीं भी गड़बड़ी है तो हम उसपर कार्रवाई करेंगे। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आश्रम व छात्रावास में जो बच्चे निवास करते हैं, उसमें किसी पार्टी या दल की बात नहीं है। वह बच्चे हमारे समाज के ही हैं। आश्रम व छात्रावास में बहुत ही जरूरतमंद बच्चे ही रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम पूरी तरह से गंभीर हैं। इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए हम इसकी जांच करवाएंगे और मैं आपको उससे अवगत भी कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- दादी, आपके पास जो भी जानकारी है, उसको आप मंत्री जी को लिखित में दे दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है। अभी विधान सभा का सत्र चल रहा है और बच्चे भूखे मर रहे हैं। वहां पर पुलिस बल लगा दिया गया। वहां पर अधीक्षक के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया गया है, लेकिन न कलेक्टर सुन रहा है। क्या आप उस अधिकारी को सस्पेण्ड करके उसे वहां से हटाएंगे ? मंत्री जी, आप उस अधिकारी को वहां से हटाने की बात कहिये। इस तरह से गंभीरता से देखने से क्या होगा ? आपकी सरकार में झलियामारी काण्ड हुआ, अंखफोड़वा काण्ड हुआ। यदि बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो वह हॉस्टल में कैसे पढ़ेंगे ? बच्चे हॉस्टल में सुरक्षित रहें। यदि बच्चे हॉस्टल में भूखे मरेंगे तो कैसे चलेगा ? माननीय मंत्री जी, मेरा इसमें आपसे स्पेशल निवेदन है, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, आप राज्य सभा की बात छोड़िये। अभी आप मंत्री हैं तो इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहिये। छिंदगढ़ हेड क्वाटर

से 4 किलोमीटर दूर पोटा केबिन, बालाटिकरा है। मंत्री जी, क्या आप उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप सब लिखकर दे दीजिए। मंत्री जी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।

श्री रामविचार नेताम :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो भी विषय हैं, उनको आप मुझे लिखकर दे दीजिए। मैं जांच रिपोर्ट मंगावाऊंगा, तभी तो कार्रवाई करूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- दादी लिखते नहीं हैं, लिखवाते हैं। दादी, आप लिखवाकर दे देना।

श्री कवासी लखमा :- मैंने विधान सभा में लिखकर दे दिया है, इसलिए मैं आपको मौखिक रूप से सामने बोल रहा हूं। विधान सभा में लिखकर देने से बड़ा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- दादी, आप लिखवा लेना।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, अभी इस प्रश्न में लिखा है कि चारामा में बच्चे की मौत हुई तो उस अधीक्षक को छोड़ दिया गया। कोर्रा में एक बच्ची की मृत्यु हुई है तो अधीक्षक को सस्पेण्ड कर दिया गया। आपने अधीक्षक को एक समय के लिए छोड़ दिया। आपके उत्तर में लिखा है कि कोर्रा, सुकमा में उस अधिकारी को सस्पेण्ड कर दिया गया। बालाटिकरा के पोटा केबिन में एक लड़की को 3 दिन तक खाना नहीं मिलने के कारण भूख से उसकी मृत्यु हुई है। क्या आप उस अधिकारी को सस्पेण्ड भी नहीं करेंगे ?

श्री रामविचार नेताम :- आदरणीय दादी, मैं अपनी बात को कितनी बार दोहराऊं ? जहां-जहां पर जो भी गड़बड़ी हो रही है, आप उसकी जानकारी मुझे दे दीजिए। हम उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। अंबिका मरकाम जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, यह गंभीर मामला है। इसमें मंत्री जी का जितना उत्तर आया है।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी के बाद अब प्रश्न नहीं हो सकता है। यह आपका विषय नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय जी, सुकमा में 12 महीने में इतने लोग मरे। बीजापुर में 10 लोग मरे, उनकी सूची में नाम नहीं है। वहां पर अधिकारी क्या कर रहे हैं ? आपने टी.व्हीं. और समाचार पत्र में देखा होगा कि बस्तर जिले में कहते हैं कि 1 बच्चे के पीछे 50 रूपये दो, तब तो वहां पर अधीक्षक बनोगे। वहां पर लोग सवाल उठाएंगे कि वहां पर बच्चे मर रहे हैं। क्या आप इसकी भी जांच कराएंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- दादी, बहुत हो गया। 1 प्रश्न में 18 मिनट हो गये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए। यदि आदिवासियों के बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। उधर उनको नक्सलाइड मारेंगे और इधर आदिवासी स्कूल और हॉस्टल में आदिवासी बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे तो दिनोदिन आदिवासी खत्म होते जा रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण क्या आदिवासी बच्चे मरेंगे ? बाकी बच्चे क्यों नहीं मर रहे हैं ? मंत्री जी, क्या आप आदिवासी आश्रम व हॉस्टल में व्यवस्था को दुरूस्त करेंगे और इसकी जांच कराएंगे और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आपको पूरा संरक्षण है। मामला गंभीर है। मंत्री जी आप सबकी पीड़ा को समझ रहे हैं। आप जो भी लिखकर देंगे, मंत्री जी उन सभी की एकसाथ जांच करा लेंगे। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। नेता प्रतिपक्ष जी के बाद अब प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। श्रीमती अंबिका मरकाम जी अपना प्रश्न करें।

विधान सभा क्षेत्र सिहावा में वन अधिकार पट्टा वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 765) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधान सभा क्षेत्र सिहावा में वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक कितने वन अधिकार पट्टे (पत्र) वितरित किये जा चुके हैं? व्यक्तिगत (वर्गवार-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग) तथा सामुदायिक का पृथक-पृथक वर्षवार बताएं एवं रकबा भी बताएं? **(ख)** कितने पात्र व्यक्ति तथा समुदायों को वन अधिकार पट्टा (पत्र) दिया जाना प्रक्रियाधीन है? कितने प्रकरण अपात्रता के कारण अस्वीकृत किये गये हैं? **(ग)** क्या शासन द्वारा वन अधिकार पट्टा वितरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है? अगर नहीं तो कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधान सभा क्षेत्र सिहावा में वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक 131 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 519 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। जानकारी **संलग्न प्रपत्र†**[2] अनुसार है। **(ख)** वर्तमान में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने हेतु कोई भी दावा प्रक्रियाधीन नहीं है। अपात्रता के कारण कोई भी प्रकरण अस्वीकृत नहीं किए गए हैं। **(ग)** वन अधिकार अधिनियम एवं नियमों के तहत पात्रतानुसार

[2] † परिशिष्ट ''दो''

वन अधिकार पत्र वितरित किए जाते हैं एवं वन अधिकार पत्रों का वितरण एक सतत प्रक्रिया है। इसमें पृथक से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। अतः वितरण की समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहती हूं कि सिहावा क्षेत्र में वर्ष 2021-2022 से जून, 2024 तक व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने हेतु वर्षवार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे ? माननीय मंत्री जी ने 4 वर्षों में 519 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किये जाने की जानकारी दी है। मैं जानकारी चाहती हूं कि 519 सामुदायिक वन अधिकार पत्र के दुरूपयोग या एकाधिकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनपर क्या कार्रवाई की गई है?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य का वन अधिकार पत्र के सम्बन्ध में प्रश्न था, हमने उसकी पूरी जानकारी दे दी है। जहां तक दुरूपयोग की बात है, हमारे पास दुरूपयोग के बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। अगर आप शिकायत देंगे तो निश्चित रूप से उसको दिखवा लेंगे।

श्रीमती अम्बिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक सिहावा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सामुदायिक वन अधिकार-पत्र प्राप्त करने हेतु कितने समूह और समितियों से वर्षवार आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? कितने आवेदन लंबित है ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने नगरी सिहावा के बारे प्रश्न में प्रश्न किया है, 30 जून, 2024 तक व्यक्तिगत वन अधिकार-पत्र हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तो मैंने इसकी जानकारी दी है कि 8,87,591 आवेदन प्राप्त हुए है। व्यक्तिगत वन अधिकार-पत्र हेतु प्राप्त आवेदनों के बारे में भी जानकारी दी है कि 30 जून, 2024 तक कुल 9,39,528 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें व्यक्तिगत वन अधिकार-पत्र का और भी डिटेल जानकारी चाहे तो मैं सभी की जानकारी दे दूं ?

श्रीमती अम्बिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मैंने पूछा है कि कितने प्रकरण लंबित हैं ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी धमतरी जिले में सितम्बर, 2024 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी के 4,313 दावे, इस प्रकार कुल 9,665 दावे निरस्त हुए हैं। वन अधिकार-पत्र के सन्दर्भ में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।

श्रीमती अम्बिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास लंबित प्रकरण की जानकारी है। यदि आप चाहे तो मैं पटल पर रख सकती हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहती हूं कि इन लंबित प्रकरणों का निपटारा कब तक हो जायेगा, यह मैं आपने जानना चाहती हूं ?

अध्यक्ष महोदय :- लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर देंगे ? बहुत छोटा प्रश्न है, बता दीजिये।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अतिशीघ्र करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, शीघ्र हो जायेगा।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- मेरा भी प्रश्न सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप सिहावा विधानसभा क्षेत्र को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- इसी में 10 वें नंबर में प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका सिहावा का प्रश्न है ?

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- नहीं-नहीं, मेरा मोहला-मानपुर का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- मोहला-मानपुर का प्रश्न बाद में आयेगा, भईया।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में प्राप्तव एवं व्याय राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

3. (*क्र. 760) श्री मोतीलाल साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक कितनी राशि का बजट आबंटन किया गया? वर्षवार जानकारी देवें? (ख) कितने किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया एवं उक्त योजना में व्यय राशि की जानकारी वर्षवार एवं जिलेवार देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक बजट आबंटन राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वित्तीय वर्ष	आबंटित राशि (रू. करोड़ में)
1	2020-21	5627.89
2	2021-22	5552.45
3	2022-23	7028.53
4	2023-24	5607.32

(ख) राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक किसानों को भुगतान की गई राशि एवं लाभान्वित किसानों की संख्या का वर्षवार,जिलावार विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में जो राशि व्यय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हुआ था तथा वर्ष 2021-22 में जो राशि किसानों को दिया गया था, यह राशि कम क्यों हुआ ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात थी, अगर में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात रखूंगा, चूंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं अपनी बात रखूंगा। इसमें किसी को आपत्ति ना हो। अध्यक्ष महोदय, जो बड़े-बड़े दावे करने वाले लोग हैं, किसानों की हितैषी बनने का जो ढोंग किया करते थे, इसमें पता चल जायेगा कि किस प्रकार से इसमें लोगों को छला गया, उनके साथ कैसे, किस प्रकार से बजट का प्रावधान करके किसानों के हित में दिया गया था। जो वर्ष 2019, 2020, 2021 एवं 2022 का उत्पादन वर्ष है, उसमें हितग्राहियों के लिए पंजीकृत रकबा, हितग्राहियों की संख्या की जानकारी मेरे पास में है। वर्ष 2020 में 5 हजार 627 करोड़ रूपये, वर्ष 2021 में 5 हजार 553 करोड़ रूपये और वर्ष 2022 में 7 हजार 5 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था। पिछले दिनों माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में जवाब दिया था कि इसमें किस प्रकार से कमी किया जाए, वहीं पर हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने किसानों के हित में निर्णय करते हुए, किसानों की समृद्धि के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी उन्नति के लिए छत्तीसगढ़ में किसानों का रकबा और कैसे बढ़े, उनकी उत्पादकता भी कैसे बढ़े, ऐसा सोचकर हमारी सरकार ने 13,288 करोड़ रूपये का भुगतान किया। (मेजों की थपथपाहट) मैं समझता हूं कि देश और प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा निर्णय कभी नहीं हुआ था। यह माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार है, जिस सरकार में किसानों के हित में इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय करते हुए हम लोगों को दिया। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- आप मन एक रूपये के भी कर्जा माफी करे हौं?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, अगर हम बोनस की बात करें तो उस समय की जो पेंडिंग बोनस थी, वह 3 हजार 800 करोड़ रूपये मिलाकर हमने एक साल में किसानों को 17 हजार करोड़ रूपये दिए हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- हमर सरकार में 10 हजार करोड़ रूपये के कर्जा माफी होए रिहीस हे। तुमन एक रूपये के कर्जा माफी नई करे हौं।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, 17 हजार करोड़ रूपये एक साल में नहीं, बल्कि हमारी सरकार में हम लागों ने 3 महीने के अंदर भुगतान कर दिया था। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय यही सरकार ले सकती है। यह दूसरे सरकार की बस की बात नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कवासी लखमा :- नेताम साहब, आप अच्छा भाषण देते हैं। आप विष्णु देव साय जी की जगह में आ जाईये। वह तो छोड़-छोड़ कर चले जाते हैं। आप इधर आ जाईये। (हंसी)

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि वर्ष 2020-2021 में किसानों को जो पैसे का भुगतान किया गया था और 2021-2022 में जो पैसे का भुगतान किया गया है, उसमें कमी का क्या कारण है?

श्री रामकुमार यादव :- ओमा सीधा चन्द्राकर जी हा आही।

श्री मोतीलाल साहू :- अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने यह प्रश्न किया है क्योंकि आज तक वर्षवार किसानों को जो दी गई राशि है, वह हमेशा बढ़ते क्रम में रहा है। यही एक वर्ष ऐसा क्या हो गया कि किसानों की दी गई राशि में 73 करोड़ 95 लाख रूपये की कमी बताई गई है? आखिर ऐसा क्या परिस्थिति बना कि इसमें कमी हो गई? जो कि आज तक बढ़ते क्रम में रहा है। अभी आपने भी बताया कि पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार में कितना अंतर है। लेकिन वह क्या कारण था कि वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में किसानों को जो राशि दी गई थी, वह आखिर वर्ष 2021-2022 में आकर कम क्यों हो गया? अभी तक तो वह बढ़ते क्रम में रहा है। माननीय मंत्री जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि 73 करोड़ 95 लाख रूपये कम होने का क्या कारण है?

श्री कवासी लखमा :- डबल इंजन की सरकार में कैसे कम हो गया? क्या मशीन काम नहीं कर रहा है?

श्री आशा राम नेताम :- दादी, यह कमी आपके समय का है।

श्री मोतीलाल साहू :- किसानों के साथ कैसा छल हुआ है, यह अभी पता चलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, अभी डबल इंजन ला सर्विसिंग करवाय बर लागही।

श्री आशा राम नेताम :- दादी, यह वर्ष 2022 और 2023 की जानकारी बता रहे हैं। यह आपके समय का बता रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- डबल इंजन काम नहीं कर रहा है।

श्री आशा राम नेताम :- दादी जी, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 में वसूली नहीं हो रही थी। एंट्री नहीं मिली, इसलिए कम हुआ होगा।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, भूपेश बघेल जी के सरकार मा 10 हजार करोड़ रूपये के कर्जा माफी होए रिहीस। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- वसूली नहीं हुई थी, इसलिए कम हो गया। जिसमें-जिसमें वसूली हुई है, उसमें राशि बढ़ा है। दादी, आपके विभाग की वसूली दूसरे कर लेते थे। आप यह तो बताईये कि आपके विभाग का कौन वसूलता था?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- मेफेयर मा जा के बइठ के सुनत हौं, तेला बता देअओ का?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक आदिवासी मंत्री का पांच साल तक शोषण हुआ।

श्री रामकुमार यादव :- आप मेफेयर वाला बात ला बतावओ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक आदिवासी मंत्री का पांच साल तक शोषण हुआ, वह तो बता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- कृपया आपस में बात न करें । मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रकार की चर्चा ठीक नहीं है । मंत्री जी, कुछ जवाब देंगे?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, जो कमी होने का प्रमुख कारण था कि किसानों का जो खेत होता है, मेड़ बीच में होता है, इनकी किसानों की सरकार ने मेड़ का रकबा उसमें काटकर राशि घटाया गया था । किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय इन्होंने किया है । आज किस मुंह से बात कर रहे हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मेड़ का रकबा कहीं पर कम नहीं हुआ है । (व्यवधान) आप आरोप लगा रहे हैं, यहां कहीं पर मेड़ का रकबा कम नहीं हुआ है ।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, आपको किसानों के ऊपर एक शब्द भी बोलने का नौतिक अधिकार नहीं है । (व्यवधान)

श्री नीलकंठ नेताम :- इसके साथ-साथ कोने का भी रकबा कम कर दिया । आपका बस चलता तो ...(व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मेड़ का रकबा कहीं पर कम नहीं हुआ है । (व्यवधान) धान की बिक्री को रोकने का प्रयास किया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आशाराम नेताम अपना प्रश्न करेंगे । आशाराम जी प्रश्न करेंगे ।

श्री मोतीलाल साहू :- अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड बस थोड़ा सा रह गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया है, मैं उसके अनुसार सदन को जानकारी देना चाहूँगा कि वर्ष 2020-2021 में किसानों की जो संख्या थी, वह वर्ष 2021-2022 में 2,15,698 किसान बढ़े हैं, उसके बावजूद भुगतान कम हुआ है । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उसमें रकबा कटौती के कारण यह स्थिति हुई है । (शेम-शेम की आवाज) यह राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो था, किसानों के साथ अन्याय करने के लिये योजना बनाया था । यह प्रश्न और यह विषय आता है । इसे किसान आज भी भुगत रहे हैं । रिकार्ड में जब जरूरत पड़ती है तो लेन-देने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिये यह प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, हो गया ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय मंत्री जी, इसमें केवल यह बता दें कि वर्ष 2023-2024 में जो पैसा मिला था, उसकी आखिरी किश्त किसानों को कब देंगे ? जहां तक वह बोल रहे थे कि किसानों की

संख्या बढ़ी है तो भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ी है, ऐसे किसान जिसे अधिया बोलते थे, उनकी संख्या बढ़ी है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, आपको भूमिहीन किसान योजना के लिये आदेश जारी करना चाहिये। आप इसे लागू कर दो ।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, यह 1975 करोड़ जो है, वह वर्ष 2022 का चौथे किश्त का है । अटल जी, यही बोल रहे हैं । अटल, आपका इतना अच्छा नाम है । अटल जी का नाम है, थोड़ा ठीक-ठाक बोला करिये ।(हंसी) मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर किसानों को 17,000 करोड़ रूपये दिये हैं । (मेजों की थपथपाहट) आज पूरे देश में सर्वाधिक आटोमोबाईल का मार्केट छत्तीसगढ़ में है । (मेजों की थपथपाहट) आज सबसे अधिक ट्रेक्टर की बिक्री छत्तीसगढ़ में हो रहा है, सबसे अधिक कार की बिक्री छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, इस तरह से योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं भी मांग करती हूँ कि 3100 रूपये एकमुश्त राशि की आज ही घोषणा कीजिए । आप इसे कब देंगे ? आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत सारी राशि किसानों को दी है, मैं आज बोल रही हूँ कि आपने पंचायत में लगाकर 3100 रूपये एकमुश्त देने का वादा किया था, आज आप इसकी भी घोषणा कर दे । आप 3100 रूपये एकमुश्त कब देंगे ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- 2100 रूपयें नहीं 3100 रूपये है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 3100 रूपये ही बोली हूँ । आप एकमुश्त राशि कब देंगे, उसकी आज ही घोषणा कीजिए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, एकमुश्त दे रहे हैं, आप तो छत्तीसगढ़ को कुछ दिये ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ को लूट लिये हैं । आप आखिरी किश्त भी नहीं दे पाये हैं, आप क्या बात कर रहे हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह मैनिफेस्टो में आपका वादा था, इसे आपने कहा था, आप अभी बताईये ?

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता । आशाराम नेताम जी अपना प्रश्न करेंगे ।

श्री आशाराम नेताम :- धन्यवाद भाई साहब । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलेगा, चलेगा । आप बोलिये । प्रश्न करिये ।

श्री रामकुमार यादव :- मोला आशाराम बापू कस लागथे ।

श्री आशाराम नेताम :- नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कांकेर जिले का मास्टर प्लान

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (*क्र. 777) श्री आशा राम नेताम : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कांकेर जिले का मास्टर प्लान बना है? **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि नहीं, तो कब तक बनाकर लागू किया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हां, कांकेर जिले में 02 निवेश क्षेत्र की विकास योजना (मास्टर प्लान) बनी है (1) कांकेर विकास योजना 2031 (मास्टर प्लान) एवं (2) भानुप्रतापपुर विकास योजना 2031 (मास्टर प्लान) । **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

श्री आशा राम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कांकेर जिला के मास्टर प्लॉन में क्या-क्या लिया गया है ?

श्री ओ. पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे जिले का मास्टर प्लान तो एक साथ नहीं रहता है । हरबर्ट यूनिट जो रहते हैं, वह सामान्यत: जो शहरी क्षेत्र रहते हैं, उसके लिए मास्टर प्लान का निर्माण किया जाता है । कांकेर जिला के अंतर्गत दो निवेश क्षेत्र की विकास योजना बनी हुई है । कांकेर विकास योजना जो 2031 तक लागू रहेगा, उसे दिनांक 6 मार्च, 2015 से प्रभावशील किया गया है, जिसमें कुल 19 ग्राम सम्मिलित हैं जिसमें कांकेर का नगरीय क्षेत्र, इसके अलावा माटवाड़ालाल, नांदनमारा, अर्जुनी, भीरावाही, सरंगपाल, गोविंदपुर, डूमाली, माटवा डामोडी, पंडरीपानी, मालगांव, ढेलकाबोर्ड, कोड़ेजुंगा, कोड़ाभाट, मनकेसरी, सिंगारभाट, मोहपुर, गढ़पिछवाड़ी एवं ब्यास कोंगेरा । ये 19 गांवों से मिलकर यह मास्टर प्लान बना है । जिले में जो दूसरा मास्टर प्लान आज की तारीख में कांकेर जिले में लागू है, वह भानुप्रतापपुर का है । भानुप्रतापपुर विकास योजना 2031 तक के लिए मास्टर प्लान लागू रहेगा । इसे 21 मई, 2020 से प्रभावशील किया गया है, जिसमें कुल 7 ग्राम भानुप्रतापपुर, मुल्ला, चौगेल, कराठी, कन्हारगांव, नारायणपुर एवं रानवाही सम्मिलित हैं । इसके अलावा चारामा, पखांजूर, अंतागढ़, नरहरपुर एवं बड़े कापसी इन पॉच स्थानों पर मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया चल रही है । इन्हें निवेश क्षेत्र क्रमश: 29 अप्रैल, 2005 को पखांजूर को 12 अक्टूबर, 2012 को, अंतागढ़ को 11 जनवरी, 2013 को, नरहरपुर को 13 अगस्त, 2013 को और बड़े कापसी को 13 जून, 2017 को निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है । ये अभी अलग-अलग स्टेज में है। इसमें अलग-अलग स्टेज में रहता है कि निवेश क्षेत्र का गठन, फिर भूमि विकास नियम 1984 की प्रभावशीलता, फिर सेटेलाईट के माध्यम से एक्चुअल सर्वे का काम करना होता है । पहले मैनुअल सर्वे होता था, अब सेटेलाईट बेस्ड डिजीटल सर्वे हो रहा है । उसके पश्चात् इंस्ट्रक्चर प्लान फिर उसके पास ड्राफ्ट प्लान फिर फाईनल पब्लिकेशन का काम

होता है । तो 5 नगरीय निकायों के लिए प्रक्रियारत् है और दो नगरीय निकायों भानुप्रतापपुर और कांकेर में यह मास्टर प्लान 2031 तक के लिए लागू है ।

श्री आशा राम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, जो मास्टर प्लान है, वह स्पष्ट होना चाहिए कि हम कौन से सेक्टर में प्लान कर रहे हैं ? मास्टर प्लान सड़क के क्षेत्र में है या पर्यटन का क्षेत्र है, किस क्षेत्र में है, यह स्पष्ट रूप से हो, तभी जानकारी स्पष्ट होती है।

श्री ओ. पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कुल 191 स्थानों पर अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र हैं । इनमें से सिरपुर, अरपा जैसे कुछ क्षेत्र हैं, जहां विशेष रूप से विशेष प्राधिकरणों के तहत मास्टर प्लान लागू किया गया है । नहीं तो सामान्य रूप से जो नगरीय क्षेत्र और उसके आसपास के गांव रहते हैं, उनको प्लान एरिया या मास्टर प्लान एरिया के रूप में सम्मिलित किया जाता है । नगरीय क्षेत्र और उस नगर का विकास, आसपास के सराऊंडिंग में जहां भविष्य में होने की संभावना है, उन दोनों को मिलाकर प्लान एरिया के रूप में परिभाषित किया जाता है और ओव्हर ऑल मास्टर प्लान बनाया जाता है तो चारामा, पखांजूर, अंतागढ़, नरहरपुर और बड़े कापसी, यह नगर पंचायत क्षेत्र हैं । इनके सराऊंडिंग के गांव को जोड़कर मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और किस मास्टर प्लान के अंतर्गत सभी पॉचों में कौन-कौन से गांव सम्मिलित हैं, मैंने कांकेर और भानुप्रतापपुर की जानकारी दी है, बाकी पॉचों गांव में जो-जो गांव सम्मिलित हैं, उसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं । राज्य बनने के बाद से बहुत सारे नगरीय क्षेत्र का विकास हो चुका है, परन्तु नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में अभी भी जमीनों का नजूल भूमि के रूप में संधारण नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से जो मास्टर प्लान बनते हैं या दूसरी विकास की योजनाएं बनती हैं, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हालॉकि यह सीधा-सीधा राजस्व विभाग का विषय है, तो क्या हम आने वाले एक निर्धारित समय में जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं, उनको नजूल क्षेत्र में बदलने की जो कार्रवाई है, उसे करने के लिए कोई योजना बनाए हैं क्या?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सम्माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि यह आवास एवं पर्यावरण विभाग से सीधा संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस दिशा में जो भी सकारात्मक प्रयास संभव होगा, उसे राजस्व विभाग और आदरणीय उप मुख्य मंत्री माननीय अरूण साव जी नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी देख रहे हैं, तो दोनों विभागों से मिलकर चर्चा करेंगे और जो उचित निर्णय होगा, वह नगरीय प्रशासन विभाग और राजस्व विभाग के माध्यम से लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य से भी इस संबंध में चर्चा कर लेंगे।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा, सारे नगर निगमों में यह शिकायत है और भूमि की उपयोगिता को हमें बदलना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे नगर निगम की करीब 12 परियोजनाएं सिर्फ इसलिए रुकी हुई हैं कि वहां का जो नज़री रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में कहीं घास जमीन या दूसरा अन्य कुछ दिखा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सारे नगरीय निकायों में भू-उपयोगिता प्रमाण पत्र को आप बदलने की कृपा करें, यह आपसे आग्रह है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लैंड यूज़ है, वह मास्टर प्लान में परिभाषित हुआ है। पिछले पांच सालों में मास्टर प्लान में तमाम तरह की शिकायतें, पांच सालों के कृत्य पर मिलती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी सरकारी परियोजना है, उसके लिए लैंड यूज़ को चेंज करने की कोई भी जरुरत होगी, उसे top priority में सुनिश्चित किया जाएगा। उसमें कहीं भी परियोजनाओं को पूर्ण होने में बाधा नहीं होने दी जाएगी।

श्री धर्मजीत सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन शहरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल नगरीय क्षेत्रों में बहुत सी जमीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन वे छोटे झाड़ और बड़े झाड़ के जंगल होने के कारण वहां पर हम बहुत से प्रोजेक्ट बना और लगा नहीं पा रहे हैं, जबकि वहॉ घास का एक तिनका भी नहीं है। मैं मंत्री जी से यह पूछना भी चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि एक बार क्या आप सरकार के स्तर पर इस बात पर विचार करेंगे कि छोटे झाड़ और बड़े झाड़ के जंगल जो नगरीय क्षेत्र के अंदर हैं, उस पर विचार कर कार्रवाई करेंगे क्या? अध्यक्ष जी, 220 KV का सब स्टेशन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसके लिए 15 एकड़ जमीन चाहिए। जमीन तो है लेकिन उसमें छोटे झाड़, बड़े झाड़ अंकित है। कालेज की बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। तो नगर के विकास के लिए और नगर की अन्य सुविधाओं को देने के लिए इन छोटे झाड़, बड़े झाड़ की समस्या से कैसे मुक्ति दिलायेंगे और आप उस पर विचार कर कार्रवाई करेंगे क्या, यह बताइये? अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ मेरे क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का मामला है और इस पूरे प्रदेश के मामले पर आपको संज्ञान लेकर बात करना चाहिए क्योंकि हम जहॉ भी जाते हैं, छोटे झाड़, बड़े झाड़ का क्षेत्र और बात खत्म। तो इस बात को शुरु करने की आप पहल कीजिए। यह करेंगे या नहीं?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जिस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1980 में Forest conservation act बना, तो लगता है कि ऐसे राज्य जहां वन बिल्कुल नहीं थे, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के परिवेश में वहॉ वनों को कैसे बचाया जाए, उन सब पर ज्यादा ध्यान देते हुए, यह Forest conservation act, 1980 बनाया गया, ऐसा प्रतीत होता है। देश के परिप्रेक्ष्य में बात सही भी है, लेकिन हमारा देश इतना विशाल और विविधतापूर्ण है कि उसके कारण अनेक अंचलों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सम्माननीय सदस्य ने

जो दिक्कत बताई, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अनेक नगर पंचायतों में वह दिक्कत आ रही है और मैं खुद उस चीज़ को महसूस कर रहा हूं। परंतु मैं साथ ही यह बात भी रखना चाहूंगा कि वन संरक्षण के अंतर्गत आने वाली जो जमीनें हैं, उन पर लोकहित के 13 उपयोग निर्धारित किए गए हैं और उसके लिए जमीन के उपयोग में diversion करने के प्रावधान किए गए हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि एक हेक्टेयर तक के लिए जिला स्तर पर समिति है, जो कि उसे divert कर सकती है और उससे ऊपर लगभग 5 हेक्टेयर तक के लिए राज्य को अधिकार है और उसके बाद के लिए केन्द्र की बॉडी है, जिसका मुख्यालय भोपाल में है, उसे अधिकार है। उसके बाद जो केंद्र की बॉडी है, जिसका मुख्यालय भोपाल में है, उसको अधिकार है। इसमें इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। यह छत्तीसगढ़ जैसे 44 प्रतिशत वन क्षेत्र वाले राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें flexibility के लिए प्रयास करते रहेंगे।

वेलकम डिस्टलरी छेरकाबांधा कोटा के विरूध्द प्राप्त शिकायतों की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (*क्र. 718) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वेलकम डिस्टलरी, छेरकाबांधा कोटा को पर्यावरण अनुमति कब प्रदान की गई है ? अनुमति की शर्तें क्या-क्या हैं? **(ख)** वेलकम डिस्टलरी, छेरकाबांधा के विरूध्द विगत 02 वर्षों में कब और किसके द्वारा क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई है? **(ग)** उक्त प्राप्त शिकायत के विरूध्द पर्यावरण विभाग द्वारा कब-कब जांच की गयी है? जांच में क्या पाया गया है और क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :- (क) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज़ प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-छेरकाबांधा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर को क्षमता विस्तार के तहत् डिस्टलरी यूनिट -10 किलोलीटर प्रतिदिन से 60 किलोलीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 10/03/2004 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में चिमनी से उत्सर्जन एवं उपचारित दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप रखने, स्पेंटवाश का बायो मिथेनेशन डाईजेस्टर, एक्टिवेड स्लज प्रोसेस एवं कम्पोटिंग के माध्यम से उपचारित कर उपयोग किये जाने, जल एवं मृदा गुणवत्ता का परिमापन आदि शर्तें निहित हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग को वर्तमान उत्पादन क्षमता रेक्टीफाईड स्प्रीट - 30 किलोलीटर प्रतिदिन हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् संचालन सम्मति दिनांक 04/01/2012 को जारी की गई है।उक्त सम्मति पत्र में उपचारित दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखने, बायो

कम्पोस्टिंग के माध्यम से उपचारित किये जाने, शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखने, चिमनी से उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखने, परीवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखने एवं जल एवं मृदा गुणवत्ता का परिमापन, ठोस अपशिष्टों स्लज आदि का वैज्ञानिक विधि से समुचित अपवहन, वृक्षारोपण करने आदि शर्त निहित है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र[3] के कॉलम क्रमांक 02, 03 एवं 04 अनुसार** है **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 05, 06, 07 एवं 08 अनुसार** है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वेलकम डिस्टलरी, छेरकाबांधा कोटा के विरूद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वेलमक डिस्टलरी, छेरकाबांधा कोटा को पर्यावरण अनुमति कब मिली और अनुमित की शर्तें क्या-क्या थीं ? वेलमक डिस्टलरी, छेरकाबांधा कोटा के विरूद्ध विगत 2 वर्षों में कब और क्या-क्या कार्रवाई की गई ? उक्त शिकायत के विरूद्ध पर्यावरण विभाग द्वारा कब-कब जांच की गयी ? अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में जितने भी ग्राम आते हैं, वह पेसा कानून के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य इलाका है। वहां शासकीय मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक द्वारा 11.09.2023 को एस.डी.एम. और कलेक्टर, कोटा को शिकायत की गयी और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया। ग्राम पंचायत द्वारा 6.10.2023 को एस.डी.एम. को ज्ञापन देकर वेलमक डिस्टलरी से होने वाले प्रदूषण और जहरीली गैस के कारण विधान सभा चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गयी परंतु आज तक उसके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। वेलमक डिस्टलरी के होने से जल एवं वायु प्रदूषण, कोटा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम छेरकाबांधा, खरगैनी, खुरदुर, कलारतलाई, बाकीघाट, जोगीपुर, खरगैना, सिलदहा, भैंसाझार से 30-40 किलोमीटर एरिया प्रभावित हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज तक उसके विरूद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हुई ? उसको बिना जन सुनवाई के एक्सटेंशन मिल गया। उसके एक्सटेंशन का काम शुरू भी हो गया और खत्म भी हो गया। वहां वेलमक डिस्टलरी के द्वारा लगातार बाहर अपशिष्ट पदार्थ फेंके जा रहे हैं, वहां बाहर स्कूल लगा होता है। उसके अपशिष्ट में इतनी दुर्गंध आती है कि स्कूल के बच्चे उल्टी की समस्या के कारण परेशान हो जाते हैं। वेलमक डिस्टलरी उस अपशिष्ट पदार्थ को दूर जाकर किसी भी खेत में डाल दे रहा है। लगातार शिकायत के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस पर कब कार्रवाई होगी और अभी तक क्या-क्या कार्रवाई हुई है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वेलमक डिस्टलरी, छेरकाबांधा कोटा में है। उसे भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा क्षमता विस्तार के तहत डिस्टलरी यूनिट 10 किलोलीटर प्रतिदिन से 60 किलोलीटर प्रतिदिन करने हेतु 10 मार्च 2004 को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गयी थी। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में चिमनी से उत्सर्जन एवं उपचारित दूषित

---
[3] परिशिष्ट "चार"

की गुणवत्ता मानक के अनुरूप रखने, स्पेंटवाश का बायो मिथेनेशन डाईजेस्टर, एक्टिवेड स्लज प्रोसेस एवं कम्पोस्टिंग के माध्यम से उपचारित कर उपयोग किये जाने, जल एवं मृदा गुणवत्ता का परिमापन आदि शर्तें निहित हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग को वर्तमान उत्पादन क्षमता रेक्टीफाईड स्प्रीट - 30 किलोलीटर प्रतिदिन हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् संचालन सम्मति दिनांक 04/01/2012 को जारी की गई है। उक्त सम्मति पत्र में जो सी.टी.ओ. होता है, उसमें उपचारित दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखने के लिए पहले जो मैंने टेक्निकल बिंदु उल्लेखित किये, उनकी सीमा निर्धारित की गयी है। जहां तक जांच का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष 2024 में जो जांच हुई है, मैं उसे आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा। ग्राम पंचायत पिपरतरई, पथर्रा, अमने, ग्रामवासियों व सरपंच द्वारा शिकायत दर्ज की गयी थी। यह शिकायत 11.06.2024 को प्राप्त हुई थी। उस पर 12 जून, 14 जून एवं 24 जून को निरीक्षण किया गया। इसमें जो वायलेशन पाये गये थे, उस आधार पर उद्योग को 3 लाख 90 हजार रूपये की पेनाल्टी भी लगाई गयी है। इसके अलावा दोबारा जो शिकायत हुई है, उसे रोमहर्षन जी और छविराम जी के द्वारा दिनांक 05.08.2024 को की गयी है, जिसके निरीक्षण करने के पश्चात 9 लाख रूपये की पेनाल्टी अधिरोपित की गयी है। तीसरी शिकायत 12.09.2024 को हुई है, उसमें पुन: 9 लाख रूपये की पेनाल्टी अधिरोपित की गयी है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या केवल पेनाल्टी कर देने से समस्या का समाधान हो गया ? क्या वहां पर प्रदूषण फैलना बंद हो गया ? स्कूल के सामने जो अपशिष्ट गिरा हुआ है, उससे स्कूल के बच्चे स्कूल जाना बंद कर दे रहे हैं। वहां के किसान परेशान हैं। वहां की फसलें खराब हो रही है और सैकड़ों एकड़ फसल प्रभावित हो रही है। आप केवल 3 लाख 90 हजार और 9 लाख रूपये का जुर्माना करके कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आपने जो मानक तय किये हैं, उस मानक के हिसाब से फैक्ट्री चल रही है ? क्या उसकी रेगुलर बेसिस पर कोई जांच होती है कि केवल एक बार फाईन कर दिया और एक साल फुर्सत ? वहां लगातार सिर्फ फाईन हो रहा है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि उस कंपनी को बंद किया जाना चाहिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पेनाल्टी एमाऊंट का प्रश्न है तो Environmental compensation के नियम निर्धारित हैं उसमें Environmental Compensation में पी.आई. पाल्यूशन इंडैक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर यह निर्धारित रहता है। इसमें रेट कैटेगरी उद्योग जो कि एक रेट कैटेगरी उद्योग है। इसमें 60 से अधिकतम 100 के बीच में इसको इंडिगेटर लेना है जो हम कम से कम 80 जरूर लेते हैं। हमारा विभाग 80 जरूर लेता है। फैक्टर ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन ये उद्योग का जितना बड़ा स्केल होता है सूक्ष्म उद्योगों के लिए प्वाईंट 5 और मध्यम उद्योग के लिए 1

और वृहद उद्योगों के लिए डेढ़ है। उसके अनुसार इसको लगाया जाता है। लोकेशन फैक्टर जो शहरी जनसंख्या के आधार पर है। हम उस पर निर्धारित फार्मूला के अनुसार ही फाईन लगा सकते हैं। यह एन.जी.टी. (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) द्वारा जो निर्देश दिये गये हैं उसके अनुसार सी.पी.सी.बी. (सेन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) द्वारा यह फार्मूला डिसाईडेड है। तो इसमें जो मैक्सिम पेनाल्टी कर सकते हैं, हम उतना कर रहे हैं। जैसे सम्माननीय सदस्य ने बताया है कि जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है या रूटिन में जो एक जांच होती है। इसी वित्तीय वर्ष में 3 जांच का उल्लेख आया है तो वहां पर उसमें जाते हैं। सी.टी.ओ. और इंवायरमेंटल क्लियरेंसस की जो शर्तें हैं उसका पालन नहीं पाये जाने पर उसे नोटिस दिया जाता है और उसमें सम-सीमा दिये जाने का प्रावधान है। अगर उस समय सीमा में सुधार कर लेता है तो फिर जितने समय तक वाईलेंशन पाया गया था उसके आधार पर पेनाल्टी करके, उसे चालू किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया है। यह और सी.टी.ओ. के कंडीशन्स को पालन नहीं होने पर नोटिस दी जाती है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूँ कि वह लगातार आपके नियमों का उल्लंघन कर रहा है और लगातार वहां पर प्रदूषण फैल रहा है। लमनेर नाला के माध्यम से अरपा नदी में प्रदूषित जल फेंक रहा है और आप लगातार 3 लाख, 90 हजार और 9 लाख रूपये फाईन करके, उसको चलने दे रहे हैं। मेरा कहना यह है कि वहां के किसान, स्कूल के बच्चे शिकायत कर रहे हैं। वहां अरपा नदी में प्रदूषित जल जा रहा है। आखिर उसको कब करेंगे और लगातार उसके ऊपर कार्यवाही होगी। उस पर केवल एक फाईन करने के बाद, बंद हो जाती है फिर वह अपनी मनमानी करने लगता है। उस पर कब कार्यवाही होगी?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब निरीक्षण किया जाता है और जब जो वाईलेंशन पाये जाते हैं, उन वाईलेंसनों के आधार पर नोटिस दिया जाता है। जो पुन: दूसरी तारीख निरीक्षण की निर्धारित की जाती है उस निरीक्षण तारीख पर वह वाईलेंशन इंप्रूव्ह हो चुके रहते हैं तभी उसे चालू किया जा सकता है। तो जब भी इस तरह की शिकायत आयी है तो वहां पर विभाग ने जांच की है। दूसरे निरीक्षण तक वह ठीक पाया गया है तभी उसको चालू किया गया है। अगर अभी भी वहां पर सम्माननीय सदस्य को कुछ गड़बड़ी नजर आ रही हो तो मुझे लिखित रूप से अलग से दे दें तो मैं विभाग के माध्यम से विभागीय रूप से जांच भी करवा लूंगा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विधायकों की कमेटी बना दीजिए। वहां पर इतनी परेशानियां हैं कि रोज लगातार मेरे पास शिकायतें आ रही हैं। आज भी शिकायतें आ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी को लिखित शिकायत कर दीजिए, आपकी जो भी शिकायत है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विधायक दल की एक समिति बना दीजिए ताकि उसके माध्यम से जांच हो जाए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय,यदि वहां पर सम्माननीय सदस्य को कोई दिक्कत लग रही है तो इसी साल तीन बार निरीक्षण हुआ है। उसे फिर से चालू किया जाता है जब वह सीटीओ के टर्म्स एण्ड कंडीशन्स को पूरा कर रहा होता है तभी उसे चालू किया जाता है। अगर सम्माननीय सदस्य को ऐसा कुछ लग रहा है तो हमें वह लिखित शिकायत दे दें, हम उसकी विभागीय रूप से जांच करवायेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के लोकल लोग लगातार विधायक जी को शिकायत कर रहे हैं। वहां पर हर बार निरीक्षण हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी लगातार गांव के लोग ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह साबित नहीं है कि वहां लोकल लोग शिकायत कर रहे हैं या विधायक कर रहा है। यह प्रश्न से साबित नहीं होता है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,वहां पर लोकल लोग शिकायत कर रहे हैं, माननीय विधायक महोदय बता रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न से साबित नहीं होता है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास शिकायत है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने विषय तक सीमित रहिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह जांच सही होती तो यह परेशानियां दूर हो जाती। वहां पर जांचकर्त्ता अधिकारी सही जांच नहीं कर रहे हैं इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि आप विधायक दल की एक समिति बना दीजिए ताकि उसके माध्यम से जांच करायी जाये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समस्या आती ही नहीं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर जब भी निरीक्षण के लिए जाएंगे तो माननीय विधायक जी को भी साथ में लेकर चलिए। ताकि उनकी जो समस्याएं हैं वहां पर जो गांव वाले शिकायत कर रहे हैं, वह भी दूर हो जाए। उनको साथ में लेकर चले जाएं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- आप इस प्रश्न में कहां से आ गये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमर मंत्री जी जानत हे कि मोर एरिया में कोइला आवत हे। उहां कोइला ओढ़ियाथे तो जम्मो आंखि-कान में चले जाथे। उहां के लइका मन पढ़े बर नइ पावत हे। मोर आपसे निवेदन हे कि पर्यावरण विभाग से ओकर एक ठन जांच करवा दिहा ताकि उहां कोइला लाने वाला लानए तो कम से कम सुरक्षित परिवहन हो।

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार टोप्पों जी अपना प्रश्न करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय रामकुमार जी, वह डिस्टलरी में क्या बनता है, जरा आप बताईये तो? वह वेलकम डिस्टलरी छेरकाबांधा कोटा में क्या बनता है?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय महोदय, आप कहां पर पूछत हावव?

श्री धर्मजीत सिंह :- अरे, ओ फैक्ट्री में बनथे का?

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, वहां पर विधायक महोदय को साथ में लेकर जाईये, उनकी जो समस्या है, वह दूर हो जाएगी।

श्री अटल श्रीवास्तव :- यह गंभीर प्रश्न है इसको भटकाने की कोशिश मत करिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल, गांव के बच्चे लगातार विधायक जी को शिकायत करते हैं। जब निरीक्षण होता है तो उनको साथ में ले जाईये। काम खत्म हो जायेगा। माननीय मंत्री जी यही बात बता दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- यह हंसी मजाक करके आप मन टालव न।

श्री उमेश पटेल :- उनको साथ में ले जाईयेगा। कोई दिक्क्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय मंत्री जी, आप केवल यह बता दीजिए कि आप जांच में जब भी जायें, मैं चाहता हूं कि कोटा के जनप्रतिनिधि भी उस जांच में शामिल हों।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां बच्चे लगातार उनसे शिकायत करते हैं और उनकी समस्या बढ़ती ही जा रही है। निरीक्षण हो रहा है लेकिन उनकी शिकायत है कि सही से निरीक्षण नहीं हो रहा है। माननीय विधायक जी को साथ में ले जायें या इतना कर दें कि जिस दिन यह जांच के लिये जायें उस दिन विधायक जी को जानकारी दे दें ताकि वह पहुंच जायें।

सरगुजा संभाग अंर्तगत "मांझी" समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

6. (*क्र. 620) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या ता.प्र.सं.02 (क्र.1653) दिनांक 26 फरवरी, 2024 में "मांझी" समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने में जाति की मात्रा त्रुटी संबधी समस्या के निराकरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हां तो त्रुटि संबंधी समस्या का निराकरण कब तक हो पायेगा? संपादित प्रक्रिया एवं अद्यतन स्थिति में अवगत कराएं? **(ख)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में वर्तमान में कितने मांझी समुदाय के बच्चे अध्ययनरत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं? संख्या प्रदान करें? **(ग)** कितने विद्‌यार्थी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र ना होने से दसवीं के बाद पढाई छोड़ चुके हैं? संख्या प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) जी हाँ। "मांझी" समुदाय की सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने में जाति की मात्रा त्रुटि संबंधी समस्या के निराकरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकरण का पूर्व प्रकाशित संदर्भ साहित्यों/अभिलेखों के आधार पर परीक्षण किया जा रहा है। शीघ्र ही प्रस्ताव भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रेषित किया जाना है। **(ख)** शालाओं में अध्ययनरत बच्चों की जानकारी यूडाईस पोर्टल में जाति/समुदाय के अनुसार संकलित नहीं की जाती है, इसलिए विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में वर्तमान में मांझी समुदाय के अध्ययनरत बच्चों की संख्या की जानकारी यूडाईस डाटा पोर्टल में उपलब्ध नहीं है। **(ग)** निरंक।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीन अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, समय समाप्त हो रहा है, मैं सीधे प्वाईन्ट में आता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत मांझी और मझुआर समुदाय निवासरत हैं जिनकी जातिगत सेटलमेंट में त्रुटि है । जिसके लिए क्या माननीय मंत्री जी भारत सरकार को उसके निराकरण के लिए प्रकरण भेजा गया है और यदि नहीं भेजा गया है तो क्यों नहीं भेजा गया है?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे कामरेड सदस्य जिन्होंने अपनी सर्विस को त्याग करके राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है। वह नौजवान हैं, लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए उनमें एक ललक है। खास करके जो मांझी समाज हैं जो सरगुजा अंचल में निवास करते हैं। सरगुजा से लेकर जशपुर संभाग अंतर्गत छिटपुट हैं और बड़ी संख्या में सीतापुर विधान सभा में हैं। इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ही कमजोर वर्ग हैं। इस बारे में हमने चिंता किया है। माननीय सदस्य को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने उनकी पीड़ा को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए सदन में इस मामले को उठाया है, इस मामले को उठाया ही नहीं बल्कि उनके साथ कैसे न्याय हो, भारत सरकार से इस समाज को, इस जाति को एस.टी. की सूची में शामिल किया जा सके, इसके लिए आपने जो प्रयास किया है, आपको धन्यवाद देते हुए मैंने निर्णय किया है कि इसका प्रस्ताव बहुत जल्द हम भारत सरकार को भेजेंगे। (मेंजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 फरवरी 2024 विधान सभा बजट सत्र तारांकित प्रश्न संख्या 02 में मैंने माननीय मंत्री जी से यही सवाल पूछा था कि क्या कारण है कि वहां की समस्या नहीं सुधर पा रही है ? उसमें यह जवाब आया था कि उक्त प्रकरण को भारत सरकार को भेजने के लिए प्रक्रियाधीन है और आज जवाब में भी शेम वही है कि प्रक्रियाधीन है। एक-एक दिन करके

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इस समाज के युवाओं का भविष्य खराब होते जा रहा है और प्रक्रिया केवल प्रक्रियाधीन है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा की समय निश्चित करें कि भारत सरकार को कब तक भेजा जायेगा ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में हम लोगों ने काम करते हुए पिछले दिनों 12 ऐसी जातियां थीं जिन जातियों की मात्रात्मक त्रुटि होने की वजह से एस.टी. की सूची में शामिल नहीं थीं, जिसमें मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और भारत सरकार के तत्कालीन राज्य मंत्री और वहां की हमारी लोकप्रिय नेत्री आदरणीय रेणुका सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके प्रयास से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब यहां रायपुर के प्रवास में आये हुए थे, उस समय आपको और मुझे यह जिम्मेदारी दी थी कि इनकी समस्या का समाधान करने के लिए मेरे कार्यालय से संपर्क करके वहां पूरी जानकारी दी दीजिए। ..(व्यवधान)

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष जी, समय निर्धारित करें कि भारत सरकार को कब तक प्रस्ताव भेजा जायेगा ? क्योंकि मुझे लगता है कि अगली बार भी शेम प्रश्न लगाने की आवश्यकता होगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में भाषण का समय नहीं है। माननीय मंत्री जी, भाषण दे रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- माननीय मंत्री जी, आप भाषण मत दीजिए। माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। आप प्रश्न से भागिये मत।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काम हम लोगों ने किया। इसका भी प्रस्ताव हम जल्दी भेजेंगे और एस.टी. की सूची में शामिल ही करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- पत्रों का पटल पर रखा जाना । श्री विजय शर्मा जी पटल पर पत्र रखेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- ओतके सुंदर काम करे हे तेला ओती कइसे बईठार दे हा ? खाली गोठ से पेट नइ भरए, ऐती बइठारओ ।

श्री कवासी लखमा :- आपको इधर बैठा दिया और उनको उधर बैठा दिया ।

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024)

उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/खाद्य/29-2, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखता हूं ।

(3) गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स नेटवर्क (एक सरकारी उद्यम) की वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार गुड्स एंड सर्विसेस अर्थात् वस्तु एवं सेवा, टैक्स नेटवर्क (एक सरकारी उद्यम) की वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 पटल पर रखता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- नियम-138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण सूचना ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल । चलिये, बोलिए ।

पृच्छा

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं । छत्तीसगढ़ जो शांति के नाम से जाना जाता है वह अशांत है, लोग असुरक्षित हैं। लगातार हत्या-बालात्कार की घटना, गोलीबारी की घटना, गैंगवार, बालात्कार, धोखाधड़ी, ट्रेफिकिंग, खनिज के अवैध उत्खनन, शिकार इतनी घटनायें घट रही हैं कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं । पूरे प्रदेश में अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, पुलिस के लोग भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, थाने में हत्या हो रही है, कस्टडियल डेथ (Custodial death) हो रही है । चाहे वह बलरामपुर की बात हो, चाहे गृहमंत्री जी का क्षेत्र कवर्धा में जो लोहारीडीह की घटना घटी वह अभूतपूर्व है । कस्टडियल डेथ (Custodial death) भी हुई, लोगों की हत्याएं हुईं । पुलिस उसे छिपाने की कोशिश करती रही, हम लोगों ने इस मामले में स्थगन प्रस्ताव दिया है अत: आपसे अनुरोध है, चूंकि पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिलों में घटनाओं में वृद्धि हुई है और नये-नये अपराध के तरीके अपनाये जा रहे हैं और पुलिस अपनी पुलिसिंग को छोड़कर और दूसरे कार्यों में व्यस्त है इसलिये हमने इसमें स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इसे ग्राह्य करके चर्चा करायें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, पटेल जी ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे स्थगन प्रस्ताव का जो विषय है यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिये और हम सभी के लिये बहुत महत्वपूर्ण विषय है । लगातार छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनायें हो रही हैं जो आजतक प्रदेश में कभी नहीं हुई हैं । पुलिस का जो आत्मबल है वह बहुत कम हो चुका है, उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है । पुलिस को जिस तरह से काम करना चाहिए, क्रिमिनल के मन में जो एक दहशत होनी चाहिए वह दहशत उनके बीच में नहीं बची है । एक तरफ रायपुर में, कवर्धा में आप कहीं भी चले जाईये वहां लगातार क्राईम का रेट बढ़ते जा रहा है और पुलिस क्या करने में लगी है, पुलिस लगातार विपक्षी पार्टी के विधायकों के ऊपर एफ.आई.आर. करने में लगी हुई है । (शेम-शेम का आवाज) कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक धरना किया जाता है, जिसमें पुलिस से परमिशन ली जाती है, एस.डी.एम. से परमिशन ली जाती है, पुलिस को बताया जाता है कि हम पहले बैरिकेड को नहीं तोड़ेंगे, हम आपको वहीं से ज्ञापन देकर वापस आ जायेंगे और वही होता है । हम सब एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमने भी धरना दिया है, आपने भी धरना दिया है और इसी तरह से

काम होता है, यही हुआ लेकिन मंच पर एक स्लिप ऑफ टंग (sleep of tongue) को लेकर, एक जो बात निकल जाती है उसको लेकर हमारी सारंगढ़ की विधायक उत्तरी जांगड़े के ऊपर कल एफ.आई.आर. दर्ज कर दी जाती है । (शेम-शेम का आवाज) (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, आपत्ति है। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में लगे हैं, विपक्ष के लोग। (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- आप क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- आपने फर्जी एफ.आई.आर. किया है। (व्यवधान)

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- फर्जी एफ.आई.आर. है। (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- छत्तीसगढ़ में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- फर्जी एफ.आई.आर. आप लोगों ने किया है। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाये गये।)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, क्या हम लोग शून्यकाल पर भी नहीं बोलेंगे? क्या हम लोग शून्यकाल में भी अपनी बात नहीं रख सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, सत्य घटना है। क्या हम लोग शून्यकाल में भी अपनी बात नहीं रख सकते हैं? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवधान किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- यह क्या है? संख्या बल के दम पर हम लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। आप हम लोगों की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाये गये।)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12.08 बजे से 12.15 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय
12.15 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, पटेल जी अपनी बात रखिए । (सत्ता पक्ष की ओर से सदस्यों के खड़े होने पर) अब बोलने दीजिए । अपनी बात रखें । आपको भी असर दूंगा मैं शून्यकाल में ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे विधायकों के खिलाफ लगातार एफ.आई.आर. की जा रही है । हम सब मंच से कई बार ऐसी बातें कहते हैं और हम सबने कहा है । मैं इनका उदाहरण दे दूंगा और अगर आप सारंगढ़ की बात कर रहे हैं तो सारंगढ़ के जिला अध्यक्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का वीडियो मेरे पास है । अगर इस बात पर एफ.आई.आर. होती है तो उसके खिलाफ भी एफ.आई.आर. होनी चाहिए । क्यों होनी चाहिए ? क्योंकि मंच से हम लोग कई बार कह देते हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन सही में थोड़े ही बजाते हैं । यह तो स्लिप ऑफ टंग है । उसको लेकर सारंगढ़ में एक विधायक के खिलाफ एफ.आई.आर. किया जाता है और उसके पहले 7 दिन पहले उसके पति के खिलाफ एफ.आई.आर. की जाती है (शेम शेम की आवाज) । जिसमें धान किसी और ने बेचा, वह विशाखापट्नम में है । विशाखापट्नम से उसने खुद सोसायटी को लिखित में दिया कि मेरे बैंक खाते में कोई पैसा आ गया है इसको वापस कर दिया जाए । वह खुद ही लिखकर देता है उसके बाद भी लगातार एफ.आई.आर. की जाती है । मैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार से पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ लगातार एफ.आई.आर. क्यों कर रही है ? पुलिस विभाग को जिस काम में लगाना चाहिए, क्रिमिनलों के पीछे लगाना चाहिए, उसको छोड़कर लगातार कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ और खासकर सतनामी विधायकों के खिलाफ लगा रही है (शेम शेम की आवाज) ।

श्री कवासी लखमा :- क्या दुश्मनी है सतनामी समाज से ?

श्री उमेश पटेल :- क्या दुश्मनी है, इन लोगों के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? पहले उनके पति के खिलाफ एफ.आई.आर. फिर उत्तरी जांगड़े के खिलाफ एफ.आई.आर.। जब इनके खिलाफ एफ.आई.आर. हुई तो यह तो तय हो गया कि उस परिवार को, जांगड़े परिवार को भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है, यह तय हो गया । पहले पति के खिलाफ एफ.आई.आर. किया फिर विधायक के खिलफ एफ.आई.आर. किया, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अब उनके बच्चों के खिलाफ भी एफ.आई.आर. करोगे ?

श्री दिलीप लहरिया :- कुल मिलाकर सतनामी समाज के प्रति इनके मन में द्वेष भावना है । इसलिए विशेषकर टारगेट बनाया जा रहा है । (व्यवधान) लोहारीडीह में जिस तरह से लोगों को रिहा किया गया उसी तरह बलौदाबाजार कांड में निर्दोषों को क्यों रिहा नहीं किया गया ?

श्री सुशांत शुक्ला :- समाज के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- जिस तरह लोहारीडीह में जांच के बाद लोगों को निर्दोष पाया गया और रिहा किया गया उसी तरह बलौदाबाजार कांड में निर्दोषों की रिहाई करिये । आप गुरू परिवार से हैं, आप गुरू होकर मदद् नहीं कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- आप समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे है। दिसम्बर का महीना चल रहा... (व्यवधान) ।

श्री दिलीप लहरिया :- आप गुरू होकर मदद् नहीं कर पा रहे हैं । (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बैठिए। कृपया बैठिए।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, आप बैठिए। मैं शून्यकाल में सबको समय दे रहा हूं। यह बोलने का अवसर है, नारेबाजी करके क्या कर लेंगे। जब मैं अवसर दे रहा हूं, सुन रहा हूं, आपको भी अवसर दिया। दोनों पक्षों के सदस्यों से आग्रह है कि इसका उपयोग करें। बोलने का पर्याप्त समय है, जो भी चाहेंगे मैं समय दूंगा। इसलिए नारेबाजी छोड़कर अपने मुद्दे पर आ जाएं बस।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से इसमें पुलिस विभाग का आत्मबल खत्म हुआ है, कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ एफ.आई.आर. हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस स्थगन पर चर्चा कराएं, हम लोग इसमें वृहद चीजों को आपके सामने लेकर आएंगे। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- लखमा जी बोलिए।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए तो।

श्री कवासी लखमा :- क्योंकि हमारे दूसरे वक्ता विस्तृत बोल रहे थे, ये क्या नारा लगा रहे थे पता नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने विषय में आ जाईए ना।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, ये भटकाने, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपका संरक्षण चाहिए, आपकी मदद चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आप बोलिए।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार को बने हुए 12 महीने हुए हैं। ये विष्णुदेव को क्या हो गया ? विष्णुदेव सरकार जंगल कटवा रहे हैं, आदिवासी लोगों के उपर एफ.आई.आर. करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप विषय में आ जाईए ना।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। हमारे सुकमा, कोंटा में एक परिवार के पांच लोगों को मार दिया जाता है। वह पुलिस का हवलदार है। उनको थाना से बुलाते हैं, आपके गांव में घर में मीटिंग हो रही है, बंडा नक्सलाईड क्षेत्र है, उस पुलिस का महराजगुड़ा में पोस्टिंग है। वह थाना में आता है और सुबह-सुबह जिला मुख्यालय में जाकर एस.पी. को बोलता है, मेरे को गांव में बुला रहे हैं और बंदूक जमा करके भेज देते हैं। उसके पिता, उसके पत्नी पूरे परिवारवालों को मार दिया जाता है। ये विष्णुदेव सरकार कैसे चल रही है ? अध्यक्ष जी, अभी कुतुलनार, बीजापुर और नारायणपुर में नक्सलाईड के नाम से निर्दोष बच्चे लोगों को गोली मार रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कुछ लोग मर गये। विष्णुदेव सरकार को क्या हो गया ? (शेम-शेम की आवाज)

क्या यह सरकार आदिवासी, सतनामी को खत्म करना चाहती है ? कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सरकार के लोग कोई देखने भी नहीं गये। क्या ये नक्सलाईड के नाम से सबको मारेंगे ? पति, पत्नी के उपर एफ.आई.आर. दर्ज कर रहे हैं। न हॉस्टल में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, न शहर में लोग सुरक्षित हैं। रायपुर राजधानी के इंटरनेशनल बस स्टैंड में बलात्कार होता है। यह कैसी सरकार है ? अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारे दल के लोग जो कह रहे हैं उसकी विस्तृत जांच हो, हमारे जान माल का नुकसान न हो। अब जंगल में रहने वाले, शहर में रहने वाले, सरगुजा में रहने वाले लोग कोई सुरक्षित नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल में प्रतिपक्ष और सत्ता रूढ़ दल दो पार्टी होता है। कभी सत्ता बी.जे.पी. के पास आता है, कभी कांग्रेस के पाता आता है, कभी निर्दलीय के पास चला जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 साल से सरकार चला रही है। जो जनता वोट देती है, उन सबको सुरक्षा देने का अधिकार है। अगर जनता की बात उठाने वाला एम.एल.ए. सुरक्षित नहीं है, एम.एल.ए. का पति सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे सरकार चलेगी। इस प्रदेश में पहली बार कलेक्टर ऑफिस में आग लगती है, एस.पी. ऑफिस में आग लगती है, सबसे ताकतवर पी.एम., सी.एम. और डी.एम. होता है। डी.एम. सुरक्षित नहीं है और एस.पी. सुरक्षित नहीं है तो यह देश कैसे चलेगा ? इसलिए इसका विश्लेषण करके हमने इस विषय पर स्थगन दिया है। चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे नारायणपुर की घटना हो, इसकी बात सामने आएगी और जनता के बीच में दूध का दूध हो जायेगा। उधर के लोग भी बोलेंगे और इधर के लोग भी बोलेंगे, तब इसपर अच्छे से चर्चा हो पाएगी। अध्यक्ष जी, आपसे समझदार और कोई नहीं हैं, इसलिए आप इस स्थगन को ग्राह्य कर लीजिए। ताकि हमारे कुतुलनार में जो घटना घटित हुई है, उसको हम यहां पर गंभीरता से उठायेंगे और उसकी जानकारी देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मण्डावी जी।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है। वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बात हो रही है। प्रदेश में लगातार हत्या, डकैती, बलात्कार, नशाखोरी, अवैध शराब के धंधे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उससे पूरा प्रदेश और संपूर्ण सदन चिंतित हैं। मैं 1 जनवरी, 2024 से नवंबर, 2024 तक पिछले 10 महीनों की बात कर रहा हूं। पिछले 10 महीने में हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 936 हत्याएं, 2,691 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी घटनाएं कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन का नारा देते हैं और उनके जशपुर जिले में 52 हत्याएं, 131 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। हमारे माननीय गृहमंत्री जी के कवर्धा जिले में 29 हत्याएं, 35 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है? आज पूरा सदन व संपूर्ण सदस्य इस महत्वपूर्ण विषय पर चिंचित हैं। आपसे आग्रह है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। साहू जी।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- अध्यक्ष महोदय जी, पूरे प्रदेश में अपराधियों का बुलंद है। मैं आपको एक ताजा घटना बताना चाहूंगा कि 15 तारीख को विशुद्ध रूप से एक धार्मिक आयोजन माता देवाला दर्शन यात्रा का चौथा चरण प्रारंभ था। अंतिम दिन हमने एस.पी. साहब को पत्र भी लिखा था कि कृपया वहां पर सुरक्षा बल की व्यवस्था कराई जाएं। परंतु उनकी बहुत कम संख्या में होने और सैकड़ों की भीड़ के कारण वहां पर आपराधिक तत्वों के द्वारा स्वयं पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया गया। दो-तीन कलाकारों को तो मारा भी गया। हमारे प्रदेश का यह हाल है। इस ढंग से अनावश्यक रूप से आपराधिक तत्वों से यदि पुलिस ही असुरक्षित महसूस करे तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि हमारे साथियों के द्वारा सदन में जो स्थगन लाया गया है, उसपर चर्चा कराई जाएं। हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इस विषय पर हमें अन्य क्षेत्रों की भी बात रखने का अवसर मिलेगा। विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक ऐसे जो धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें हमारे लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाएं। प्रशासन दो-चार लोगों को भेजता है तो अपराधी उन लोगों को ही अंदर कर देते हैं। यह हाल है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार कानून-व्यवस्था में छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थिति बनी है, वह यह है कि पहले देश में छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान शांतिप्रिय राज्य के रूप में थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ नहीं, यू.पी. की तर्ज पर छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ माना जा रहा है। अपराध, चोरी, डकैती, बलात्कार से संबंधित सदन में जो आंकड़े आये हैं। गैर जमानती अपराध को जमानती अपराध में तब्दील किया जा रहा है, ताकि सदन में पूरे आंकड़े न आये। राजधानी की यह स्थिति है। मैं विधान सभा के सभी सम्माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यदि आपके रिश्तेदार, दोस्त-यार यहां पर रहते हैं तो आप राजधानी के अंदर जाएंगे तो दिन में भी उनके घर में बेल बजाना पड़ता है क्योंकि दिन में भी उनके घर के दरवाजें बंद हैं। यदि परिवार का मुखिया 10 बजे तक नहीं लौटा है तो परिवार के सदस्य चिंतित हैं और यदि परिवार का सदस्य नहीं लौटा है तो मुखिया चिंतित हैं। दूसरी बात यह है कि आप भी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहें। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 1 साल में दो निर्दोष विधायकों के ऊपर अपराध कायम हुआ। एक विधायक जेल में हैं और एक के ऊपर अभी अपराध कायम किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यह औसत बढ़ते जाएगा। विधायकों के ऊपर गैर जमानती अपराध कायम किया जा रहा है। बलौदा-बाजार जिले में सतनामी समाज के निर्दोषों को जेल भेजा गया। जिनकी रिहाई होनी चाहिए। हमारे सम्माननीय विधायक देवेन्द्र यादव जी के ऊपर 5 मिनट धरना स्थल पर बैठने पर अपराध कायम किया जाता है। अंग्रेज हुकूमत में भी इस प्रदेश और इस देश में आंदोलन हुए थे। यादव समाज, जब हम आंदोलन करना चाहते हैं तो हमें आंदोलन की अनुमति नहीं मिल रही है। अंग्रेज हुकूमत में भी इतना अव्यवस्था नहीं

हुई थी। इसलिए इसमें विस्तृत चर्चा की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको ग्राह्य किया जाये।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लोगों को सुरक्षित रखने और अपराध को रोकने में पुलिस का अहम योगदान होता है। हमारे यहां कानून में सजा के तौर पर मारपीट करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जिला बालोद के थाना अर्जुन्दा में कस्टडी वायलेंस का मामला है। दो युवक ईलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। उनके पीछे-पीछे एक युवक आता है, उसके साथ डाक्टर की बात होती है। लेकिन वहां पर पुलिस विभाग के एक एस.आई. के द्वारा मरीज और उनके अटेण्डेंट के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट किया जाता है। उन्हें थाने में ले जाकर रात भर उनसे मारपीट किया जाता है। जब सुबह वह युवक घर पहुंचता है तो उसके हालात को देखकर उसका पिता पूछता है कि तू कहां था ? तब वह युवक अपने पिता को टी-शर्ट निकालकर दिखाता है तो पीछे पूरे चोट के निशान थे। वहीं पर उसके पिता को पैरालेसिस अटेक आ जाता है और 13 अक्टूबर को उसकी मौत हो जाती है। हमने पीड़ित परिवारजनों के साथ शव को लेकर थाने में प्रदर्शन किया था। वहां पर आश्वासन मिला था, लेकिन आज तक उन पुलिस कर्मियों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण आज लोगों को कानून से भय नहीं दिख रहा है। मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गुरू जी स्थगन में साथ में आना चाहते हैं, तो आ सकते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में यह बहुत चिंता का विषय है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मैं महिलाओं की बात करूंगी। क्योंकि महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, आज रोजमर्रा के जीवन में वह कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस बार इस एक साल में अपराध के जो आकड़ें आए हैं, वह बहुत ही चिंताजनक है। बलात्कार की घटनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। मेरे संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। जशपुर में 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। (शेम-शेम की आवाजें) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र में 19 साल की युवती के साथ रेप हुआ है। ऐसी रेप की घटनाओं के साथ-साथ देखा जाये तो हमारी बुजुर्ग महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। यहां रायपुर में भरे बस स्टैण्ड में 70 साल की महिला के साथ रेप हुआ है। तो यहां की स्थिति को देखा जाये तो चोरी, डकैती के साथ-साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, वह बहुत ही चिंता जनक बात है। चरस, गांजा का व्यापार हो रहा है। पुलिस वाले जब्ती बनाते हैं और अपने घर लेकर जाकर अंदर रखते हैं। गांजा तस्करी चल रहा है, उसमें उनका पूरा हाथ है। तस्करी में उनका सहयोग रहता है। सामने जरूर कार्यवाही करते हैं, लेकिन वह सब मिले हुए रहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए चिंता का विषय है। मैं निवेदन करती हूं कि इस विषय पर

स्थगन लाये हैं, इसे ग्राह्य कर इस पर चर्चा करवाईये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। अपराधी बढ़ गए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोल लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति लेकर दूसरी बात कर रहा हूं। हर बात पर सरकार को घेरने के बजाय ग्राह्यता पर चर्चा कर लें। अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही तो हो रही है। महादेव सट्टा एप के ऊपर कार्यवाही हो ही रही है।(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) शराब घपले में पकड़े हुए लोगों के ऊपर कार्यवाही हो रही है। बिलासपुर में कांग्रेस के दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कारण आत्महत्या हुई थी। अध्यक्ष महोदय, इनको तो स्थगन रखने के पहले सोचना चाहिए था। कल पार्लियामेंट में इनके सबसे बड़े नेता ने सांसद से मारपीट की है। सांसद को मारा। ..(व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- मैं आपको चुनौती देता हूं आपके पास वीडियो है, वीडियो जारी करो। (व्यवधान) वीडियो क्यों रखे हुए हो, क्यों जारी नहीं कर रहे हो ? षड़यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है। ..(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- महादेव सट्टा एप के ऊपर कार्यवाही हो ही रही है । (मेजों की थपथपाहट) शराब घपले में पकड़े हुये लोगों के ऊपर कार्यवाही हो ही रही है । (मेजों की थपथपाहट)

एक माननीय सदस्य :- मुंबई में शिवपुराण सुन रहे हैं । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- बिलासपुर में कांग्रेस के दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, उसके कारण आत्महत्या हुई है । (व्यवधान) ...सोचना चाहिये था कि कल पार्लियामेंट में इनके सबसे बड़े नेता ने सांसद से मारपीट की । (शेम-शेम की आवाज) सांसद को मारा । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, आप गलत बोल रहे हैं, एफ.आई.आर. हुआ है, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, उसके बारे में कैसे बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार नेताम :- आपके गृह मंत्री ...(व्यवधान) बड़े हो गये हैं ।

एक माननीय सदस्य :- हर अपराध के पीछे इनका हाथ है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- कृपया बैठिये । मैं सुन रहा हूँ । आप लोग भी बैठिये । राठिया जी का नाम पुकारा था । आप खड़े हो गये । अपनी बात रखिये ना ।

श्री उमेश पटेल :- उसको विलोपित करिये, जो इस सदन के सदस्य नहीं है...(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने किसी का नाम नहीं लिया है । कल पार्लियामेंट में एक घटना हुई है....(व्यवधान) मैं नाम लेता तो आप बोलते ? मैं नाम नहीं लिया हूँ। (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहब :-एकदम सही बोला है । (व्यवधान) सच्चाई को एक्सेप्ट करो । बलौदाबाजार घटना भी कांग्रेस की देन है । इसे संरक्षण देने वाली पार्टी कांग्रेस पाटी है ।

श्री रिकेश सेन :- [4][xx]

(नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बैठिये । कृपया बैठिये । मैं व्यवस्था दे रहा हूँ । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- जो इस सदन का सदस्य नहीं है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूँ । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जो सदस्य सदन का सदस्य नहीं है, इसके लिये माफी मांगनी चाहिये । (व्यवधान) माफी मांगना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये । (व्यवधान) बैठिये । मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। कृपया शांत रहिये । एक मिनट । कृपया शांत रहिये । मेरी बात सुन लीजिए । बैठिये, बैठिये । कृपया बैठिये । भूपेश बघेल जी कृपया बैठिये । धरम जी, आप भी बैठिये ।

श्री संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, वह हमारे शीर्ष नेता के बारे में बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- विडियो आया हुआ है, आपके ऊपर भी एफ.आई.आर. होना चाहिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- कृपया सदस्य इस बात की चिंता करें, नोट करें कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके नाम को लगाकर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है । मैं इसको कार्यवाही से बाहर करता हूँ । (मेजों की थपथपाहट)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अध्यक्ष महोदय, माफी मांगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपनी बात रखिये, राठिया जी । शांत रहिये । कार्यवाही चलने दीजिए । जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में यह आरोप नही लगाया जा सकता । मैंने उसको कार्यवाही से अलग कर दिया है । बैठे रहिये, जब जरूरत होगी, आपको अवसर दूँगा । राठिया जी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आपने विलोपित किया, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जो इन लोगों ने कहा है और इनके द्वारा जो कहा गया है कि [xx] है, सभी को आप कार्यवाही से विलोपित करें । (व्यवधान)

(नारे लगाये गये)

[4] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके नेता को इसी के कारण इसी मामले में सजा हुई है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- Who are you. (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- आजकल वे बहुत दिन से अंग्रेजी में ही बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नाम लेकर आरोप लगाए गए हैं, वह सामान्य बात नहीं है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- यादव जी, एक मिनट । मैं कोई विषय में नहीं बोल रहा हूं, आप बैठिए न । क्या है कि उधर से एक सदस्य ने बहुत अंग्रेजी बोलना शुरू किया था और इस सदन में लौटकर नहीं आये । (हंसी) यादव जी ने अभी बोलना शुरू किया है, उसके पहले वे पॉच बार जीतकर आये थे ।

श्री रामकुमार यादव :- भविष्य की चिन्ता मत करव, कोन आही, कोन जाही, अभी के चिन्ता करव ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने राठिया जी को अवसर दिया था, कृपया बोलिए । अभी मुझे कई लोगों को सुनना है । आप अपनी बात शुरू करिए, सभी सदस्य धैर्य से सुनिए ।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू है । यहां प्रदेश के सभी जिलों में अपराध की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है । हमने इस संबंध में स्थगन लाया है । मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थगन पर चर्चा कराई जाए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बहुत लचर है । क्योंकि आज पुलिस परिवार के लोग ही अपराध के शिकार हो रहे हैं । सूरजपुर जिला में सिपाही की पत्नी और उनकी बच्चियों की हत्या कर दी गई । आज छत्तीसगढ़ में नशाखोरी बढ़ रही है । आप लोगों ने ढाबा और पान ठेला में भी शराब बेचने की परमिशन दे दी है । (शेम-शेम की आवाज) स्कूल के आसपास गांजा, शराब, नशीला पदार्थ इतना बिक रहा है कि हमारे प्रदेश के छोटे-छोटे बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण उनके परिवार परेशान हैं । हमारी महिलाएं परेशान हो रही हैं । नशेखोरी के कारण आज जगह-जगह हमारे प्रदेश की महिलाएं बलात्कार की शिकार हो रही हैं, चाकूबाजी की शिकार हो रही हैं, महिलाओं के गहने लूटे जा रहे हैं । हमारे प्रदेश में बहिनें सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भारी वाहनों के कारण भी हमारे जन-जीवन में क्षति हो रही है, उसके कारण छत्तीसगढ़ में आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । हमारी छत्तीसगढ़

अशांत हो गया है इसलिए हमारे साथियों के द्वारा इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, उसमें काम रोककर चर्चा कराई जाये ।

श्री शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जब भी अखबार खोलते हैं तो हमें रोज एक नई घटना दिखती है । हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा, डकैती, चोरी यही मामले दिखते हैं और अब यह इतनी आम बात हो गई है कि अब ये हमें चौंकाता नहीं है । हमारे राज्य में होने वाले अपराधों में राज्य की कानून व्यवस्था के खिलाफ चेतावनी के रूप में लेनी चाहिए, न कि एक आंकड़ों के रूप में लेनी चाहिए ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं । कानून का भय और पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है । आज महिलाएं इतनी डरी हुई हैं कि घर से नहीं निकल पा रही हैं । रायपुर में सेन्ट्रल जेल में भी 4 नवम्बर को पुलिस के समक्ष गैंगवार, गोलीबारी की घटना हुई । अपराध के ऐसे कई कारनामें दिख रहे हैं । भारत सरकार की एन.सी.आर. की जो रिपार्ट है, उसमें महिलाओं के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को असुरक्षित राज्य की श्रेणी में रख दिया है और आज महिलाएं हर जगह असुरक्षित हैं। चाहे बस स्टैण्ड की बात हो, चाहे हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, तब भी हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । आज की स्थिति अगर इस तरह से डरी हुई रहेगी क्योंकि आज आम जनता डरी हुई है। चाहे सतमानी समाज हो, साहू समाज हो, आदिवासी हों, सभी वर्ग के लोग डरे हुए हैं। आज कानून व्यवस्था कहॉ है? घटनाएं इस कदर बढ़ गई हैं कि फरवरी से लेकर अब तक 7970 अपराध दर्ज हो चुके हैं। इस तरह से जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उस पर कोई रोकथाम नहीं होने से हम लोगों ने इस पर स्थगन प्रस्ताव लाया है। हमारा निवेदन है कि इसे ग्राह्य किया जाए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था, जब हम लोग बड़े प्यार से गाते थे, कहते थे, बजाते थे, खेलते थे और यह था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। आज नई शुरुआत हो रही है - दैहिक दैविक भौतिक तापा, विष्णु राज तहिं सबही व्यापा। महाराज, इतना परिवर्तन हुआ है एक साल में। विष्णुराज के तथाकथित सुशासन में किसान परेशान, मजदूर परेशान, कर्मचारी परेशान, बेरोजगार परेशान, व्यवसायी परेशान और सब परेशान हैं। सुखी कौन है तो चोर, उचक्के, अपराधी, भ्रष्टाचारी और इस ढ़ंग से जो मर्डरर और माफिया हैं, वह आज बहुत खुश हैं। ये आपके तथाकथित सुशासन का परिणाम है। सूरजपुर में एक निष्ठावान पुलिस कर्मी एक जिला बदर को पकड़ने जाता है, उस पर गोली चलाता है, तो वह आकर उसके बाल-बच्चों की हत्या करके उन्हें बाहर फिकवा देता है, गड़ा देता है और वह उसकी छः साल की बच्ची को भी रेत देता है। गृह मंत्री जी के जिले के बारे में पता नहीं कहें या नहीं कहें, कबीरधाम शायद उन्हीं का जिला है और अध्यक्ष महोदय आपका भी बहुत प्यारा जिला है, वहां जिस प्रकार लोहारीडीह में घटना घट रही है कि हमारे यहॉ

के लोग मध्य प्रदेश जाकर उसे फॉसी पर टॉग देते हैं। वहॉ की जॉचकर्ता पुलिस आती है और फिर से खुदाई का जो निर्देश वहॉ की हाईकोर्ट ने दिया है, उसका परिणाम तो अभी आया नहीं है, मगर सुनने में आया है कि उसके हाथ-पैर टूटे हैं और उसे मारकर वहॉ टांगा गया था। इस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं, आपने वहॉ 100 से भी ज्यादा साहू समाज के लोगों एवं अन्य समाज के लोगों को जेल में डाल दिया है, उसका पता नहीं क्या होगा। बलौदा बाजार में जो पुलिस हमारी रक्षा करने, हमारे अपराधों को रोकने के लिए है, वही पुलिस हमें देखकर दूर-दूर भाग जाती है और अपनी इज्ज़त बचाने का काम करती है और जिला मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय को जलने देती है। मैं तो कहूंगा कि ऐसे पुलिस वालों को आप पुरस्कार के लिए आगे सिफारिश करें, हम लोग भी उनका साथ देंगे। कल सदन में हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी बोल रहे थे कि इन कांग्रेस के लोगों को इतना बोलने का नैतिक साहस कहॉ से आ गया। आप ही बता दो कि आपके एक साल में इतनी सारी दुर्घटनाएं, घटनाएं, बलात्कार, हत्या, मर्डर हो रहा है, हमें कैसे नैतिक बल नहीं मिलेगा? आपको कहॉ से नैतिक बल मिल गया? मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर मैं कह रहा हूं कि आप 15 साल यहां मुख्य मंत्री रहे हैं, आपके जमाने में किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि बाहर से बिहार से, झारखंड से आकर गोली मारकर चला जाए। एकाध घटना हो तो आप ही बता देना। मगर यहॉ एक साल पूरा नहीं हुआ है और बाहर से गोली चलाने चले आते हैं, हत्या करने आ जाते हैं और गोली चलाकर चले जाते हैं। यह क्या हो रहा है? इसे आप भाजपा और कॉग्रेस की दृष्टि से मत देखिए। इस पर हमारी बात सुनिए, इस स्थगन को ग्राह्य कीजिए और चर्चा कराइए, हम बहुत सारे तक्ष्य आपके सामने रखेंगे।

समय:
12.49 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में प्रतिपक्ष के 34 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना	:	श्री भूपेश बघेल, सदस्य
दूसरी सूचना	:	श्री उमेश पटेल, सदस्य
तीसरी सूचना	:	श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
चौथी सूचना	:	श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य
पांचवीं सूचना	:	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य
छठवीं सूचना	:	श्री कवासी लखमा, सदस्य
सातवीं सूचना	:	श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आठवीं सूचना	:	श्री विक्रम मंडावी, सदस्य
नवमीं सूचना	:	श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य
दसवीं सूचना	:	श्री ब्यास कश्यप, सदस्य
ग्यारहवीं सूचना	:	श्री रामकुमार यादव, सदस्य
बारहवीं सूचना	:	श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य
तेरहवीं सूचना	:	श्री इन्द्र साव, सदस्य
चौदहवीं सूचना	:	श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
पंद्रहवीं सूचना	:	श्री दलेश्वर साहू, सदस्य
सोलहवीं सूचना	:	श्री जनक राम ध्रुव, सदस्य
सत्रहवीं सूचना	:	श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य
अट्ठारहवीं सूचना	:	श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सदस्य
उन्नीसवीं सूचना	:	श्रीमती विद्यावती सिदार, सदस्य
बीसवीं सूचना	:	श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य
इक्कीसवीं सूचना	:	श्री संदीप साहू, सदस्य
बाईसवीं सूचना	:	श्री ओंकार साहू, सदस्य
तेईसवीं सूचना	:	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य
चौबीसवीं सूचना	:	श्री इन्द्रशाह मंडावी, सदस्य
पच्चीसवीं सूचना	:	श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य
छब्बीसवीं सूचना	:	श्री बालेश्वर साहू, सदस्य
सत्ताईसवीं सूचना	:	श्री फूलसिंह राठिया, सदस्य
अट्ठाईसवीं सूचना	:	श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य
उनतीसवीं सूचना	:	श्री भोलाराम साहू, सदस्य
तीसवीं सूचना	:	श्रीमती कविता प्राण लहरे, सदस्य
इकतीसवीं सूचना	:	श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य
बत्तीसवीं सूचना	:	श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, सदस्य
तैंतीसवीं सूचना	:	श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
चौंतीसवीं सूचना	:	डॉ. चरणदास महंत, सदस्य

चूँकि श्री भूपेश बघेल सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, इसलिए उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रदेश में अपराधियों के बुलन्द हौसलों के कारण शांत छत्तीसगढ़, अशांत और असुरक्षित होता जा रहा है। प्रदेश में हत्या, हत्या के प्रयास, गोलीबारी, गैंगवार, बलात्कार, धोखाधड़ी, ट्रैफिकिंग, खनिजों का अवैध उत्खनन, अवैध शिकार आदि की घटनाओं में असाधारण वृद्धि हो रही है। प्रदेश के इतिहास में गैंगस्टरो के मध्य दिन दहाड़े फायरिंग की घटनाओं सहित राजधानी रायपुर के सेन्ट्रल जेल परिसर मे 04 नवंबर, 2024 को पुलिस के समक्ष गैंगवार एवं गोलीबारी की घटना, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। ड्रग माफिया, गांजा माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, वन माफिया आदि भी प्रदेश में अत्यधिक सक्रिय होते जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि भारत सरकार के एन.सी.आर.बी. की एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ को महिलाओं के लिए असुरक्षित राज्य की श्रेणी में रखा गया है। पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण के बजाए पिछले वर्ष के आंकड़े संकलित कर बताया जा रहा है कि 2023 में राजधानी रायपुर में 8224 अपराध हुए थे, इससे अभी तीन प्रतिशत कम है, मात्र 7970 अपराध दर्ज हुए हैं। लोहारीडीह घटना में शिव कुमार साहू की हत्या को पुलिस ने आत्महत्या ठहरा दिया था और हत्यारे के ही द्वारा लगभग 150 निर्दोष महिलाओं एवं पुरूषों के विरूद्ध 6 नामजद एफ.आई.आर. कराई गई, जिस पर अनेक गिरफ्तारियां करके जेल दाखिल करा दिया गया। इस मामले में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालयों के आदेश से सही दिशा में कार्यवाही हुई। सरकार के सुशासन एवं विकास केवल विज्ञापनों तक ही सीमित है। पिछले एक वर्षों में रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, जी.पी.एम., दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, बालोद इत्यादि जिलों में दर्ज अपराधों में वृद्धि हुई है। राजधानी रायपुर में दीपावली के समय 48 घंटे मे 6 हत्याओं ने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था का अपराधियों द्वारा आईना दिखाने का कार्य किया गया। सूरजपुर में पुलिस हेड कांस्टेबल की पत्नी एवं बेटी का अपहरण एवं निर्मम हत्या, 18 नवंबर को विधान सभा थाना क्षेत्र के आमासिवनी में गैंगवार में दो लोगों की हत्या कर दी गई एवं तीन युवकों को घायल कर दिया गया। अपराध में नियंत्रण नहीं होने से इस कृत्य में शाला त्यागी नाबालिग बच्चों की संलिप्तता बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों रायपुर में महिलाओं द्वारा गैंगवार कर दुकान एवं घर खाली कराने के नाम से गुण्डागर्दी एवं मारपीट की गई थी। हत्या एवं बलात्कार की अधिकतर घटनाएं नशे के कारोबार से संबंधित हैं। प्रदेश में हत्या, चाकूबाजी, बलात्कार, लूट, ठगी, धोखाधड़ी, चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों ने दैनिक गतिविधि का रूप ले लिया है। रायपुर में व्यवसायियों को अपना व्यापार सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के गैंगस्टर को प्रोटेक्शन मनी देना आवश्यक हो गया है। बिलासपुर जिले में माह अक्टूबर में 6 हत्या, 13 चाकूबाजी की घटना, रायगढ़ में दिन दहाड़े एक्सिस बैंक में डकैती, पुसौर में एक महिला का अपहरण कर 17 लोगों द्वारा गैंगरेप, 25 अक्टूबर को रायपुर कलर्स माल के पास 30 वर्षीय युवती की हत्या, 31 अक्टूबर को पुरानी बस्ती रायपुर में संजय यादव एवं आनंद सिंह की हत्या, तेलीबांधा में कृष वर्मा की हत्या, तिल्दा

में अमन प्रकाश रात्रे की चाकू मार कर हत्या, 19 नवंबर को पुरानी बस्ती रायपुर में एक मजदूर की फावड़ा मार कर हत्या, दुर्ग में प्रशांत साहू की पुलिस द्वारा हत्या। राज्य स्थापना के बाद पहला अवसर है, जब एक वर्ष में अपराध में लगातार हो रही वृद्धि के कारण समाचार पत्रों के मुताबिक उच्च न्यायालय द्वारा दो बार प्रदेश सरकार के काम काज में प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए पूछा है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या नहीं। साइबर क्राईम की घटनाएं भी बड़ी संख्या में अब होने लगी हैं। माइक्रो फाइनेंस करने वाली कंपनियों के साथ अपराधियों द्वारा सांठ गांठ करके ऋण स्वीकृत करा कर उस राशि का इन्वेस्टमेंट करवा कर लाखों महिलाओं के साथ धोखा धड़ी करने की घटनाएं प्रदेश के हजारों गांवों में घटित हो रही है। आम नागरिकों के साथ घटित आपराधिक घटनाओं की पुलिस थानों में रिपोर्ट तक समय पर दर्ज नहीं की जाती। पुलिस की इस कार्यप्रणाली से प्रदेश में दहशत का वातावरण है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

अत: इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए। इसमें माननीय गृहमंत्री जी कुछ वक्तव्य देंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- आपका पूरा विषय आ गया।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय तो आ गया है लेकिन मैं ट्रेजरी बेंच से कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- पहले एक बार जवाब तो आ जाये। उसके बाद आप अपनी बात रख लीजियेगा।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी भी जवाब देंगे तो स्थगन को ग्राह्य कर ले, उसमें चर्चा हो जाये, उसके बाद मंत्री जी उत्तर दे दें।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपकी बात सुन ली। अब आप गृहमंत्री जी की बात सुनिये।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर स्थगन आया है और मुझे विभिन्न सदस्यों की चिंता के निवारण के लिए और उसके निराकरण के लिए सदन में आपके समक्ष सारा विषय रखना है। अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों के आधार पर कभी बात नहीं की जा सकती, स्पेशियली जब लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर बात हो। जब सुरक्षा का विषय हो, तब एक संख्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी हजारो की संख्याएं। पिछली बार भी जुलाई माह में ऐसा ही विषय आया था और उस समय भी चर्चा हुई थी। तब भी मैंने जानकारी दी थी और मैं फिर से एक बार..।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब आसंदी स्थगन का वाचन करते हैं उसके बाद आप सत्तापक्ष को आदेश देते हैं कि इसका जवाब दें तो जो लिखित जवाब है, उसका वाचन होता है, भाषण नहीं होता।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय उपमुख्यमंत्री जी, आप वक्तव्य पढ़ दें। ठीक है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर वक्तव्य पढ़ सकते हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आप कहें, परन्तु मैं भूमिका ही कह रहा था और ...।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी विषय में थोड़ी भूमिका बांधनी ही पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी भूमिका रखना ठीक है। माननीय मंत्री जी, आप वक्तव्य पढ़ दें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में वक्तव्य है। मैं इसको जरूर पढ़ लूंगा, परन्तु एक दो-विषय हैं जिस पर कहना आवश्यक है। माने कुछ बहनों का विषय है, इसमें वह कहना आवश्यक है। यहां पर जैसे मेरी बहन हर्षिता स्वामी बघेल जी ने कहा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय उपमुख्यमंत्री जी, आप बाद में उनका जवाब दे देंगे। पहले अपना वक्तव्य पढ़ लें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिये पहले कहा या इसे ग्राह्य कर लें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय उपमुख्यमंत्री जी, पहले अपना वक्तव्य पढ़ लें। ठीक है। आप लोग भी ध्यान से सुनें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ अशांत एवं असुरक्षित होता जा रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य की पुलिस बेहद संवेदनशील एवं अत्यंत दक्ष है। यह कहना भी सही नहीं है कि हत्या, हत्या के प्रयास, गोलीबारी, बलात्कार, धोखाधड़ी, मानव तस्करी एवं अवैध शिकार के प्रकरणों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वास्तविकता यह है कि उपरोक्त सभी अपराध शीर्ष में लगभग गत वर्षों की तुलना के अनुरूप ही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ में एक और बात कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2021 और वर्ष 2022 की गणना को देखेंगे तो उससे यह बहुत कम है। यह भी एक बात साथ में जोड़ना चाहता हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके साथ में बात नहीं जोड़ सकते हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बोला जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा। अगर हम विषय को नहीं रखेंगे तो सारी बातों को रखा जाएगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेंच इसको स्वीकार कर ले, उसके बाद जितना भाषण देना है, जितना लम्बा भाषण देंगे। हम आपका भाषण सुनेंगे, लेकिन जो मान्य प्रक्रिया है, आप उसका पालन करें। आप अपना लिखित वक्तव्य पढ़े।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार -

दिनांक 04-11-2024 को केन्द्रीय जेल रायपुर के बाहर गेट के पास हुई गोली बारी की घटना में शामिल सभी 09 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। यह घटना 04-11-2024 को हुई था। दिनांक 5, 6 और 08-11-2024 को सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लगातार शराब, ड्रग्स एवं मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। विगत वर्षों की तुलना में यह बहुत अधिक है। वर्ष 2024 में गांजा के 1289 प्रकरण में 1791 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से लगभग 250 क्विंटल गांजा जप्त किया गया है। 335 ग्राम ब्राउन शुगर, लगभग 12 किलोग्राम अफीम, 01 लाख 28 हजार 471 नग टेबलेट, 94 हजार 722 कैप्सूल, 20 हजार 347 इंजेक्शन, हेराईन लगभग 78 ग्राम, कोकिन एवं एमडीएमए टेबलेट बड़ी मात्रा में जप्त किये गये हैं। मादक पदार्थों के अवैध कारोबारियों के विरूद्ध पहली बार राज्य में पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एडवाईजरी बोर्ड का गठन कर, संभागायुक्त को नामांकित किया गया है। हमारी सरकार ने पहली बार मादक पदार्थों के 29 आदतन अपराधियों के विरूद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत निरोध आदेश जारी कर जेल भेजा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में हुआ है। (मेजों की थपथपाहट)

बिलासपुर में कुख्यात नशा तस्कर द्वारा अवैध कारोबार से अर्जित 35 लाख रूपये मूल्य की संपत्ति राज्य में पहजली बार एनडीपीएस एक्ट 1985 के अधीन जप्त की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में कुख्यात नशा तस्कर द्वारा अवैध कारोबार से अर्जित 35 लाख रूपये मूल्य की संपत्ति को अटैच किया गया है। वह भी एनडीपीएस एक्ट 1985 के अधीन जप्त की गई है। यह भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) अवैध नशे के माध्यम से कमाए हुए राशि को अटैच किया जाये और उसको राजसात करने की कवायत की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एण्ड टू एण्ड विवेचना करते हुए बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज स्थापित किये जा रहे है, जिससे पूरे माफिया नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सकें। इस कड़ी में रायपुर पुलिस द्वारा दिल्ली से 03, हिमाचल प्रदेश से 02, रायपुर से 08 कुल 13 आरोपियों को नशीली दवाईयों की तस्करी में गिरफ्तार किया गया जिनमें से नाईजिरियन मूल के 02 मुख्य आरोपी भी है।

मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एण्ड टू एण्ड विवेचना करके, पूरे नेटवर्क को समाप्त करने की छत्तीसगढ़ की पुलिस पूरी कवायद कर रही है। इसमें हिमांचल प्रदेश, रायपुर लोकल और राजस्थान से यहां तक के नाईजिरियन मूल के लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी विषय को पहले बोल रहा था, परन्तु अगली लाईन पर है।

महिला विरूद्ध अपराधों में राष्ट्रीय स्तर में क्राईम रेट 66.4 प्रतिशत है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में यह क्राईम रेट 58.2 प्रतिशत (प्रति लाख व्यक्तियों में) है।

महिला विरूद्ध अपराधों आदि-आदि के विषय में कहा गया कि एनसीआरबी में कुछ ऐसी रिपोर्ट कही गई है जिसमें यह कहा गया कि छत्तीसगढ़ महिलाओं के रहने योग्य नहीं है ऐसा केन्द्र की सरकार की इस एजेंसी ने कह दिया। मैं आपके और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2022 के बाद से एनसीआरबी की कोई रिपोर्ट नहीं आयी। अभी वर्ष 2022 की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा रहा होगा तो एक अलग बात है। वह अपने ही सरकार की तुलना और अपने ही सरकार का आंकलन कर रहे होंगे।

जिला कबीरधाम थाना रेगाखार में दिनांक 15-09-2024 को कचरू उर्फ शिवुकार साहू की हत्या के मामले की विवेचना मध्यप्रदेश पुलिस के द्वारा की जा रही है।

जिला कबीरधाम के रेगाखार के थाने के अंतर्गत उसरवाही के संदर्भ में बहुत बातें हुईं हैं। मैं यह जरूर बताना चाहता हूँ। वहां जिसने जो भी किया हो। यह ईश्वर जानते हैं, वह देख रहे हैं, वहां पर किसी को बोलने से पहले ही निर्णय होकर एफ.आई.आर. मध्यप्रदेश की पुलिस ने दर्ज कर लिया था। उसको हत्या ही माना गया था। किसी ने नहीं कहा था कि वह आत्महत्या है सिर्फ अपनी तरफ से उस विषय पर जुमला ही बनाया जा रहा था।

समय
1.00 बजे

यह कहना सही नहीं है रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, जीपीएम, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद आदि जिलों में अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, बल्कि इन जिलों में भी अपराधों की दर गत वर्षों के अनुरूप ही है या कमी परिलक्षित हुई है।

दीपावली के 48 घंटे में कलरर्स मॉल के पास हुई घटना के अतिरिक्त सभी प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

दीपावली के समय 48 घंटे के अंतर्गत जो हत्यायें हुई हैं, उस पर पर्याप्त कार्रवाई करके तुरंत ही लोगों को गिरफ्तार किया है।

थाना सूरजपुर क्षेत्र में दिनांक 13.10.24 की रात प्रधान आरक्षक की पत्नि एवं अवयस्क बालिका के अपहरण/हत्या के मामले में सभी 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया।

सूरजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रधान आरक्षक की पत्नि एवं अवयस्क बालिका के अपहरण एवं हत्या का दर्दनाक मामला था। मैं आपको इस विषय पर बताना चाहता हूं। इसमें क्या विषय है, इसमें कौन आरोपी है, कांग्रेस के एन.एस.यू.आई. के अध्यक्ष इस हत्या को कारित करने वाले हैं। (शेम-शेम की आवाज) उसमें उनको उनकी पार्टी से निष्काषित किया गया है। वह लोग इसमें पूरा संलिप्त हैं।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

दिनांक 18.11.24 को आमासिवनी के पास हुई मारपीट के मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि आमासिवनी के पास हुई मारपीट के विरूद्ध में जो विषय कहा गया है, उसमें 12 लोगों को गिरफ्तार करके अभिरक्षा में रखा गया है, विवेचना जारी है।

जिला बिलासपुर में माह अक्टूबर 2024 में हत्या के घटित सभी 06 प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है जबकि चाकूबाजी की कुल 08 घटनाएं घटित हुई है सभी प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

जिला रायगढ़ में दिनांक 19.03.2023 को एक्सिस बैंक डकैती की घटना में पुलिस द्वारा 08 आरोपियों को गिरफ्तार कर डकैती हुई सोने के जेवरात एवं नगदी सहित जुमला कीमत 05 करोड़ 62 लाख, 55 हजार 177 रुपये की संपत्ति बरामद कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

थाना पुसौर में दिनांक 22.08.24 को हुई दुष्कर्म की घटना में प्रथम सूचना दर्ज होने के 48 घंटे भीतर घटना में शामिल सभी 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर तथा 02 विधि से संघर्षरत बालकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि फार्म भरकर जेल/बाल सम्प्रेषण गृह भेजा गया जबकि विधि से संघर्षरत 01 और बालक की मृत्यु हो गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसके संदर्भ में कहा गया है। मैं उसके संदर्भ में मुख्य-मुख्य बातों में आ जाता हूं।

दिनांक 30.10.2024 को कलरर्स मॉल के पास 30 वर्षीय युवती की हत्या के संबंध में थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर में अपराध क्रमांक-471/2024 पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है।

दिनांक 31.10.2024 को संजय यादव एवं आनंद सिंह उर्फ आनू की हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

दिनांक 31.10.2024 को तेलीबांधा थाना क्षेत्र में कृष वर्मा की हत्या के मामले में सभी 04 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

जिला रायपुर के तिल्दा में अमन प्रकाश रात्रे की हत्या के संबंध में कोई जानकारी नहीं है अपितु दिनांक 01.11.2024 को तिल्दा थाना क्षेत्र में मृतक ओमप्रकाश रात्रे की धारदार हथियार के हत्या के आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

दिनांक 19.11.2024 को पुरानी बस्ती रायपुर में मजदूर संतोष कुमार की फावड़ा मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। जिला दुर्ग में प्रशांत साहू के हत्या की कोई रिपोर्ट नहीं है।

ऑनलाईन ठगी की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा जनजागरूकता का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत अक्टूबर 2024 में सायबर पखवाड़ा मनाया गया। इस मुहिम में पूरे राज्य में 410 कार्यक्रम कराये गये जिनमें 23 लाख से अधिक नागरिकों तक पहुंचकर उन्हें ऑनलाईन फ्राड के तरीकों से बचने की जानकारी दी गई। राज्य स्तर पर सायबर भवन निर्मित किया गया तथा अत्याधुनिक 1930 हेल्पलाईन का कमाण्ड सेंटर स्थापित किया गया है। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है। इस नंबर के माध्यम से सभी लोग जब भी साइबर क्राईम की स्थिति आती है, तुरंत ही अपनी बात इस पर रख सकते हैं और तुरंत ही नियत समय पर उनके पास सूचना और सहयोग पहुंचेगा। इस हेल्पलाईन सेवा के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस ने अभी तक 36 करोड़ रुपये ठगों के साथ में पहुंचने से होल्ड करायी है। नागरिकों तक और प्रभावी पहुंच के लिए पुलिस द्वारा सायबर वालेंटियर नियुक्त किये है। माइक्रो फायनेंस कंपनियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर विधि सम्मत कार्यवाही लगातार की जा रही है।

वर्ष 2023 की स्थिति में एक साल से अधिक के पुराने 13056 प्रकरण प्रदेश में लंबित थे, हमने पुराने मामलों में शीघ्र कार्यवाही कराकर प्रकरणों का निपटारा कराया गया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में लंबित प्रकरणों की संख्या 7502 रह गई है। हम लोग लगभग आधी स्थिति में पहुंचे हैं।

यह कहना सही नहीं है कि पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, वास्तविकता यह है कि पुलिस में रिपोर्ट की गई सभी घटनाओं पर पुलिस द्वारा त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, जिससे आम जनता में पुलिस एवं प्रशासन के पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है, जनजीवन सामान्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति है तो मैं अन्य विषयों पर एक बार कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विपक्ष के सदस्यों की बात सुनने के साथ शासन के जवाब गृह मंत्री का सुनने के बाद सदन में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी, खुद अपने विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। जो लिखित बयान है, उसके अतिरिक्त बोल रहे थे और बोलना भी चाह रहे थे। आपसे अनुमति ले रहे थे। वह खुद अपने विभाग से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए ट्रेजरी बैंज से हम आग्रह करेंगे कि इसे ग्राह्य करके चर्चा करायें।

श्री सुनील सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि वह मेरे परिवार से संबंधित रहा है। सुरेश सोनी ज्वेलर्स अमलेश्वर के अंदर में दो साल पहले दिनदहाड़े 2 बजे..। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय आ चुका है, वह विषय यहां का है। .. (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजधानी में चोरी, डकैती होती है। .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैंने सूचना को अग्राहय कर दिया है। अब उस पर कोई भी चर्चा करना उचित नहीं होगा। मैं अब ध्यानाकर्षण की सूचना लेता हूं। श्री धरमलाल कौशिक अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में न आदिवासी, न सतनामी, न पिछड़े वर्ग के, न महिलायें, बच्चे सुरक्षित हैं और यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये) (व्यवधान)

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत होगा ।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था वन मंत्री, श्री केदार कश्यप जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन करें ।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए नारे लगाये गये।)

समय :
1.08 बजे

गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा की प्रक्रिया और कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत् निम्न सदस्य अपना स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं ।

1. नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत)
2. श्री भूपेश बघेल
3. श्री कवासी लखमा
4. श्रीमती अनिला भेडिया
5. श्री उमेश पटेल
6. श्री लखेश्वर बघेल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

7. श्री दलेश्वर साहू
8. श्री भोलाराम साहू
9. श्री लालजीत सिंह राठिया
10. श्री दिलीप लहरिया
11. श्री रामकुमार यादव
12. श्री द्वारिकाधीश यादव
13. श्रीमती अंबिका मरकाम
14. श्रीमती संगीता सिन्हा
15. श्री कुंवरसिंह निषाद
16. श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा
17. श्री इंद्रशाह मण्डावी
18. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
19. श्री विक्रम मण्डावी
20. श्रीमती विद्यावती सिदार
21. श्री फूलसिंह राठिया
22. श्री अटल श्रीवास्तव
23. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
24. श्री व्यास कश्यप
25. श्री बालेश्वर साहू
26. श्रीमती शेषराज हरवंश
27. श्रीमती चातुरी नंद
28. श्रीमती कविता प्राणलहरे
29. श्री संदीप साहू
30. श्री इंद्र साव
31. श्री जनक ध्रुव
32. श्री ओंकार साहू
33. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें, मैं निलंबन की अवधि को पश्चात् निर्धारित करूंगा।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बाहर गये)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
1.09 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 59 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत् शामिल किया गया है । विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम तीन ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा जाना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

अध्यक्ष महोदय :- पहले क्रमांक (1) से (3) तक की सूचनाएं ली जावेगी । श्री धरमलाल कौशिक अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ेंगे ।

(1) दवा खरीदी में अनियमितता की जाना

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है कि विभाग के द्वारा दवाई खरीदी में अधिकारियों के द्वारा अनियमितता से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित हो रही हैं । पूर्व में सरकारी अस्पतालों हेतु उपयोग में आने वाले रीएजेंट अधिक मात्रा में खरीदे गए, जिसके कारण 10 करोड़ से अधिक के रीएजेंट/सामग्री गोदामों में ही कालातीत हो गये हैं तथा दिसम्बर, 2024 तक 15 करोड़ के रीएजेंट/सामग्री कालातीत होने वाली है। जहां पर तकनीशियन नहीं है, लैब नहीं है तथा फ्रिज इत्यादि नहीं हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में रीएजेंट क्रय करके भेजे गए हैं। जिससे खमतराई, भनपुरी, बीरगांव, मंदिर हसौद, मानिकचौरी आदि तथा बिलासपुर, बस्तर, रायपुर, दुर्ग एवं सरगुजा संभाग के अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रों में रीएजेंट का स्टॉक कालातीत हो गया है। पूर्व में एक ही कंपनी को 660 करोड़ के रीएजेंट सप्लाई का ऑर्डर दे दिया गया है, जो कि 15 दिन के भीतर ही एक ही प्रदायकर्ता के द्वारा प्रदाय कर दिया गया। इनको 660 करोड़ में से 330 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है जबकि सी.जी.एम.एस.सी. के द्वारा अतिरिक्त स्टॉक को स्वास्थ्य केन्द्रों

से वापस बुलाया गया है और अपने केन्द्रीय गोदाम में रखा है और डिमांड आने पर भेजा जा रहा है। जब स्वास्थ्य केन्द्रों में डिमांड नहीं थी तो वहां रीएजेंट भेजना व वापस बुलाना तथा बिना उपयोग की सामग्री का क्रय कर 300 करोड़ की राशि का भुगतान बिना बजट आवंटन के करना..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कल आप मुझे बैठने के लिए बोल रहे थे। आज श्री धर्मजीत जी उधर भूमिका निभा रहे हैं। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- अनियमितता का उदाहरण है। इसी प्रकार 800 करोड़ रूपये की दवाइयां व उपकरण भी बिना बजट के खरीदी की गई है और फण्ड के अभाव में भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण फर्मों/कपंनियों को आर्थिक तंगी झेलनी पड रही है। पूर्व में रीएजेंट/सामग्री, मेडिकल उपकरणों को अधिकतम खुदरा मूल्यों से लगभग 2 से 10 गुणा से अधिक दरों में खरीदा गया है तथा प्रदेश स्तर पर सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा अन्य मेडिकल उपकरणों की खरीदी भी लगभग 10 से 50 गुणा अधिक दरों पर की गई है और इसके लिए प्रोपाइटरी नियम को बहाना बना कर एक ही कपंनी को लाभ प्रदाय किया गया है। जिसके संबंध मे महालेखाकार ने राशि 660 करोड़ की अनियमिता पाई जाने की पुष्टि की है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट धरमलाल कौशिक जी। एक मिनट रोक रहा हूं।

समय :
1.12 बजे

निलंबन समाप्ति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत् जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हुए थे, उनका निलंबन मैं समाप्त करता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- इस भ्रष्टाचार की जांच सही रूप से नहीं कराये जाने के कारण आमजन में शासन एवं प्रशासन के प्रति भारी रोष है।

समय:
1.13 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि विभाग के द्वारा दवाई खरीदी में अधिकारियों के द्वारा अनियमितता से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित हो रही हैं, अपितु सही यह है कि वर्तमान में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित न हों, इसलिए दवाई की उपलब्धता निरंतर सुनिश्चित की जा रही है।

यह कहना सही है कि पूर्व में सरकारी अस्पतालों हेतु उपयोग में आने वाले रीएजेंट अधिक मात्रा में खरीदे गए, जिसके कारण 10 करोड़ से अधिक रीएजेंट/ सामग्री गोदामों में ही कालातीत हो गये हैं, इस संबंध में अद्यतन जानकारी संकलित की जा रही है।

यह कहना सही है कि जहां पर तकनीशियन नहीं है, लैब नहीं है तथा फ्रिज इत्यादि नहीं हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में रीएजेंट क्रय करके भेजे गए थे, परन्तु वर्तमान में वहां पर फ्रिज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है तथा तकनीशियन की उपलब्धता तथा उपकरण/रीएजेंट का रिलोकेशन निरंतर सुनिश्चित किये जा रहे है, ताकि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके।

यह कहना सही नहीं है कि खमतराई, भनपुरी, बीरगांव, मंदिरहसौद, मानिकचौरी आदि में रीएजेंट का स्टॉक कालातीत हो गया है। सही यह है कि रायपुर जिले के खमतराई में पी.एच.सी./सी.एच.सी. नहीं है तथा भनपुरी, बीरगांव, मंदिरहसौद तथा जिला चिकित्सालय रायपुर में मेडिकल लैब टेक्नीशियन एवं रेफ्रिजरेटर की उपलब्धता एवं रख-रखाव का उचित साधन होने से रीएजेंट कालातीत नहीं हुए।

कुछ जिलों जैसे सरगुजा, बस्तर से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में कुछ रीएजेंट का प्रयोग प्राथ. स्वा. केन्द्र पर नहीं होने के कारण विगत माह कालातीत हो गये हैं।

यह कहना सही है कि पूर्व में एक ही कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल 660 करोड़ के रिएजेंट सप्लाई का ऑर्डर दे दिया गया है और 15 दिन के भीतर ही एक ही प्रदायकर्ता को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया । यह भी सही है कि दिसम्बर 2023 तक इनको 660 करोड़ में से 330 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है, परन्तु दिसम्बर 2023 के उपरांत भुगतान नहीं किया गया ।

यह कहना सही है कि सीजीएमएससी के द्वारा अतिरिक्त स्टॉक को स्वास्थ्य केन्द्रों से वापस बुलाया गया है और अपने केन्द्रीय गोदाम में रखा है और स्वास्थ्य संस्थाओं से डिमांड आने पर भेजा जा रहा है ताकि उपलब्ध रिएजेंट का आवश्यकतानुसार समुचित उपयोग हो सके ।

यह कहना सही नहीं है कि स्वास्थ्य केन्द्रों में डिमांड नहीं थी तो वहां रिएजेंट भेजना व वापस बुलाना तथा बिना उपयोग की सामग्री का क्रय कर 300 करोड़ की राशि का भुगतान बिना बजट आवंटन के करना अनियमितता का उदाहरण है । अपितु सही यह है कि जिन स्वास्थ्य केन्द्रों में रिएजेंट की खपत कम हुई, उन स्वास्थ्य केन्द्रों से रिएजेंट को मंगाकर अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में जहां मांग थी वहां भेजकर युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही निरंतर की जा रही है, जिससे इन रिएजेंट का सही उपयोग हो सके ।

यह कहना भी सही नहीं है कि इसी प्रकार 800 करोड़ रूपए की दवाईयां व उपकरण भी बिना बजट के खरीदी की गई है, परंतु यह सही है कि दवाईयों का भुगतान एवं सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है ।

यह कहना सही नहीं है कि पूर्व में रिएजेंट/सामग्री, मेडिकल उपकरणों को अधिकतम् खुदरा मूल्यों से लगभग 2 से 10 गुणा से अधिक दरों में खरीदा गया है तथा प्रदेश स्तर पर सीजीएमएससी द्वारा अन्य मेडिकल उपकरणों की खरीदी भी लगभग 10 से 50 गुणा अधिक दरों पर की गई है और इसके लिए प्रोप्राईटरी नियम को बहाना बनाकर एक ही कंपनी को लाभ प्रदाय किया गया है । अपितु यह सही है कि विभिन्न निविदाओं में उपकरणों तथा रिएजेंट की दर अलग-अलग आ जाने के कारण इनके दरों में भिन्नता परिलक्षित हुई है । इन्ही कारणों से सीजीएमएससी द्वारा ऐसे अधिक दर वाले उपकरणों एवं रिएजेंट के आर.सी. निरस्त किये गये हैं । जिससे शासन का अतिरिक्त व्यय न हो । शासन द्वारा इस संबंध में की जा रही त्वरित कार्यवाही से तथा विभागीय तौर पर जांच कर इस तरह की अनियमितताओं को नियंत्रित किया गया है । यह सही है कि महालेखाकार ने राशि 660 करोड़ की खरीदी के विषय में अनियमितता का उल्लेख किया है । विदित हो कि महालेखाकार की टिप्पणी उनके कार्य निष्पादन की एक प्रक्रिया है, जिसका नियमानुसार उत्तर बनाकर प्रेषित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । इस संबंध में शासन द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही से आमजन में शासन एवं प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैंने जो ध्यानाकर्षण लगाया और लगभग कंडिकाओं को मंत्री जी ने स्वीकार किया है । उसमें एक ही कंपनी के द्वारा, है तो हजारों करोड़ रूपए का, लेकिन 660 करोड़ रूपए को स्वीकार किया गया और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं बल्कि इसकी पुष्टि महालेखाकार के द्वारा की गई है कि आनन-फानन में ऑर्डर दिया गया । एकल टेंडर पर उनको दिया गया और 15 दिनों के अंदर ही पूरे प्रदेश में उसको सप्लाई कर दिया गया । उसके बाद उनको 330 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया । इस बात को भी मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जहां पर रिएजेंट की आवश्यकता नहीं है, ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी भेजा गया । उसके बाद वहां कालातीत हो गया, बेकार हो गया और इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि 2024 तक और होने की आशंका है ।

सभापति महोदय :- प्रश्न पूछिए ना ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं प्रश्न पूछ रहा हूं लेकिन मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि जिस बात का आरोप हमने लगाया है उसकी महालेखाकार ने इसकी पुष्टि की । मंत्री जी पहले भी उसकी जांच करा रहे हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मोक्षित नामक कंपनी को प्रोप्राइटरी सर्टीफिकेट कि पीडब्ल्यूडीसी डिफेंसिव व उसके रिएजेंट के लिए प्रोप्राइटरी सर्टीफिकेट कब उपलब्ध कराया गया ? पहले यह बता दीजिए उसके बाद आगे बढ़ता हूं ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, मोक्षित कार्पोरेशन फार्मास्यूटिकल है उसका प्रोप्राइटरी है उसको विगत सरकार में 2021-22 में उसका पंजीयन प्रोप्राइटरी के रूप में किया गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह मामला 2022-23 और 2023-24 का है। मैंने जो पहला ध्यानाकर्षण लगाया था, उसमें जवाब आया, मैं उसको केवल आपके सामने पढ़ देता हूं। अभी एक और जवाब आया है जिनको प्रोप्राईटरी दी जाती है, वे जो दवा निर्माण करते हैं....।

सभापति महोदय :- यह आप अभी क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- यह जो पहले का जवाब आया था, उसको पढ़ रहा हूं।

सभापति महोदय :- पहले मतलब अभी ?

श्री धरमलाल कौशिक :- इसी संदर्भित जवाब आया था। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय :- मैं वही क्लियर कर रहा था।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं बताना चाह रहा हूं। इनको जो सर्टिफिकेट दी गयी, उसकी पूरे ऑल इंडिया में एक ही निर्माता हैं। उसको यह सुविधा है कि एकल टेंडर पर सप्लाई का आर्डर दी जाए। यदि उसके अतिरिक्त और है तो जैसे उसमें प्रक्रिया है, कम से कम तीन टेंडर बुलाए जाते हैं और तीन टेंडर के आधार पर उसको स्वीकृत किया जाता है। हमने उसमें पूछा था तो इसमें जवाब दिया गया है कि यह एकमात्र फर्म है जो इस मद का निर्माण संग्रहण कर रहा है और उसमें Yes लिखा गया है। मतलब उन्होंने हां कहा। उसमें किसी अन्य फर्म द्वारा समरूप मद निर्मित विक्रय नहीं किया जाता जिसका उपयोग इसके बदले में किया जा सकता है, उसमें No लिखा है। मतलब यह हुआ कि दूसरी कंपनी भी उसके समरूप दवाई बनाकर जो बाकी चीजें हैं, उसको सप्लाई किया जा सकता है। उसमें भी इनका हां आना था लेकिन इसमें आया है इसका मतलब है कि इस कंपनी के अलावा भी अन्य कंपनी उसको सप्लाई कर रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। यह एकमात्र फर्म है जो इस मद का निर्माण संग्रहण कर रहा है, आपने Yes लिखा है। फिर इसमें किसी अन्य फर्म द्वारा समरूप निर्मित विक्रय नहीं किया जाता जिसका उपयोग इसके बदले में किया जा सकता है, आपने इसमें Yes लिखा है।

सभापति महोदय :- कौशिक जी, आप सीधा प्रश्न पूछ लीजिए ना।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से इसी बात को पूछ रहा हूं। यह दो बातें हैं। यह मंत्री जी के द्वारा जवाब में दिया गया है। इसमें दोनों में Yes दिया गया है, इसका मतलब है कि उसको जो प्रोप्राईटरी सर्फिफिकेट दी गयी है, वह ठीक है। लेकिन आपने एक में Yes और एक में No लिखा है, मतलब उसको दूसरा भी सप्लाई कर सकता है। यदि उसको दूसरा सप्लाई कर सकता है तो फिर एक ही कंपनी को 660 करोड़ किस आधार पर दिया गया या तो आपका पहला उत्तर ठीक है या आपने जो दूसरा जवाब दिया है, वह ठीक है। इसमें से कौन सा जवाब गलत है और कौन सा सही है, यह आप बताएंगे। दूसरी बात, आपने सब चीजों को स्वीकार किया है, इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं जाना चाहता, मैं आपसे केवल यह आग्रह करना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- पहला उत्तर आ जाए फिर दूसरा प्रश्न कर लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, यह बड़ा करप्शन का मामला है, आपकी नीयत ठीक है। यह आपके कार्यकाल का नहीं है। इसमें आपका किया धरा कुछ नहीं है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जिस प्रकार से 15 दिन के अंदर उनको आर्डर देना सप्लाई कराना और दवाई को वहां भेज देना, जहां जरूरत नहीं है, वह कालातित हो जाए, आप इस संपूर्ण प्रकरण की जांच सी.बी.आई. से करायेंगे या यहां की लोकल एजेंसी से करायेंगे और जांच करायेंगे तो कब तक करायेंगे, यह बताईए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, ये मामला बहुत ही व्यापक है। पिछली सरकार की जो भ्रष्टाचार की एक श्रृंखला चली थी, उन श्रृंखलाओं में एक बड़ा श्रृंखला हेल्थ सेक्टर के घोटालों में से एक है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि यह पिछली सरकार ने की है, मैंने शुरूआत में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिम्मा ली और मुझे कुछ दिन समझने में समय लगा। परंतु जिस हिसाब से इसमें जानकारी आई, पिछली सरकार ने सुनियोजित ढंग से इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने के लिए एक ऐसी नीति बनायी गयी। माननीय सदस्य एक प्रोप्राइटरी का उल्लेख कर रहे हैं कि किसी एक कंपनी की मशीन में उसी कंपनी का रिजेंट लगेगा। चाहे वह 1 रूपये की चीज को 10 रूपये में दे, चाहे 1 रूपये की चीज को 20 रूपये में दे। उन्होंने उसी कंपनी का सामान लगने का नियम बनाया था और उसी नियम के तहत् इन्होंने एक फर्म को सुनियोजित ढंग से टेण्डर दिया। इसमें जिस रेट का उल्लेख है, उसकी जांच तो चल रही है। मैं यह नहीं कह सकता कि उसको कितनी ज्यादा दर पर खरीदा गया, परंतु महालेखाकार ने उसपर टिप्पणी की है। माननीय सभापति महोदय, उसमें मैंने 660 करोड़ रूपये का रिजेंट स्वीकार किया है और 15 दिन के अंतराल में purchase order दे दिये गये। चूंकि यह चुनाव से पहले का मामला था, इसलिए शायद और कोई बात रही होगी। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह काम इतनी तेजी से हुआ। ऐसी जगहों में ये रिजेंट भेज दिये गये, जहां पर उनके उपकरण, लैब व कर्मचारी नहीं थे। पूरा मामला मेरे संज्ञान में आने के बाद जब मैंने उसको जांच हेतु संज्ञान में लिया तो हमने उसका भुगतान टोटल बंद कर दिया। पिछली सरकार के समय दिसम्बर माह तक जितने भुगतान हुए थे, हो सकता है कि दिसम्बर में हमारी सरकार आने के बाद भी थोड़ा-बहुत रूटीन में हुआ हो, लेकिन दिसम्बर के आखिरी में मंत्री पद को ग्रहण करने के बाद जैसे ही यह जानकारी आई, तब से आज तक हमने कोई भुगतान नहीं किया है। चूंकि यह राज्य की संपित्त है तो इसको सुनियोजित ढंग से डाका डालने के एक syndicate के रूप में प्रयास किया गया। मैं हमारे CGMSC के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सुनियोजित ढंग से प्लान करके बस्तर से, सरगुजा से 83 करोड़ रूपये के रिजेंट को वापस बुलवाकर उसको उपयोग में लाया। यहां तक कि इनके द्वारा जल्दी-जल्दी में ऐसी-ऐसी दवाइयों को रिजेंट भेजा गया था, जिनको 10 डिग्री से नीचे रखना था। वहां कोई रेफ्रिजरेटर नहीं था तो हमने आनन-फानन में 629 रेफ्रिजरेटर खरीदकर उन रिजेंट को बचाने का काम किया। उसको ऐसी-ऐसी जगहों में

भेजा गया था कि यदि वहां पर लाइट कट हो जाती तो रिजेंट खराब हो जाता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज मुझे इस सदन में यह बताना पड़ता कि 300 करोड़ रूपये की दवाई खराब हो गई। लेकिन हमने 653 जगहों में यू.पी.एस. खरीदे और उसके लिए 355 टेक्निशियन स्वीकृत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय सभापति महोदय, यह बताते हुए मुझे बहुत खेद हो रहा है कि सदस्य ने तो 10 करोड़ रूपये के ही रिजेंट खराब होने की बात कही है, लेकिन अभी तक 28 करोड़ रूपये से अधिक के रिजेंट खराब हो चुके हैं और अभी और भी रिजेंट खराब होने की आशंका है। हमारी सरकार zero tolerance की सरकार है। चूंकि एक प्रश्न बन सकता है कि हमने साल भर तक इसकी जांच क्यों नहीं की ? हम क्या कर रहे थे ? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सो नहीं रहे थे। चूंकि यह मामला बहुत व्यापक है। यदि हम जांच में उलझते तो हो सकता है कि सरकार के 300 करोड़ रूपये के रिजेंट खराब हो जाते। लेकिन हमने विभागीय स्तर पर पूरा plan करके बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों से, जहां इन रिजेंट की सप्लाई हुई थी, वहां एक ऐप बनाकर इसको वापस बुलाया और उन जगहों में भेजने का काम किया, जहां पर वह नहीं है। मैं एक और बात सदन को बता रहा हूं कि एक साल हो गये, लेकिन हमने आज तक 1 रूपये का कोई रिजेंट अपने हॉस्पिटलों के लिए नहीं खरीदा है। हम उसी का ही उपयोग करके शासन का पैसा बचाने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या आप इस मामले में सी.बी.आई. से जांच कराएंगे ? यदि इतनी बड़ी घटना घटित हुई है तो आप यह बताइये कि इसपर क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, अभी हम इसकी और जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जैसा उचित होगा, उसकी आगे जांच करेंगे।

सभापति महोदय :- सुशांत शुक्ला जी।

श्री सुशांत शुक्ला :- धन्यवाद, सभापति महोदय। चूंकि इस विषय पर मेरा भी ध्यानाकर्षण लगा था। मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार के संरक्षण में स्वास्थ्यगत व्यवस्थाओं के लिए।

सभापति महोदय :- आप सीधे प्रश्न पूछिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- जी, मैं सीधे प्रश्न पर आ रहा हूं कि जो सामग्री खरीदी हुई, उसमें नीतिगत व्यवस्थाओं के कारण 350 करोड़ रूपये के रिजेंट खराब हुए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह दस्तावेजी प्रमाणीकरण कहता है। बोगस तौर पर मांग बनाकर उसपर सामान खरीदी की गई। क्या संबंधित माननीय मंत्री जी इसकी सी.बी.आई. जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट। मूणत जी, आप भी पूछ लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आज मेरा भी पांचवें नंबर पर यही प्रश्न लगा है। सामान्य रूप से मैं छोटे-छोटे दो प्रश्न पूछकर यह समझना चाहता हूं कि दवाई खरीदी के पहले क्या विभाग की जिले से demand मंगवाई जाती है ?

सभापति महोदय :- वह दूसरा भी पूछ लीजिये।

श्री राजेश मूणत :- दूसरा, बिना डिमाण्ड के इतनी दवाईयां जिन अधिकारियों ने खरीदी, जिसके अन्दर खुले आम नियमों का उल्लंघन हुआ, यहां तक स्वीकार किया। यहां तक कि 6 सौ करोड़ रूपये की दवाई एक कम्पनी से नहीं खरीद सकते थे, लेकिन खरीद ली, उसके अंदर सब कुछ हुआ। इस क्या इस प्रकरण की जांच छत्तीसगढ़ की एजेंसी ई.ओ.डब्ल्यू. से करायेंगे क्या ? जरा दो चीज स्पष्ट कर दीजिये।

सभापति महोदय :- मंत्री जी बताईये। इनका भी, उनका भी, एक संग जवाब दे दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें एक आपका भी ध्यानाकर्षण है और मेरा भी है।

सभापति महोदय :- अब उसको देखेंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री सुशांत शुक्ला जी ने प्रश्न पूछा है, साढ़े तीन सौ करोड़ रूपये से ऊपर की दवाई खराब होने की बात कर रहे हैं। उतनी अधिक मात्रा में रिजेन्ट खराब नहीं हुआ है, मैंने बताया। ध्यानाकर्षण में तो 10 करोड़ रूपये का था, लेकिन मैने ईमानदारी से बताया कि 28 करोड़ रूपये के आसपास आकड़ा पहुंच गया है। अभी और खराब हो सकता है, परन्तु हम कोशिश कर रहे हैं कि आंकड़ा ज्यादा ना बढ़े। हम पूरे विभाग को इसमें पूरी तरह से लगा रहे हैं।

हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य मूणत जी ने सप्लाई के सन्दर्भ में डिमाण्ड की बात की है। निश्चित रूप से जिलों से डिमाण्ड आता है। जिलों से डिमाण्ड होने के बाद डायरेक्टर हेल्थ, सी.जी.एम.एस.सी. को खरीदी का आर्डर देते हैं। इसमें 15 दिन में खरीदी हुई है। एक में शुरूआत में तो आर्डर दिया गया है। लेकिन जो दोबारा खरीदी हुई है, उसमें डायरेक्टर हेल्थ की ओर से डिमाण्ड नहीं दिया गया है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी ने बात कही। मैं मंत्री जी से इतना ही पूछ रहा हूं कि ..।

सभापति महोदय :- तीन ध्यानाकर्षण होना है। अब हो तो गया।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जब आप कह रहे हैं कि हम डिमाण्ड लेते हैं तो कितना डिमाण्ड से ज्यादा सप्लाई हुई और किसकी जिम्मेदारी है ? अगर सरकार की डिमाण्ड नहीं है और आप उससे डबल खरीद रहे हैं तो किसी न किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तो होगी ?

सभापति महोदय :- चलिये, वह जांच करा लेंगे।

श्री राजेश मूणत :- बस, इतना ही घोषणा कर दें, जिससे भी जांच कराये।

सभापति महोदय :- आप अपना पूछिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय मंत्री जी, जिस व्यक्ति ने डिमाण्ड से ज्यादा सप्लाई करवाई और डिमाण्ड से ज्यादा खरीदी की, क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? प्रकरण की जांच करायेंगे क्या ? आप इसकी घोषणा कर दें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह मामला बहुत व्यापक है और आर्थिक रूप से गड़बड़ी का मामला है। इसलिए सभी सदस्यों की मंशा के अनुरूप इसको मैं राज्य के आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो(ई.ओ.डब्ल्यू.) से जांच कराने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

(2) प्रदेश में सहकारी गृह निर्माण समितियों में रहने वाले निवासियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए शुल्क की मांग किया जाना।

श्री राजेश मूणत (रायपुर पश्चिम) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- प्रदेश की सहकारी गृह निर्माण समितियों में रहने वाले निवासियों से जब भी वे सोसायटी के पास अपने भूखण्ड या भवन को अन्य पक्ष को विक्रय करने के लिए एन.ओ.सी. मांगने जाते हैं तो उनको सोसायटी द्वारा एन.ओ.सी. शुल्क देने कहा जाता है और सोसायटी के एन.ओ.सी. के बिना राजस्व विभाग उनका बटांकन इत्यादि कोई भी कार्य नहीं करता है। ये सोसायटियों कालोनी वालों से एन.ओ.सी. शुल्क तो वसूल करती है, किन्तु सोसायटी में पेयजल, स्ट्रीट लाईट, साफ-सफाई, सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण का कोई कार्य नहीं कराती है और इसके लिए नगर निगम में संपर्क करने की मशवरा देती है। इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2009-10 में इस हेतु एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सभी तथ्यों का अध्ययन व परीक्षण करने के बाद यह अनुशंसा की थी कि रजिस्ट्रार सहकारी गृह निर्माण समिति इस हेतु बने नियमों में संशोधन कर सोसायटी से एन.ओ.सी. लेने की व्यवस्था को समाप्त कर दे। यह रिपोर्ट विधान सभा में प्रस्तुत होने के बाद सहकारिता विभाग ने वर्ष 2014 में इसके बायलाज में परिवर्तन कर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया । विभाग के इस निर्णय के विरूद्ध वर्ष 2014 में सोसायटी वालों ने माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच में अपील भी किया था, जिस पर सिंगल बेंच ने वर्ष 2017 में शासन के आदेश को निरस्त कर दिया । शासन द्वारा इसके विरूद्ध डबल बेंच में अपील की । डबल बेंच ने भी 2018 में सिंगल बेंच के निर्णय को बरकरार रखा । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सार बिंदु यह था कि नियमों में परिवर्तन करने के लिए किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रजिस्ट्रार सहकारी गृह निर्माण समिति चाहे तो अपने स्तर पर ही निर्णय कर सकते हैं । इस निर्णय के बाद रजिस्ट्रार गृह निर्माण को स्वयं निर्णय लेकर नियमों में सेशोधन कर देना था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया । इस स्थिति के चलते आज इन

सहकारी समितियों में रहने वाले आम लोग अत्यंत ही परेशान है एवं सोसायटी पदाधिकारियों द्वारा बिना मतलब उन्हें परेशान करते रहने से उनमें अत्यंत आक्रोश व्याप्त है ।

सहकारिता मंत्री (केदार कश्यप) :- गृह निर्माण सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा अपने भूखण्ड या भवन को अन्य पक्षों को विक्रय करने के लिए NOC शुल्क का कोई प्रावधान उपविधि में नहीं है अपितु पानी, प्रकाश, नालियों की सफाई आदि के प्रबंधन हेतु सदस्यों से उचित शुल्क वसूल करने का प्रावधान है । यह सही है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के क्रियाकलापों की जांच हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 28.04.2010 को 05 सदस्यीय राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों के सदस्यों भूखण्ड/भवन विक्रय पत्र द्वारा अन्य व्यक्ति को अंतरण की स्थिति में NOC की आवश्यकता होने पर इसे संस्था द्वारा नि:शुल्क दिये जाने की अनुशंसा की गई थी । तत्पश्चात विभाग द्वारा गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की उपविधि में संशोधन की कार्यवाही एवं उसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से संबंधित बातें सही है । रिट अपील में पारित आदेश में पंजीयक सहकारी संस्थाएं को विधि के प्रावधान अनुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होने का उल्लेख किया गया था । गृह निर्माण सहकारी समितियों के बॉयलाज में संशोधन हेतु पंजीयक सहकारी संस्थायें छ.ग. द्वारा अधिकारियों की कमेटी का गठन किया जा चुका है, कमेटी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । सदस्यों की सुविधा के लिए भूखण्ड/भवन के हस्तांतरण की प्रक्रिया को परदर्शी करने हेतु NIC के माध्यम से ऑनलाईन माड्यूल विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है, अत: विभाग द्वारा की जा रही उक्त पहल के प्रकाश में गृह निर्माण संस्थाओं के सदस्यों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

सभापति महोदय :- मूणत जी ।

श्री राजेश मूणत :- सम्मानीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने सामान्यत: जो उत्तर दिया है, वह डिपार्टमेंटली उत्तर है । यह वर्ष 1980-1985 से लेकर वर्ष 1990 और वर्ष 2000 तक जब हाऊसिंग बोर्ड वगैरह नहीं था, तब को-आपरेटिव सोसायटियॉ बनती थी, को-ऑपरेटिव सोसायटियॉ प्लाटों के ऊपर सहकारी समिति के माध्यम से निर्माण कार्य करती थी । सभापति महोदय, लोगों को मकान लिये 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गये, उनके प्लॉट खाली पड़े हैं, नगर निगम सड़क बना रही है, नगर निगम डेवलपमेंट कर रहा है, नगर निगम पानी दे रहा है, सब कुछ नगर निगम दे रहा है, उस सोसायटी में कोई भूखण्ड भी खाली नहीं है, लेकिन वह सोसायटी अपने नाम पर बनी हुई है । सभापति महोदय, आज तक का इसमें सबसे बड़ा मामला यह बनता है कि आपने पिछली बार, जब आप भी उस समय कैबिनेट मंत्री थे और इसी हाऊस में हमने फैसला करके निर्णय किया । उस निर्णय में स्पष्ट कहा है कि अब NOC की आवश्यकता नहीं है । यह निर्णय हुआ, इसमें कमेटी बनी और कमेटी की सिफारिश के आधार पर निर्णय हुआ । उसके बाद कैबिनेट से भी निर्णय हुआ, लेकिन वह कोर्ट गये । कोर्ट के

अंदर अपील करने विभाग को जाना था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के अंदर यह धंधा बरकरार रहा । माननीय सभापति महोदय, अगर आपको मकान खरीदना हो तो आप भी गृह निर्माण समिति में जायेंगे । आप पड़ोसी से कहेंगे कि मकान खरीद लेंगे, आप सोसायटी में जायेंगे तो सोसायटी वाला कहेगा कि 200 रूपया स्कवेयर फीट चाहिये, उसके बिना एनओसी नहीं दूंगा । आप कहें तो मैं अपना उदाहरण देता हूं मैं स्वयं इसका भुग्तभोगी हूं और उस सरकार के समय में मैंने सचिव स्तर के अधिकारी को फोन करके बोला कि मान्वयर, एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं है तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं सर ? यह स्थिति है । मैं आपके विभाग के अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं कर सकता हूं, लेकिन उन लोगों ने बिना पैसे के काम नहीं किया ।

सभापति महोदय :- मूणत जी, यह तो लंबा भाषण हो गया है, आप प्रश्न पूछ लीजिए । आप क्या चाहते हैं, वह प्रश्न पूछिए ।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आम जनता को राहत देने के लिए सासाइटियों से एन.ओ.सी. खत्म करेंगे क्या ? इसमें पूरे प्रदेश के हजारों लोग हैं, जो पहले 1980, 1990 के पहले की डेव्हपल सिटी हो चुकी है, जिसका कोई लेना-देना नहीं है ।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, मैंने अपने ध्यानाकर्षण के उत्तर में ही इस बात को स्पष्ट किया है कि गृह निर्माण सहकारी संस्था जो हमारे माध्यम से समितियां चलती हैं, वह एक अलग-अलग विचारधारा पर नहीं, बल्कि एक कार्य पद्धति के आधार पर, एक संस्कृति के आधार पर एकरूपता रहती है, उसके आधार पर समिति बनती है और उसमें बहुत सारी बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति न प्रवेश कर जाये, जिसके माध्यम से पूरी कॉलोनी की व्यवस्था खराब हो । इस दृष्टि से माननीय सदस्य का विषय भी लगातार आ ही रहा है, लेकिन एनओसी का जो विषय है, जो गृह निर्माण सहकारी संस्था है, उसके अंतर्गत एनओसी देने में शुल्क लेने का कोई प्रावधान नहीं है, यह मैंने स्पष्ट कहा है। यदि इस संबंध में यदि कहीं पर कोई विषय आया है तो माननीय सदस्य उसकी जानकारी दे दें, हम जांच करवाएंगे ।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैं जानकारी नहीं, हजारों प्रुफ दे दूंगा। मैं जानकारी देने में किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता । कोई भी सोसायटी में आम व्यक्ति जैसे अगर आप भी रहते हैं, आप किसी से भी पूछिएगा, सभापति जी, आपके पास भी कई लोग आते होंगे, सोनी जी रायपुर के मेयर रहे हैं, यहां पर भी सदस्य बनकर रहे हैं । आप भी विधायक हैं । कोई भी सोसायटी जिसका 100 प्रतिशत डेव्हलपमेंट हो चुका है, जहां पर नगर निगम ने सब कुछ सुविधा दे दी, जहां पर उसका एक भी प्लाट नहीं बचा, उस सोसायटी का महत्व क्या है ?

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछिए कि आप क्या चाहते हैं ?

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैं इतना ही चाहता हूं । इसमें दो विवाद हैं । पहला विवाद यह होता है कि जिस समय सोसायटी का गठन हुआ, उस समय उन सोसायटियों का रिकार्ड दुरूस्त नहीं हुआ और रिकार्ड दुरूस्त नहीं होने के कारण वह राजस्व विभाग में नहीं चढ़ा है और राजस्व विभाग में चढ़ने के कारण नहीं, जब वह मामला तहसील आफिस में जाता है तो वे कहते हैं कि सोसायटी से लिखवाकर लेकर आओ ।

समय :
1:44 बजे **(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)**

जब वह सोसायटी में लिखवाने जाता है, तब सोसायटी वाले स्पष्ट कहते हैं कि वहां पर जो भी चेयरमैन होगा, डायरेक्टर होगा, आप कहेंगे तो मैं कई लोगों के नाम का उल्लेख कर दूंगा, जिन लोगों ने रायपुर शहर की कई सोसाईटियों में कई एकड़ जमीन की हेरा-फेरी की है और बेचकर चले गए । मेरा इतना ही निवेदन है कि आम जनता को राहत देने की दृष्टि से ऐसे हजारों लोग हैं, जो कहीं न कहीं भटकते हैं । उनके लिए एक सप्ताह में, 15 दिन में, दो महीने में क्या आप कमेटी बनाकर जहां पर आवश्यकता होगी, अब एनओसी की जरूरत नहीं है, जो कोई नई सोसायटी बना रहा है, जब तक वह डेव्हपल हो तो कोई बात नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुरानी सोसाईटियों में अब एनओसी की जरूरत नहीं रहेगी, खाली इतनी ही आपको करना था कि आम जनता को राहत मिल जाये ।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, गृह निर्माण सहकारी समिति का उद्देश्य हो जाने के पश्चात् संस्था की आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव एवं संस्था के आवेदन पर नगर पालिका निगम, नगर पालिका स्थानीय प्रशासन को हैण्ड ओव्हर करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संबंधित हमारे विभाग यथा, जैसे हमारे कॉपरेटिव्ह का है, फिर हमारे नगरीय प्रशासन, राजस्व, पंजीयन, इन विभागों की अंतर्विभागीय कमेटी का गठन करके इसको तत्काल निराकण करने की दिशा में काम करेंगे। सभापति महोदय, जिसके माध्यम से कमेटी बनाकर जो भी मामले आयेंगे, उसका तत्काल निराकरण करने का प्रावधान करेंगे।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैं आपके सामने विषय रख रहा हूं। रायपुर की समता सोसायटी नगर निगम को सालों से हैण्ड ओव्हर हो गयी है। वहां रोड बन गई, नाली बन गई, खंभे लग गये, गार्डन सुधर गया, आज भी नगर निगम उसका संधारण करता है। लेकिन यदि वहां आपको अपना मकान बेचना है, तो आपको सोसायटी की एन.ओ.सी. चाहिए। बिना उसके रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री नहीं होती और उसका नक्शा भी पास नहीं हो सकता। चौबे कॉलोनी, रायपुर की सबसे पुरानी कॉलोनी है। उसमें भी यही है कि सबकुछ बेच चुके हैं, कहीं कुछ नहीं बचा है। नगर निगम को हैण्ड ओव्हर हो गयी, उसे नगर निगम देख रहा है, फिर भी उसकी एन.ओ.सी. चाहिए। आपको ऑफिस में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जाना पड़ेगा, जो उनके चेयरमैन होंगे या कोई भी होगा। साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कोई छोटा-मोटा भ्रष्टाचार नहीं है। यह करोड़ों अरबों रूपये का भ्रष्टाचार है। इस रायपुर शहर के अंदर सोसायटी में बैठे हुए पदाधिकारी 200 रूपये, 300 रूपये और 500 रूपये वर्गफिट मांग रहे हैं। जब एन.ओ.सी. नहीं मिलेगी तो गरीब को राहत कहां से मिलेगी ? पहले सोसायटी का मूल उद्देश्य यह था कि कॉपरेटिव्ह सेक्टर के लोग जब कोई गृह निर्माण समिति बनाये, उस समिति के सदस्य बने, ताकि उनको प्लॉट मिले और वे अपने मकान बनाये। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कोई पारिवारिक आवश्यकता पड़ गई, और वह मकान बेचकर जाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को एन.ओ.सी. देने में क्या तकलीफ है ? जब हाऊसिंग बोर्ड फ्री होल्ड कर सकता है, हाऊसिंग बोर्ड एन.ओ.सी. खत्म कर सकता है, आर.डी.ए. फ्री होल्ड कर सकता है, एन.ओ.सी. खत्म कर सकता है तो यह हजारों सोसायटियां जो फर्जी रूप में चल रही है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको खत्म करके क्यों न हम जनता को एक मुश्त राहत दे दे ? मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है। आप बहुत संवेदनशील हैं, सब सोचते हैं और आप 15 साल पहले भी रहे हैं और अभी फिर मंत्री हैं। मेरा आपसे आग्रह हैं कि आप जनहित में इसका निर्णय जरूर करें।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राजेश मूणत जी ने अच्छा सुझाव दिया है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जो हमारी समितियां बनती है, उसमें एक विचारधारा के लोग रहते हैं, एक संस्कृति के लोग रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहां पर हमारे माननीय राजेश मूणत जी और उसी विचार के परिवार के लोग रहे या उसी संस्कृति के लोग रहे और वहां पर कोई मध्यपान करने वाला है या फिर मांसाहारी व्यक्ति आ जाये या इस प्रकार की किसी गतिविधि वाला व्यक्ति आ जाये तो पूरी कॉलोनी की स्थिति खराब होती है। कहीं न कहीं आपका सुझाव अच्छा है, हम उस पर विचार करेंगे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय मंत्री जी, आप ऐसा बोलेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे आश्चर्य लग रहा है। जब कोई कॉपरेटिव्ह सोसायटी के मेंबर बनता है और कोई प्राईवेट सोसायटी के मेंबर बनता है, तो उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सरकार सोच रही है कि बड़ी-बड़ी कॉलोनियों में ई.डब्ल्यू.एस. के लिये 15 प्रतिशत आरक्षित जमीन रखी जाये। जहां लोग आकर रहे, जहां सब तरह के लोग रहे, वहां काम करने वाले भी मिल जाये, सब मिल जाये। लेकिन आप ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि उससे वातावरण खराब होगा। मैं आपको नाम लेकर उस कॉलोनी के गठन का कह रहा हूं।

श्री केदार कश्यप :- मैंने उसमें कहा है।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि आप एक गाइडलाइन तय कर दें कि 2010 के पहले तक की जितनी कॉलोनी बनी, उनको फ्री होल्ड किया जाये। अगर वह 25 साल, 30 साल, 35 साल पुरानी कॉलोनी है। उसमें यदि किसी पुराने व्यक्ति को आवश्यकता है और यदि वह व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है और वह बेच भी देता है तो उसको अनिवार्य रूप से एन.ओ.सी.

लेना पड़ता है। यदि वह 40 साल पुरानी सोसायटी है तो उसको एन.ओ.सी. लेना पड़ेगा और बिना एन.ओ.सी. के, बिना लेन देन के काम होगा नहीं। उसके बाद उसकी रजिस्ट्री भी नहीं होगी। उसका नक्शा पास नहीं होगा। मेरा इतना ही निवेदन है कि 2010 के पहले जितनी कॉलोनियां बनी हैं, वह सब डेव्हलप हो चुकी है। आप केवल उसको मुफ्त कर दें और आज जो कमेटी की बात कह रहे हैं। पहले कमेटी बन चुकी है। मेरे ही कार्यकल में कमेटी बनी और उस कमेटी की रिपोर्ट आयी और यहां तक की कैबिनेट में उसका निर्णय हुआ। हम लोगों ने निर्णय के उपरांत यह फैसला किया। हम उसको लेकर हाईकोर्ट गये। फिर हाईकोर्ट ने कहा कि यह रजिस्ट्रार के अधिकार में है। इसमें कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यह रजिस्ट्रार बना सकता है और उसकी घोषणा कर सकता है। आपको विभाग वाले घूमा रहे हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है और आपके उत्तर में है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप केवल इतना ही कर दें, इससे प्रदेश की जनता को राहत होगी।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा कि हमने इसके लिए एक कमेटी गठित की है। पिछले 5 वर्षों में इस पर कुछ नहीं हुआ, यह भी सत्य है, लेकिन मैं, आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारी जितनी भी गृह निर्माण समितियां हैं उनके उद्देश्य की पूर्ति और उसकी दृष्टि से यदि हमको मध्यप्रदेश या महाराष्ट्र की जितनी गृह निर्माण समितियां हैं यहां पर हम उनके माध्यम से क्या अच्छे से लागू कर सकते हैं। हमें उस दृष्टि से भी काम करना पड़े तो हम यह करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि हम इंटर डिपार्टमेंट कमेटी के माध्यम से ऐसे जो भी मामले आएंगे। अभी इसमें मैं यह देख रहा था कि ऐसे कितने मामले आये हैं तो हम लोगों ने उसका भी निराकरण किया हुआ है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय मंत्री जी, आप महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं आप जहां का भी उदाहरण दे रहे हैं। मैं उस सब में सहमत हूँ। मैंने कहा कि यह दोनों चीजें अलग हैं। मध्यप्रदेश के जमाने में कॉपरेटिव सोसायटी बनती थी उस समय हाऊसिंग बोर्ड वगैरह इतने नहीं थे तब सब लोग कॉपरेटिव सोसायटी बनाते थे, कर्मचारी सोसायटियां बनती थीं। मैं तो केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप वर्ष 2010 के पहले, मैं उसके बाद की नहीं कह रहा हूँ। जिस सोसायटी का 25 साल हो गया हो, मैं आपको केवल इतना कह रहा हूँ। हम छत्तीसगढ़ में 25 वें वर्ष के अंदर पहुंच गये। जिस सोसायटी का 25 वर्ष पूर्ण हो चुका है, उन सोसायटियों में एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के पहले अगर 25 सालों में सब कुछ डेवलपमेंट करने के बाद में भी। यहां पर अब मैं उन व्यक्तियों के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि वह व्यक्ति यहां नहीं है। नहीं तो ऐसे कई व्यक्तियों के नाम दूंगा जो कॉपरेटिव सोसायटी में बैठे हैं और वे लोग करोड़ों की कई जमीनें बेचकर चले गये। जो स्कूल की जमीन थी उसको रेसिडेंशियल में बेचकर चले गये। आप कोर्ट में केस लड़ते रहिए। वहां पर कॉपरेटिव सोसायटी वाले बैठे हैं वहां कौन क्या करने वाला है। मैं, आपसे इस गोरखधंधे पर रोक लगाने के लिए आग्रह कर रहा हूँ कि आपके खाते में हजारों जनता की दुआएं आएंगी। माननीय केदार जी, मैं आपसे

यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप वरिष्ठ मंत्री हैं, समझदार हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इस पर एक निर्णय लें। आपकी वर्ष 2025 में घोषणा हो, उसके बाद महीने भर, दो महीने में ऑर्डर निकले। इतना ही आपको कहना है कि राज्य निर्माण के बाद जो भी सोसायटी, उसके पहले वाली सोसायटी को एन.ओ.सी. नहीं लगेगी।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी आप बताईये? इसमें बहुत चर्चा हो गई है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही स्पष्ट कर दिया है कि माननीय सदस्य ने इस पर जो अपने विचार व्यक्त किये हैं हम उस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे और जो हमारी अंतर विभागीय समिति का गठन होगा, उसके माध्यम से करेंगे। हम लोगों ने जो ऑन लाईन ट्रेकिंग का मॉडल अपनाया है, उसके माध्यम से से भी हम इन सब चीजों पर नकेल कसने का काम करेंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है। माननीय मूणत जी, इसमें बहुत चर्चा हो गई।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, आप यह नहीं देना चाहते हैं तो मेरा आपको धन्यवाद्। जिस विभाग में खुलेआम करोड़ो की लेनदेन होती है। यह मैं भी समझता हूँ। मैंने भी इन सब चीजों पर काम किया है। पूर्व में इस पर कमेटी बन चुकी, उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। अब फिर किस चीज की कमेटी बनेगी? जब इसमें सब कुछ हो चुका है। मैं कुछ चीजों से बंधा हुआ हूँ इसलिए अपनी सीमा के अंदर रहकर, इतना ही आग्रह करता हूँ। आपने कहा है तो आपको मेरा धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- कार्यसूची के पद 3 के उप पद (4) से (59) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुये माने जायेंगे। सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा।

04. श्री राजेश मूणत
05. श्री राजेश मूणत
06. श्री इन्द्रशाह मंडावी
07. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह
08. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री विक्रम मंडावी
09. श्री अजय चन्द्राकर, राजेश अग्रवाल, श्रीमती भावना बोहरा
10. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह
11. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, राजेश अग्रवाल
12. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह

13. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह
14. श्री राजेश अग्रवाल
15. सर्वश्री राजेश अग्रवाल, रामकुमार टोप्पो
16. श्री विक्रम मंडावी
17. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
18. श्री विक्रम मंडावी
19. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
20. श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री बालेश्वर साहू
21. श्रीमती शेषराज हरवंश
22. श्री अनुज शर्मा
23. श्री रोहित साहू
24. श्री द्वारिकाधीश यादव
25. श्रीमती शेषराज हरवंश
26. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
27. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
28. श्रीमती शेषराज हरवंश
29. श्री दलेश्वर साहू
30. श्री दिलीप लहरिया
31. श्री दिलीप लहरिया
32. श्री रामकुमार टोप्पो
33. श्री विक्रम मंडावी
34. डॉ. चरणदास महंत
35. श्री धरमलाल कौशिक
36. श्री द्वारिकाधीश यादव
37. श्री विक्रम मंडावी
38. श्री पुन्नूलाल मोहले
39. श्रीमती चातुरी नंद
40. श्रीमती चातुरी नंद
41. श्री धरमलाल कौशिक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

42. श्री ओंकार साहू
43. श्री सुशांत शुक्ला
44. श्री सुशांत शुक्ला
45. श्री अटल श्रीवास्तव
46. श्री अटल श्रीवास्तव
47. श्री ललित चन्द्राकर
48. श्री इन्द्र साव
49. श्री इन्द्र साव
50. श्री बालेश्वर साहू
51. श्री कुंवर सिंह निषाद
52. श्री भूपेश बघेल
53. श्री दिलीप लहरिया
54. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
55. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
56. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
57. श्री बालेश्वर साहू
58. श्री बालेश्वर साहू
59. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम

समय
1.56 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

सरकारी उपक्रमों संबंधी संबंधी समिति का चतुर्थ एवं नवम् प्रतिवेदन

सभापति (श्री अमर अग्रवाल) :- सभापति महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चतुर्थ एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समय
1.56 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

01. श्री धरम लाल कौशिक
02. श्री अनुज शर्मा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

03. श्री ललित चन्द्राकर

04. श्री बघेल लखेश्वर

05. सुश्री लता उसेंडी

06. श्री ओंकार साहू

07. श्रीमती अंबिका मरकाम

समय
1.57 बजे

अशासकीय संकल्प

(1) सदन का यह मत है कि "विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में शक्कर कारखाना प्रारंभ किया जाये।"

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन का यह मत है कि " विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में शक्कर कारखाना प्रारंभ किया जाये।

सभापति महोदय :- सुशांत शुक्ला जी।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय पुन्नूलाल मोहले जी द्वारा जो अशासकीय संकल्प लाया गया है कि विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में शक्कर कारखाना खोला जाये, वह एक जायज मांग है। मुंगेली चूंकि कृषि प्रधान जिला है। काली मिट्टी के साथ वहां पर लगभग 1006 हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। पंडरिया, कवर्धा की दूरी आपस में 25 किलोमीटर के बीच में है जिसमें पूर्व से ही 02 शक्कर कारखाने स्थापित हैं। लेकिन मुंगेली की दूरी 40 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, क्योंकि यह लगातार देखने में आ रहा है कि दूरी ज्यादा होने की वजह से किसान गन्ने के उत्पादन के बजाय दूसरी उपज के उत्पादन में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से ऐसी मांग है कि इस अशासकीय संकल्प को पारित किया जाये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, पहले मुझे बोलने दिया जाये।

सभापति महोदय :- ठीक है, आप बोलिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मुंगेली जिले में लगभग रकबा 1 लाख 23 हजार एकड़ में धान की खेती होती है। आज की स्थिति में 3000 एकड़ में गन्ने की खेती हो रही है। मुंगेली जिला में कोई औद्योगिक केन्द्र नहीं है और न कोई उद्योग है। गन्ने की खेती के लिए अगर मैं उदाहरण दूं तो पंडरिया और कवर्धा में 02 शक्कर के कारखाने हैं और वह 25 किलोमीटर की दूरी में हैं। वह मुंगेली से 45 किलोमीटर की दूरी में है। अत: मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में शक्कर कारखाना खोलना आवश्यक है। क्योंकि किसानों को फसल चक्र के अनुसार धान की बिक्री पर, दोबारा धान की फसल लेने पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने की कोशिश जारी है और जुर्माने की परिस्थितियां बनने की ओर हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए मुंगेली क्षेत्र में काली मिट्टी है, उपजाऊ है, गन्ने की खेती के लिए पर्याप्त

संसाधन हैं। इसलिए मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में शक्कर कारखाना खोलना आवश्यक है। शक्कर कारखाना खोलने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों की आमदनी में बढोत्तरी होगी। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं तो धान की फसल लेने से 1 एकड़ में सरकार की मंशा के अनुसार 21 क्विंटल धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदती है। सरकार को लगभग 6800 रुपये बिक्री करने से मिलता है और उनका खर्च लगभग आधी कीमत आती है। मानकर चलिये, किसानों को 40,000 रुपये से ज्यादा लाभ नहीं मिलता। गन्ने की खेती करने पर गन्ने की खेती में 1 एकड़ में डेढ़ लाख की आमदनी होती है। मुंगेली के आसपास रहने वाले वहां एक आशीष तिवारी किसान हैं। उनकी 100 एकड़ जमीन है और वह चेठूकांपा के रहने वाले हैं। वह 110 एकड़ में खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि मुझे 1 एकड़ में डेढ़ लाख फायदा और करीब 2 लाख तक प्रति एकड़ फायदा होता है। गन्ने की खेती 03 साल के लिए होती है। धान की खेती एक बार होती है, दोबारा उसी धान की उपज नहीं होती। फिर धान को लगाना पड़ता है, पर गन्ने की खेती 03 साल तक लेनी पड़ती है। उसमें कम मात्रा में होता है और यदि हमारी खेती 3 हजार एकड़ में हो रही है तो 3 हजार एकड़ में किसानों की धान की फसल में लागत मात्र उनको 15 क्विंटल मिलता है, 15 करोड़ रूपये की बिक्री होती है और गन्ने की खेती में 45 करोड़ की बिक्री होती है इससे मतलब 2 गुना ज्यादा किसानों को गन्ने की खेती में लाभ मिलेगा । अगर 4 गुना बढ़ जाये, अगर कारखाना खुलता है तो बढ़ेगा और उससे 1 करोड़ से ज्यादा का फायदा किसानों को मिलेगा । इन परिस्थितियों को देखते हुए अगर गन्ने की खेती के लिये किसान घूम-फिरकर गन्ना बेचने पंडरिया जाते हैं, 45 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, वहां 4-5 दिन उसको रूकना पडता है, उसे कम समय में भुगतान भी नहीं होता, भुगतान में कई प्रकार के अड़ंगे आते हैं और किसान को परेशानी होती है । अगर मुंगेली में कारखाना खुले तो किसान परेशानी से बचेंगे, उनको किराया भी नहीं देना पडेगा और किसान फसल चक्र परिवर्तन से भी बचेंगे क्योंकि धान बार-बार लगाने से जमीन कम उपजाऊ हो जाती है, इन परिस्थितियों को देखते हुए कहें तो किसानों को लाभ के लिये आवश्यक है कि मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में गन्ने की खेती हो रही है और ज्यादा बढ़ने की स्थिति है । चूंकि कारखाना दूर है इस कारण कम गन्ने की खेती कर पा रहे हैं अत: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुंगेली जिले के, मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में जमीन यदि कहें तो मैं 4 जगह जमीन बता दूं कि कहां-कहां कारखाना लगेगा । गन्ने के कारखाना के लिये एक झगरहटा है, 50 एकड़ से 75-100 एकड़ जमीन वहां है । दूसरा भटगांव है, वहां 100 एकड़ शासकीय जमीन उपलब्ध है । तीसरा है छटन ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय पुन्नूलाल जी के संकल्प में गन्ना कारखाना के साथ-साथ हवाई अड्डा भी जोड़ दिया जाये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ठीक है, जरूरी है । यदि आप चाहते हैं तो वैसा भी हो सकता है लेकिन आप बार-बार क्यों कहते हैं ? आपको मुंगेली से कौन सी ऐसी परेशानी है, जिससे आप बार-बार बोलते

हैं ? आपके यहां क्षेत्र में धमतरी साईड में होता है तब तो मैं नहीं कहता, यह मजाक है तो दोनों हो जाये । आप प्रस्ताव रख दें। माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि गन्ने की खेती में ज्यादा बढ़ौत्तरी होती है तो 4 जगह है, एक भटगांव भी है । मैंने बताया कि एक छटन है और एक झगरहटा है और एक धनगांव है । वहां सभी जगह 100-100 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है । जहां सरकार चाहे परीक्षण करे, वह सड़क से लगा हुआ है । राष्ट्रीय मार्ग से भी दूरी कम है, राज्यमार्ग की दूरी पर है जिससे यदि गन्ने का कारखाना खुलता है तो लोगों को आवागमन की पर्याप्त सुविधा मिलेगी । लोगों को पर्याप्त जगह मिलेगी, वहां खोलने के लिये जगह है अत: मुंगेली जिले में, मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के इन 4 गांवों में और अन्य भी जहां खेती है लेकिन मैं यह प्रमुख 4 गांव बताना चाहूंगा । इसके लिये मैं अनुरोध करूंगा कि मुंगेली में गन्ने का कारखाना खोलने के लिये, प्रारंभ करने के लिये अनुमति दी जाये ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे इस सदन के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य और कई बार के सांसद, विधायक और कई बार के मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले जी द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में शक्कर कारखाना प्रारंभ किया जाये, मैं इसका समर्थन करने लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं चूंकि जब अजीत जोगी जी की सरकार थी तो हम लोगों ने 9 महीने के अंदर भोरमदेव शक्कर कारखाना की स्थापना करायी और उस कारखाने के कारण कवर्धा क्षेत्र के पोड़ीबोड़ला क्षेत्र में और कवर्धा क्षेत्र में और उसका बहुत कुछ असर बेमेतरा तक भी गया, वहां पर गन्ने की खेती प्रचुर मात्रा में हो रही है और हमारे किसानों को गन्ने का केश क्रॉप मिल रहा है, उनकी आमदनी बढ़ी हुई है और उससे स्पष्ट रूप से संपन्नता दिखाई देती है । डॉ. रमन सिंह जी के राज में पंडरिया के पास सरदार वल्लभभाई पटेल शक्कर कारखाना खुला । तुरू से मोहतरा, कनझेटा, पोड़ी, बोड़ला का जो क्षेत्र पांडातराई से लगा हुआ है वह सब उसमें लाभांवित हो रहा है और वहां पर भी एक आर्थिक संपन्नता की ओर न केवल उस शक्कर कारखाने से किसान आर्थिक हुए हैं बल्कि उस शक्कर कारखाने के प्रोडक्ट और बाईप्रोडक्ट से भी सरकार को करोड़ों रूपए की आमदनी हो रही है। सभापति महोदय, मैं इस सदन में इसी शक्कर कारखाने की मांग के लिए एक अशासकीय संकल्प पहले भी रखा था लेकिन आज हम अपनी सरकार से आशान्वित होकर यह संकल्प रख रहे हैं। शायद विष्णुदेव साय की सरकार में यह पहला शक्कर कारखाना होगा जिसके लिए आप सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति देने का कष्ट करेंगे। इस कारखाना के बनने से मुंगेली के किसी भी गांव के किसी भी क्षेत्र में आप अगर शक्कर कारखाना स्थापित करेंगे तो पथरिया, सरगांव, लोरमी, तखतपुर, सेदगंगा और बहुत हद तक पंडरिया का कुछ ऐसा एरिया जो शक्कर कारखाना से दूर है, वे सब इसमें लाभान्वित होंगे। अगर आप शक्कर कारखाना की सैद्धांतिक स्वीकृति देते हैं तो एक काम भर करना पड़ेगा जो कि हमारे अनुभव के

आधार पर हम लोग बोल रहे हैं, शक्कर कारखाना खुलने में एक साल का समय था, हमने एक साल पहले किसान गोष्ठी का आयोजन करवाया, किसान गोष्ठी के आयोजन से किसानों को प्रेरित किया, महाराष्ट्र से हाई क्वालिटी के गन्ने का बीज मंगवाया और उस बीज को गांव में दिया गया जिसमें शक्कर की गुणवत्ता और शक्कर की मात्रा ज्यादा रहती है, उससे प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। आपको इस बात को सुनकर खुशी होगी कि कवर्धा जिले के दो शक्कर कारखानों में शक्कर प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, प्रोडक्शन मतलब जो गन्ने के अंदर से शक्कर निकलता है, वह रेशियो भी दूसरे कारखानों की तुलना में ज्यादा है। मुंगेली के शक्कर कारखाने से करगी रोड कोटा के भी बहुत से गांव आएंगे, पथरिया, सरगांव का भी एरिया टच होगा, तखतपुर एरिया जो बिलासपुर शहर के आसपास हैं, उसको छोड़कर पूरा एरिया टच होगा और बरेला की तरफ भी होगा। वैसे भी मुंगेली, लोरमी क्षेत्र में खुड़िया डैम का पानी है, पानी की जरूरत वाला भी गन्ना होगा, बिना पानी वाला भी गन्ना होता है। वहां पर ऐसी चीज जरूर खोलना चाहिए जिसमें हमको भी लगे कि हमारे यहां कोई उद्योग है। यह तो एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री है, हमारे यहां न तो लोहा है, न कोयला है, न पत्थर है, न रेत है, इन सब चीजों से हमारा क्षेत्र वंचित है। परंतु हमारे यहां पानी है, किसान हैं, नहर है, खेती है, मेहनत है, सबकुछ है। हमको अपनी उपज ऐसा पैदा करने के लिए आप ऐसा संयंत्र दीजिए जिसमें हम पैदावार करके अपने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि श्री विष्णुदेव साय की सरकार के एक साल के बाद माननीय मंत्री जी अगर आप थोड़ी सी भी रूचि लेंगे, एक बहुत ही वरिष्ठतम सदस्य का सम्मान करना चाहेंगे, हम सब भी उससे लाभान्वित होंगे तो एक शक्कर कारखाने का को-ऑपरेटिव्ह सेक्टर का है, उसका सिस्टम बना हुआ है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यह कोई बहुत बड़ी लागत का भी नहीं है। मंत्री जी ने 320 करोड़ रूपए दवाई का घपला बता दिए, उतने में तो एक शक्कर कारखाना लग जाएगा। एक भ्रष्टाचार पर चाबी कसिए, एक शक्कर कारखाना खुलवा दीजिए। आप मुंगेली में शक्कर कारखाना खोलने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दीजिएगा। इसे वापस लीजिए मत कहिएगा, क्योंकि यह हमारे किसानों की आवाज है, हम अपने किसानों की आवाज को यहां रखने के लिए आए हैं और हम पुरजोर ताकत से यह मांग करते हैं कि मुंगेली में शक्कर का कारखाना खोला जाना चाहिए ताकि बिल्हा, पथरिया, कोटा, लोरमी, तखतपुर, इन सब विधान सभाओं के किसान वहां पर लाभान्वित हो। सभापति महोदय, आपको मालूम होना चाहिए, हमारे यहां हरियाण के किसान कई-कई सौ एकड़ खेत में गन्ना लगाए हुए हैं, वे गुड़ का पाउडर बनाकर देते हैं। हमारे यहां तो गुड़ के पाउडर बनाने का कोई नियम ही नहीं है। मैं कल माननीय गृह मंत्री जी के यहां बैठा था, मुझे अच्छा लगा, वे आई.टी.आई. में गुड़ के ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसी ही चीजों का ट्रेड बना करके ट्रेनिंग देना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे भी उसमें पढ़कर नौकरी पा सकें, हमारे किसानों को लाभ मिले, हमारे किसानों को को-ऑपरेटिव्ह बेस पर 2,000-3000 रूपये का शेयर होल्डर बनाकर

उस कारखाने को खोलिये। यह कोई बहुत बड़ा कारखाना भी नहीं है, जिसपर आपको बहुत लंबा विचार-विमर्श करना पड़ेगा। एक छोटी सी लागत में हजारों एकड़ में किसानों को खुशहाली दिखेगी, हरियाली लहराएगी, गन्ने का स्वाद मिलेगा, मीठा गन्ना पैदा होगा, बढ़िया शक्कर पैदा होगा और हमारे किसानों के हालात और उनकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। मैं इस संकल्प का बार-बार पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। पुन्नूलाल मोहले जी का यह जो संकल्प है, यह जनहित में है। इसको स्वीकृति देना जनहित में आपका भी धर्म है। कृपा करके इसको स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा करें। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। धरमलाल कौशिक जी।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय पुन्नूलाल मोहले जी के द्वारा मुंगेली में शक्कर कारखाना खोलने के लिए जो अशासकीय संकल्प लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम फसल चक्र परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन फसल चक्र परिवर्तन की बात करने के बाद यदि आप धान का रकबा देखेंगे तो धान का रकबा लगातार बढ़ते जा रहा है और इसलिए लोगों ने बाकी फसलों को बोना कम कर दिया है। धान की तरफ सबका झुकाव बढ़ा है तो निश्चित रूप से हम जो फसल चक्र परिवर्तन की बात करते हैं, वह केवल कोरी कल्पना रह जाएगी और अधूरी रह जाएगी। इसलिए यदि हम आर्थिक रूप से सक्षमता और किसानों की इंकम की ओर देखेंगे तो धान के बदले उनको यदि किसी उपज में सबसे ज्यादा रेट उपलब्ध होगा तो वह गन्ने से ही संभव है। गन्ना कारखाना लगाने से धान के रकबे में कमी आएगी और गन्ने के रकबे में वृद्धि होगी। गन्ने के रकबे में वृद्धि होगी तो शक्कर का उत्पादन होगा और शक्कर के उत्पादन से हमारे पूरे प्रदेश और दूसरे प्रदेशों को भी लाभ मिलेगा। इससे केवल मुंगेली जिला ही नहीं, बल्कि मुंगेली जिले के साथ में बिलासपुर जिला, तखतपुर, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र, बेमेतरा जिला, नवागढ़ और कवर्धा के आसपास कुंडा के पहले के सब गांव लाभान्वित होंगे। मैं समझता हूं कि यह कारखाना केवल 1 जिले के लिए नहीं, बल्कि सभी जिलों के लिए लाभप्रद होगा।

समय :
2.13 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहले जी के द्वारा मुंगेली में शक्कर कारखाना खोलने के लिए जो अशासकीय संकल्प लाया गया है, इसका हम समर्थन करते हैं। आपने पण्डरिया में एक शक्कर कारखाना खोला, कवर्धा (कबीरधाम) जिले में पहले से एक शक्कर कारखाना है, बालोद जिले में एक शक्कर कारखाना है और सरगुजा में भी एक शक्कर कारखाना है। मैंने कहा कि मुंगेली में शक्कर कारखाना खोलने से हमारे 4 जिले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात, यदि आप बारीकी से देखेंगे तो धान के रकबे में वृद्धि हो रही है। धान के रकबे की बजाय किसानों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

को ज्यादा सक्षमता के साथ आर्थिक रूप से प्रबलता की ओर ले जाने के लिए यदि किसी दूसरी फसल से उनको लाभ मिल सकता है तो वह गन्ना है। जब मुंगेली में शक्कर कारखाना लगेगा तो अभी गन्ने का जो रकबा है, उस रकबे में भी वृद्धि होगी और गर्मी में पानी का समुचित रूप से उपयोग होगा। बरसात में तो वैसे भी बारिश होती है। इससे खुड़िया और बाकी डेम के पानी का भी उपयोग होगा। किसान बहुत अच्छा गन्ना लगाएंगे। गन्ना लगाकर उससे शक्कर और गुड़ बनाने से बाकी लोगों को भी उसका लाभ मिलता है। निश्चित रूप से मुंगेली में शक्कर कारखाना लगने से शक्कर का ज्यादा उत्पादन होगा और उसका हमारे कृषकों को लाभ मिलेगा। यदि आप उस क्षेत्र में देखेंगे तो मुंगेली जिले में ऐसा एक भी बड़ा उद्योग, कारखाना या फैक्ट्री नहीं है, जिससे लोगों को रोजगार मिले। वहां खेती के अलावा जीविकोपार्जन के साधन के रूप में रोजगारपरक ऐसा कोई दूसरा संसाधन भी नहीं है, जिससे बाकी लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो। इसलिए शक्कर फैक्ट्री लगने के बाद हमारे युवकों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे किसान धान के फसल के बाद जो लोग गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उनको बारह महीनों रोजगार अवसर प्राप्त होगा। हमारे किसान समृद्ध होंगे। हमारा क्षेत्र समृद्ध होगा। इसके साथ ही सरकार को धान के मामलें में भार है, मैं समझता हूं कि उसमें भी कमी आयेगी, सरकार को भी राहत मिलेगी। इसके लिए जो अशासकीय संकल्प लाया गया है, इससे अशासकीय संकल्प को यहां पारित करते हैं, यदि मंत्री जी इसे स्वीकार करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे 4 जिले के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। यहां एक नये शक्कर कारखाने का अभ्युदय होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में पंडरिया, बालोद, सरगुजा में शक्कर कारखाना लगा है। अभी हमारे विषणु देव साय जी मुख्यमंत्री हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप लोगों के नेतृत्व में शक्कर कारखाने का अभ्युदय होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश के किसानों को और प्रदेश के बाकी रहने वाले निवासियों को लाभ मिलेगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मंत्री जी, आप इसको स्वीकार करें और आप मुंगेली में नया शक्कर कारखाना लगाने की घोषणा करें। मैं हमारे माननीय पूर्वमंत्री और वरिष्ठ सदस्य श्री पुन्नू लाल मोहले जी के द्वारा जो आशसकीय संकल्प लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वह अपने जवाब में इस बात की घोषणा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय श्री पुन्नू लाल मोहले जी ने अशासकीय संकल्प लाया है। निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में किसानों के हित में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। आपने जो अशासकीय संकल्प लाया है, वह भी किसानों के हित में ही है। लेकिन मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा, हमारे धर्मजीत सिंह जी है, धरम भईया हैं, इन्होंने भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम लगभग ढाई हजार टी.सी.डी. टन पेराई क्षमता वाला नया शक्कर कारखाना संचालित करते हैं तो उसमें 4 लाख मीट्रिक टन गन्ने की आवश्यकता होती है। यदि हम ढाई हजार टी.सी.डी. टन से कम पेराई क्षमता वाला शक्कर कारखाना संचालित करते हैं तो वह वित्तीय रूप से राज्य सरकार के लिए लाभप्रद नहीं होता है। यदि हम ढाई हजार टी.सी.डी. टन से कम पेराई क्षमता वाला शक्कर कारखाना संचालन की बात करें तो उसमें लगभग 10 हजार हैक्टेयर गन्ने का कृषि होना चाहिए। जैसा कि उप संचालक कृषि मुंगेली एवं अधीक्षक भू-अभिलेख के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में मुंगेली जिले में मात्र 1 हजार 6 हैक्टेयर रकबे में गन्ने की खेती होती है। यदि इसको हम मापदण्ड के आधार पर बात करेंगे तो वह नया शक्कर कारखाना के लिए पर्याप्त नहीं है। शक्कर कारखाना स्थापित करने के लिए लगभग 100 से 120 एकड़ भूखण्ड की आवश्यकता होती है। मुंगेली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सहकारी शक्कर कारखाना खोले जाने हेतु आवश्यक भूमि एक ही स्थान पर लगभग 100 से 120 एकड़ जमीन वर्तमान विभागीय जानकारी के अनुसार नहीं है। जहां तक लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया के कार्यक्षेत्र में ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री, यदि जमीन नहीं होगा तो माननीय पुन्नू लाल मोहले जी कहीं से भी प्रगट कर देंगे, यह छोटा विषय है।

श्री केदार कश्यप :- जी। पंडरिया के कार्यक्षेत्र में मुंगेली जिले के विकासखण्ड मुंगेली एवं लोरमी शामिल है । पंडरिया कारखाने में पिराई सत्र वर्ष 2023-2024 के दौरान मुंगेली विकासखण्ड के 28 कृषकों एवं लोरमी विकासखण्ड के 49 कृषकों द्वारा क्रमश: 1086.91 मीट्रिक टन एवं 1553.22 मीट्रिक टन गन्ने की आपूर्ति की गई है। मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में शक्कर कारखाना के लिये आवश्यक भूखण्ड एवं गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता होने पर ही नवीन कारखाना स्थापित करने पर हम विचार करेंगे। मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ हैं, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भूखण्ड की उपलब्धता पहले सुनिश्चित हो जाये और दूसरा जो हमारा 10 हजार हेक्टेअर गन्ने की खेती करता है, गन्ने की खेती 1006 हेक्टेअर में ही करता है, यदि हम पंडरिया की बात करें या कवर्धा की बात करें, उससे भी जो डिस्टेंस है, उससे आपूर्ति हो जाती है, अभी तात्कालिक रूप से आवश्यकता तो नहीं है...।

समय
2.22 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुये)**

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, मानलो वहां पर क्षेत्रफल बढ़ता है और वहां भूखण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित होती है तो निश्चित तौर पर हम विचार करेंगे।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, उसमें डिप्टी डायरेक्टर बिलासपुर को भी शामिल करके सर्वे कराईये ना ? एग्रीकल्चर के लैंड के बारे में मुंगेली भर का नहीं, बिलासपुर को भी एड कर लीजिएगा और सर्वे करवा लीजिएगा ।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, मैं उसमें बिलासपुर का भी और जहां-जहां पर भी जो नजदीकी क्षेत्र आते हैं, उसको भी इसमें सम्मिलित करूँगा । पहले भूखण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाये ।

सभापति महोदय :- क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने को तैयार हैं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, जहां तक जमीन की उपलब्धता है, मैंने चार जगह जमीन बताई है, मैंने उसमें सरकारी जमीन के लिये लगभग 100 एकड़ का अनुमान बताया है और 120 होता है तो 120 एकड़ में खोलने की प्रक्रिया है या नियम है, उतना जमीन उपलब्ध हो जायेगा और किसान लोग देने के लिये तैयार हैं । मैं आपको बता देता हूँ कि वहां के किसान शेयर खरीदने के लिये भी तैयार हैं और जब आप शक्कर कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान करेंगे तो किसानों का क्षेत्र भी बढ़ जायेगा । आप कम से कम आश्वासन दें, किसानों के लिये शेयर भी खरीदेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे ....।

समय
2.23 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- और जमीन भी उपलब्ध करेंगे, आप जमीन का खुद सर्वे करवा लें । हम जमीन का नक्शा, खसरा प्रस्ताव भी दे देंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इतना जमीन जरूर उपलब्ध हो जायेगा और वह भी सरकारी जमीन होगी । वहां के आसपास प्रायवेट लोग भी जमीन देने के इच्छुक हैं, यह जो आप नियम बता रहे हैं, उसके अनुसार है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया यह आश्वासन में आ जायेगा तो जरूर खोलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मोहले जी, मंत्री जी ने काफी सकारात्मक बातें कही है, आपने जो आग्रह भी किया है, उसमें इनका आग्रह है कि संकल्प वापस लें । मंत्री जी की मानसिकता है कि भविष्य में जब भी आगे काम होगा, कवर्धा को प्राथमिकता और पंडरिया को रखेंगे । यह जो मंत्री जी की सोच बता रहे हैं, मंत्री जी एक मिनट बोल दीजिए या वापस ले लेंगे ।

श्री केदार कश्यप :- नहीं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वैसे 125 एकड़ जमीन लगता नहीं है, कवर्धा के राम्हेपुर में 125 एकड़ नहीं है, आप जो भोरमदेव शक्कर कारखाना खोले हो, उसमें भी नहीं है तो 100 एकड़, 125 एकड़ का जमीन भी खोज लेंगे, जब आप बोल रहे हैं कि कवर्धा में 2500-3000 टन, प्रतिदिन की

कैपिसिटी का कारखाना है और उसको पूरा फीड हो रहा है । डॉ.रमन सिंह साहब के समय में पंडरिया में भी उतना बड़ा कारखाना खुला है, वह भी फीड हो रहा है । आप जब कारखाना खोलने का निर्णय लेंगे, खेती आप ही आप बढ़ेगा ना भई ? अभी से क्यों गन्ना लगायेगा, गन्ना क्यों लगायेगा, आप समझाओ ना । उसको कहां बेचेगा । इसलिये आप सैद्धांतिक रूप से यह बोल दीजिए कि गन्ना उपलब्ध होगा और गन्ने की उपलब्धता के बारे में सर्वे कराएंगे तो सरकार इस पर विचार करेगी । ऐसा संकल्प पारित होता है । आप वापस क्यों करवा रहे हैं ? उसको थोड़ा सा घूमाने वाली भाषा में बोल दीजिए । द्विअर्थी । आप बोल दीजिए न, वापस मत कराईए न । हमारे क्षेत्र में भी हमें किसानों को बताना पड़ेगा कि हमने संकल्प भी रखा और वापस ले लिया। वहां जाकर हम क्या बात करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है । भविष्य में विचार करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ऐसा करके बोल दीजिए ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अशासकीय संकल्प लाया है । जमीन की उपलब्धता के संदर्भ में मैंने उसकी पूरी जानकारी मंगाई है । मैंने मुंगेली के कलेक्टर के माध्यम से भी जो प्रस्ताव आया है, वह भी मेरे पास में है । यदि सब कुछ अच्छा रहेगा तो हम बिल्कुल करेंगे ।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर के लिए भी विचार कर लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य मोहले जी, क्या आप अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जमीन की उपलब्धता है तो मैंने अपने भाषण में पहले ही बताया कि जमीन उपलब्ध है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी के इशारे को समझ गए हैं । आप हां बोल दीजिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मंत्री जी ने इशारा किया है और भविष्य में करेंगे तो मैं अपना संकल्प जरूर वापस लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति देता है ?

संकल्प वापस हुआ.

(2) श्री अटल श्रीवास्तव (अनुपस्थित)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(3) छत्तीसगढ़ में स्थापित पोहा उद्योग पर मंडी शुल्क 2 रूपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर 1 प्रतिशत तथा उक्त उद्योग को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त किया जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज इस संकल्प को रखने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इसकी सूचना तो मैंने बहुत दिन पहले दी थी, पर आज चूंकि चर्चा का दिन है । आज ही के समाचार-पत्र में है कि दलहन-तिलहन और गेहूं पर मंडी और कृषक कल्याण का जो शुल्क है, उसको पूरी तरह माफ किया गया । माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई । इससे कृषि सेक्टर को एक बड़ी मजबूती मिलेगी । माननीय कृषि मंत्री जी, आप भी सदन की ओर से, सभी किसानों की ओर से बधाई स्वीकार कीजिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में लगभग 250 पोहा और मुरमुरा की मिलें हैं । चूंकि उस सेक्टर में अब प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है । किसी समय उसना चॉवल और पोहा ऐसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का एकाधिकार हुआ करता था । चॉवल में भी दूसरे राज्य भी लगभग आत्मनिर्भर हो गए, अब चॉवल बाहर नहीं जाते । प्रतिस्पर्धा का दौर आ गया, सब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गए । धान खरीदी की जो व्यवस्था है, वह पूरे देश में छत्तीसगढ़ में ही सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था है । हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी इस बात की घोषणा की गई है कि हम 31 सौ रूपए में धान खरीदेंगे, इस साल लागू होगा या नहीं होगा, यह नहीं मालूम । छत्तीसगढ़ में 31 सौ रूपए में जो धान खरीदा जा रहा है, उससे किसानो को राहत मिली है, किसानों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है, छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है । इससे कोई असहमत नहीं हो सकता, पर जो पड़ोस के राज्य हैं, उत्तरप्रदेश में आप देखें तो 1900 से 2000 रूपए प्रति क्विंटल, मध्यप्रदेश में 1900 से 2100 रूपए प्रति क्विंटल के बीच में, पश्चिम बंगाल में 2 हजार रूपए से 2100 रूपए के बीच में और बिहार में 2000 से 2100 रूपये के बीच में धान खरीदी होती है । उड़ीसा में अभी धान खरीदी शुरू नहीं हुआ है, संभवत: इस साल से या अगले साल से शुरू होगा । तो प्रतिस्पर्धा के दौर इस रेट में यदि वहां चॉवल उपलब्ध है और यदि हमारे यहां 31 सौ रूपए में उपलब्ध है तो धीरे-धीरे छत्तीसगढ़ का एक स्थापित उद्योग खतम होने की कगार पर पहुंच जाएगा । इससे पहले जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार ने 1 रूपए किया था, उसके बाद जब कॉग्रेस की सरकार आई, तो वर्ष 2022 में उन्होंने इसे फिर से 2 रुपए कर दिया। मैं उस अधिसूचना की कापी तलाश रहा था। माननीय मंत्री जी इस विषय से पूरी तरह से अवगत हैं। छत्तीसगढ़ के पोहा और मुरमुरा के उत्पादकों, निर्माताओं और यहॉ की परिस्थ‍ितियों को ध्यान में रखते हुए जो कृषक कल्याण शुल्क और मंडी शुल्क लगता है, उसे पूर्ववत् जैसा भाजपा शासन में था, उसी तरह से 1 रुपए करने का कष्ट करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। मैं सोचता हूं कि संकल्प के माध्यम से जरुर कह रहा हूं, परंतु

बिना संकल्प के भी एक बड़ा कदम दलहन, तिलहन और गेंहू के मामले में आपने लिया है, जो कि आज पेपरों में छपा है तो इस वर्ग को भी आप राहत देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है और इस आशय से यह संकल्प लाया गया है। धन्यवाद।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय अजय जी विद्वान सदस्य हैं और इनकी विद्वता सिर्फ विधान सभा में ही नहीं बल्कि हमें कई फोरमों में देखने को मिलती है और कभी-कभी इनकी विद्वता से अनेक लोग घायल हो जाते हैं और अनेक लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। आपकी ही वजह से देखिए कि सामने वाले सफाचट हैं। पूरे गायब हो गए हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो हमारी तो किसानों की ही सरकार है और किसानों के हित में हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, वह इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है और स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने छः महीने के अंदर 13 हजार करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा दिया और साथ ही साथ बोनस मिलाकर 17 हजार करोड़ रुपए हमने छः महीने के अंदर किसानों के खाते में जमा किया। (मेजों की थपथपाहट) इतना बड़ा निर्णय! मैं समझता हूं कि बहुत सारे राज्य किसानों के हित में घोषणा करते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय किसी सरकार ने नहीं लिया। आज हम कह सकते हैं कि किसानों के हित में हमारी सरकार को जो भी करना पड़ेगा, करेंगे। आदरणीय धरमलाल कौशिक जी, आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी, आप लोग शक्कर कारखाने की बात कर रहे थे। हमारी सरकार और आदरणीय डॉ रमन सिंह जी, जो कि आसंदी को शोभित कर रहे हैं, आपके निर्देश पर किसानों के हित में, प्रदेश की बेहतरी के लिए, कैसे यहॉं के किसान उन्नत हों, उन्नत कृषि कर सकें, उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और किस तरह से गन्ना का रकबा बढ़ाकर हम उन्हें व्यावसायिक खेती की ओर प्रेरित कर सकें, ऐसी सोच लेकर हमारे तत्कालीन सरकार के मुखिया और आज हमारे विधान सभा के अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में जितने भी कारखाने खुले हैं, आपके नेतृत्व में खुले हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसके अलावा पांच साल में यह लोग खाली हल्ला करते रहे, पर कहीं भी कुछ नहीं हुआ। आज आप लोगों ने जिस विषय को यहॉं रखा है, किसानों को उनकी उपज का जो मूल्य आज मिल रहा है, मैं समझता हूं कि इस दिशा में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और हमारे माननीय विद्वान सदस्य बड़े ही लोकप्रिय नेता आदरणीय अजय चन्द्राकर जी का अभिनंदन करता हूं और आपने यहॉं पर अशासकीय संकल्प के माध्यम से प्रदेश के किसानों और पोला मिलरों को जो संदेश देने का काम किया है, उसे वक्तव्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में उत्पादित धान से मुख्यतः चावल तथा पोहा का प्रसंस्करण होता है और प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियां भाटापारा, राजनांदगांव, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ एवं रायपुर के मंडी क्षेत्रों में मुख्य रूप से पोहा प्रसंस्करण मिले हैं।

यह सही है कि राज्य शासन द्वारा किसानों का धान 3100 रूपये में क्रय किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान का क्रय किया जा रहा है, जो प्रदेश के कुल धान उत्पादन का लगभग 90 से 95 प्रतिशत है। उपार्जित धान को मार्कफेड द्वारा राईस मिलरों से कस्टम करा कर चावल भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किया जाता है अर्थात् धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से उपार्जित धान का उपयोग पोहा प्रसंस्करण के लिए नहीं किया जाता है। पोहा प्रसंस्करण के लिए पोहा प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा पोहा प्रसंस्करण हेतु धान का क्रय मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण, वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत प्रदेश के अंदर से तथा राज्य के बाहर से किया जाता है। मंडी प्रांगण/ उपमंडी तथा प्रदेश के बाहर से आयातित धान पर मंडी समितियों द्वारा राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 13.03.2024 के अनुसार 1.5 प्रतिशत की दर से मंडी शुल्क तथा 0.5 प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है और प्रदेश के अंदर वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत क्रय धान पर नियमानुसार अनुज्ञा पत्र जमा किये जाने पर मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क देय नहीं है।

विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.05.2017 के द्वारा पोहा मिलों को पोहा प्रसंस्करण हेतु उपयोग में लाये धान पर 1 प्रतिशत मंडी शुल्क कुछ शर्तों के अध्यधीन निर्धारित किया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तो इतने अनुभवी व्यक्ति हैं। आप 6-7 बार के विधायक रहे हैं। आपको लिखित वक्तव्य पढ़ने की क्या जरूरत है ? आप एक लाइन में बोल दीजिये कि 1 प्रतिशत कर रहे हैं, बात खत्म हो जायेगी। आप लिखित वक्तव्य को पहली बार इतना लंबा-चौड़ा पढ़ रहे हैं।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं लिखित में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि यह व्यवस्था है। हम नहीं पढ़ेंगे तो वह पटल पर कैसे आयेगा। इसलिए व्यवस्था के तौर पर हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका भाषण बिना पढ़े आ जायेगा। आप सीधे एक लाइन में बोल दीजिये कि 1 प्रतिशत कर रहा हूं।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, यह भाषण पढ़ना ही है।

तत्पश्चात् विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.03.2024 के द्वारा धान पर 1.5 प्रतिशत की दर से मंडी शुल्क तथा 0.5 प्रतिशत की दर से कृषक कल्याण शुल्क और धान को छोड़कर शेष अधिसूचित कृषि उपजों पर 1 प्रतिशत मंडी शुल्क तथा 0.5 प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना से स्पष्ट है कि राज्य शासन द्वारा दिनांक 13.03.2024 से अधिसूचित कृषि उपज धान पर मंडी शुल्क 1.5 प्रतिशत तथा कृषक कल्याण शुल्क 0.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और मंडी बोर्ड / मंडी समिति के पंजीयनधारी राईस मिलर्स, व्यापारी तथा पोहा प्रसंस्करणकर्ताओं पर धान क्रय पर एक समान दर से मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क देय है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मंडी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मंडी समिति समस्त प्रयोजनों के लिए स्थानीय निकाय है और मंडी समिति को अपने सामान्य कारोबार के संचालन हेतु राज्य शासन या केन्द्र शासन से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती। मंडियों की आय का प्रमुख स्त्रोत मंडी शुल्क है, जिस पर आपकी गिद्ध दृष्टि है। मंडी शुल्क कृषक कल्याण शुल्क ही है और मंडी समितियों द्वारा मंडी बोर्ड को राज्य विपणन विकास निधि में राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर पर अंशदान दिया जाता है। मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों द्वारा प्राप्त इस निधि से ही प्रदेश की मंडी समितियों, मंडी क्षेत्रों में किसानों तथा मंडी कृत्यकारियों के हित में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं/ अधोसंरचनाएं विकसित की जाती है। ऐसी स्थिति में मंडी शुल्क कम किया जाना तथा कृषक कल्याण शुल्क समाप्त किया जाना उचित नहीं होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपसे इसे समाप्त करने के लिए कहां कहा है?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं इसे पढ़ रहा हूँ। अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में मैं अशासकीय संकल्प पर हमारे सदन के विद्वान नेता माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी से निवेदन करूंगा कि यह अपने संकल्प को वापस लें । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संकल्प की शुरूआत माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देते हुए शुरू की थी। जब भी मैंने संकल्प की सूचना दी हो, पर आज समाचार पत्रों में इस बात का उल्लेख है कि दलहन, तिलहन और गेहूं को मण्डी और कृषक कल्याण शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। जैसा आपने अपने भाषण में कहा कि यह उचित नहीं है। मैंने पूरी तरह समाप्त करने की बात नहीं कही है। मैंने 2 प्रतिशत को 1 प्रतिशत करने की बात कही। यह एक प्रतिशत इसलिए क्योंकि आप उनके लिखित में मत जाईये। इसमें कौन सी क्वालिटी, किसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। हमारा 3100 रूपया और पड़ोस के राज्य में सिर्फ उड़ीसा है जहां हमारी पार्टी ने घोषणा की है कि वहां भी हम 3100 रूपये में धान खरीदेंगे। उसके छोड़ जो आसपास के सारे स्टेट हैं उसमें 1900 रूपये से लेकर 2000 रूपये तक ही धान का मूल्य है। इस प्रतिस्पर्धा में हमारे पोहा, मुरमुरा के उद्योग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आपसे यह आग्रह है कि उसको 1 प्रतिशत करने का कष्ट करें। मैंने 2 प्रतिशत को, पहले हमारी सरकार थी तो हमने 1 प्रतिशत भी मंडी शुल्क लगाया हुआ था। यह 2 प्रतिशत तो कांग्रेस की कारगुजारी है। आप कांग्रेस की कारगुजारी के समर्थन में क्यों बोल रहे हैं? हमारी सरकार में जो 1 प्रतिशत था उसको 1 प्रतिशत कर दीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही मैंने अपने उद्बोधन में बताया कि यह सरकार तो किसानों के हित के लिए काम कर रही है। किसानों के लिए जितने भी निर्माण हो गये, बाकी हो गया। यह सब जितने आते हैं हम उसे करते हैं और इसी मद से करते हैं। रही बात पोहा व्यवसाय से जुड़े जितने लोग हैं इन संभाग में और छत्तीसगढ़ में हमारा एक प्रमुख लघु उद्योग है। इनके प्रतिनिधिगण, हमारे साथीगण, पूर्व विधायक साथीगण और वहां के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय

नाम तो लेना उचित नहीं है, लेकिन मैं नाम बोल ही देता हूँ। आदरणीय शिवरतन शर्मा जी पोहा व्यवसासियों के साथ, पूरा प्रतिनिधि मण्डल लेकर, हमसे मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी समय-समय पर अपनी बात को रखते रहे हैं। इसमें विभिन्न स्तरों में लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। मैं यह समझता हूँ कि आदरणीय हमारे विद्वान साथी अजय चन्द्राकर जी उस वर्ग से आते हैं। किसानों के बारे में इनसे ज्यादा कौन जान सकता है। आप किसानों के हित में लम्बी लड़ाई लड़ते-लड़ते यहां तक पहुंचे हैं। निश्चित ही यह हमारे प्रदेश के लाखों के किसानों के हित में है। पोहा मिल, पोहा व्यवसाय से जुड़े हुए ऐसे लाखों लोगों के हित में हम निर्णय लेंगे और आपकी जो भावना है। यहां पर सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, हमारे वित्त मंत्री जी उपस्थित हैं और यहां बाकी समस्त हमारे दल के लोग हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम किसानों के हित में निर्णय लेंगे। उनसे संबंधित जितने भी काम हैं, हम उनको जो भी सुविधाएं दे सकते हैं, हम उन्हें देंगे। आपकी जो पूर्ववत् मंडी शुल्क 2 रूपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर 1 प्रतिशत करने के लिए भावना थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से घोषणा करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्मयंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, उनको और माननीय कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपनी ओर से, पूरे किसानों की ओर से, पूरे सदन की ओर से आपका आभार। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि " छत्तीसगढ़ में स्थापित पोहा उद्योग पर मंडी शुल्क 2 रुपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर 1 प्रतिशत तथा उक्त उद्योग को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त किया जाये। "

संकल्प स्वीकृत हुआ।

समय
2:45 बजे

सत्र समापन

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम विधानसभा के चतुर्थ सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है, यह सत्र 16 दिसंबर से 20 दिसंबर, 2024 के मध्य आहूत रहा, कुल पांच दिवसीय सत्र में चार बैठके सम्पन्न हुईं। सर्वप्रथम सफलतापूर्वक सत्र संपन्न होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, पक्ष प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यगणों को धन्यवाद देता हूं कि आपने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में मुझे अपना अधिकतम सहयोग प्रदान किया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना का यह रजत जयंती वर्ष है, मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की वर्तमान षष्ठम विधानसभा अपने अतीत में स्थापित संसदीय

मूल्यों को निरंतर मजबूती देने का प्रयास कर रही है, और इस कार्य में आप सभी की सहभागिता प्रशंसनीय है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का संसदीय आचरण और व्यवहार ही लोकतंत्र के इस पावन मंदिर की गरिमा को संवर्धित करने का सशक्त माध्यम सिद्ध होगा। लोक कल्याण के प्रति एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है उसकी पूर्ति करने हेतु आपका कृत संकल्पित होना इस बात का प्रमाण है कि आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए यह उपलब्धि है कि इस शीतकालीन सत्र में राज्य के विकास से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी ने व्यापक, विस्तृत और परिणाम मूलक चर्चा की है। इसका प्रभाव भविष्य में अवश्य रूप से छत्तीसगढ़ के विकास में परिलक्षित होगा। आपने इस सत्र में राज्य के विकास से जुड़े प्रत्येक ज्वलंत विषयों पर विचार किया और निष्कर्ष तक पहुंचे। आपके इस प्रयास की मैं प्रशंसा करता हूँ।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता और संतोष है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह सदन संसदीय परम्पराओं और प्रक्रियाओं के पालन में उत्तरोत्तर अग्रसर है। पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण अपनी राजनैतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ के हित के लिए एक नजर आए। मैं समझता हूँ कि आपकी यही भावना ही संसदीय लोकतन्त्र का सबसे उज्जवल पक्ष है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जब संसदीय लोकतन्त्र अपनी श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करते नजर आ रहा है, ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के मध्य हमारी विधानसभा का यह उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन निश्चित तौर पर हमें गौरव की अनुभूति देता है। इस सदन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां माननीय सदस्यगणों के मध्य वैचारिक मतभेद, विचारधारा का अन्तर भले ही है पर मनभेद नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप सदस्यगणों की यह विशेषता आपके श्रेष्ठ संसदीय संस्कारों को परिभाषित करती है।

इस सत्र में माननीय श्री सुनील सोनी जी सभा के नए सदस्य के रूप में सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। वहीं दिनांक 17 दिसम्बर को विधानसभा स्थापना की रजत जयंती वर्ष पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की संसदीय यात्रा पर केन्द्रित फोटो प्रदर्शनी का शुभारम्भ हुआ। हमारे लिए यही उपलब्धि है कि षष्ठ्म विधानसभा के इस चतुर्थ सत्र में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन सहित महत्वपूर्ण विधेयकों का पारण और अनुपूरक बजट जैसे महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित हुए।

अब मैं आपको इस शीतकालीन सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों का संक्षेप में सांख्यिकी आंकड़ों से अवगत कराना चाहूँगा। इस सत्र की कुल 4 बैठकों में लगभग 21 घंटे 05 मिनट चर्चा हुई है। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 420 एवं अतारांकित प्रश्नों की 394 इस प्रकार कुल 814 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई जिसमें से 21 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। ध्यानाकर्षण की कुल 288 सूचनाएं प्राप्त हुई. जिनमें से 85 सूचनाएं ग्राह्य हुई और 8 सूचनाएं शून्यकाल सूचना में परिवर्तित की गई। स्थगन की कुल 135 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 1 सूचना की ग्राह्यता पर चर्चा कराई गई। इस सत्र में माननीय सदस्यगणों द्वारा 182 याचिकायें प्रस्तुत की गई, जिनमें से 56 याचिकायें ग्राह्य, 66 याचिका अग्राह्य एवं 61 याचिकायें विचाराधीन हैं। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 7 विधेयकों की

सूचना प्राप्त हुई और सभी चर्चा उपरान्त पारित हुए। इसके साथ ही अशासकीय संकल्पों की 12 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से कुल ग्राहय 9 सूचनाओं में से 2 सूचनाओं पर सभा में चर्चा हुई ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत अनुपूरक अनुमान पर लगभग 5 घंटे 52 मिनट चर्चा हुई। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा के कार्यकरण से राज्य की आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर दिया जाता है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं, जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लगभग 4640 लोगों एवं छात्र-छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया ।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे सहयोग प्रदान किया। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता के साथ प्रचार माध्यमों में प्रमुख स्थान दिया ।

इस सत्र के समापन अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधानसभा के सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया। परम्परा अनुसार सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्रों की सम्भावित तिथि घोषित की जाती है तद्नुसार आगामी सत्र जो बजट सत्र भी होगा उसकी तिथि फरवरी 2025 में सम्भावित है। आने वाले अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इस सदन के माध्यम से नूतन वर्ष पर प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ।

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा, माननीय सदस्यगण राष्ट्रगान हेतु आपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें ।

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित ।

(अपराह्न 02 बजकर 53 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
20 दिसम्बर, 2024

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं